06

अध्याय

सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था

वैश्विक महामारी से होने वाले व्यापक, अप्रत्याशित व्यवधान के बाद वर्ष 2022 में जब मानवजाति ने पुन: करवट ली और धीरे-धीरे सामान्य होने के लिए हरकत में आई। हालाँकि, इस संकट के पश्चात की चुनौतियों, महामारी की उत्तरवर्ती प्रत्याशित अनुवर्ती हलचलों और चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष ने विश्व के साथ-साथ भारत के विकास पथ को भी प्रभावित किया है। नागरिकों के सामाजिक कल्याण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे प्रमुख पहलुओं पर जोर था और सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग जारी रखा। वित्त वर्ष 23 के अंतिम पड़ाव पर सामाजिक विकास के विभिन्न संकेतकों की पुन: बहाली होती दिखाई दे रही है। मानव विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों और ''सबका साथ, सबका विकास'' पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख हो गया है। वित्त वर्ष 23 (बीई) में केंद्र और राज्य सरकारों का सामाजिक क्षेत्र व्यय परिव्यय लगातार बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि कुल सामान्य सरकारी व्यय का 26.6 प्रतिशत हिस्सा है।

2030 तक गरीबी को कम करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए ऑन-ट्रैक प्रोग्रेस के निरूपण में यूएन मल्टी डाइमेनशनल पावर्टी इंडेक्स (संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक) के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आबादी के विभिन्न वर्गों जैसे बुजुर्गों, असंगठित श्रमिकों के लिए अनुकूलित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समूह को समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए सम्मान की रक्षा को सुनिश्चित करने में प्राथमिकता दी गई है। 'आकांक्षी जिलों' पर विशेष ध्यान देने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सरंचना में लगातार सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल्याण योजना का लाभ पहुँचाने में 'जन धन खाता, आधार और मोबाइल जेएएम 'की त्रिमूर्ति ने सरकार-नागरिक संपर्क के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, केंद्रीय सरकार की 318 योजनाओं और राज्य सरकार की 720 से अधिक डीबीटी योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लक्षित वितरण को सक्षम बना दिया है, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस 'ईश्रम पोर्टल' के माध्यम से राज्यों में राशन कार्ड की निर्बाध सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) आ गयी है श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों को सम्मिलित करने वाले आंकड़ों में रोजगार संकेतकों में व्यापक सुधार देखा गया है।

आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष के रोजगार डेटा में यह देखा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से काफी बेहतर हो गए हैं। त्रैमासिक शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से बेहतर प्रगति दर्शाता है क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई। रोजगार की बढ़ती औपचारिकता को दर्शाते हुए, कोविड-19 की स्थिति से तेजी से उबरने के बाद, ईपीएफओ पेरोल में निवल वृद्धि लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसमें अधिकांश हिस्सेदारी युवाओं की रही है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ लगातार वृद्धि की है, साथ ही प्रति फैक्ट्री रोजगार

भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। छोटे कारखानों की तुलना में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों के रोजगार तेजी से बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाइयों के विस्तार का सुझाव देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस/MGNREGS) के काम की मासिक मांग में वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) गिरावट, मजबूत कृषि विकास और कोविड से तेजी से उबरने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में लौट रही है।

ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में वर्ष 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2020-21 में 27.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि एक सकारात्मक विकास है। विशेष रूप से, भारत की महिला एलएफपीआर को कम करके आंका गया है, कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को अधिक सटीक रूप से आंकने के लिए सर्वेक्षण डिजाइन और सामग्री में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं-सहायता समूह, जिन्होंने कोविड के दौरान अपने लचीलेपन और लोच का प्रदर्शन किया है, जो काम करने के लिए महिलाओं की बढ़ती इच्छा का दोहन करने के लिए एक प्रभावी माध्यम हो सकते हैं। 1.2 करोड़ एसएचजी में 88 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो 14.2 करोड़ परिवारों को सेवा देती हैं।

मानव पूंजी निर्माण के मोर्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य के जुड़वां स्तंभों को मूल रूप से सशक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रगतिशील ढांचे में, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और शिक्षकों की बढ़ती उपलब्धता से लाभांश मिलने की उम्मीद है जो आने वाले दशकों में देश की वृद्धि और विकास की संभावनाओं को समृद्ध करेगा। सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना को भी मजबूत किया है और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया है। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 14 में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 40.6 प्रतिशत हो गया है, इसके साथ-साथ वित्त वर्ष 2014 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2019 में 48.2 प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में सहवर्ती गिरावट आयी है। पिछले आठ वर्षों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने से उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की संख्या में काफी सुधार हुआ है। नतीजतन, स्वास्थ्य संबंधी संकेतक जैसे कि संस्थागत जन्म, टीकाकरण और स्वास्थ्य बीमा के कवरेज में वृद्धि देखी गई है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों से पता चला है। लगभग 22 करोड़ से अधिक लाभार्थियों वाले पथ-प्रदर्शक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति को डिजिटल हेल्थ आईडी एबीएचए और ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से और अधिक तकनीक-सक्षम बनाया जा रहा है।

अमृत काल में, ग्रामीण भारत में रहने वाली दो-तिहाई भारतीय आबादी का जीवन कुछ साल पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर है, जो बुनियादी सुविधाओं और कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन पर दिए गए नीतिगत फोकस से प्राप्त हुआ है। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से संबंधित परिणाम-उन्मुख आंकड़े बिजली तक पहुंच, बेहतर पेयजल स्रोतों की उपस्थिति, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज, महिला सशक्तिकरण आदि में ठोस प्रगति की पुष्टि करते हैं। स्वामित्व के माध्यम से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड पर जोर एक संरचनात्मक सुधार है।

ग्रामीण भूमि प्रबंधन और व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण भारत के आगे बढ़ने के साथ ही उसने महामारी के कारण सामाजिक क्षेत्र के सुधार संबंधी लाभ को बड़े पैमाने पर पुनः प्राप्त कर लिया है। जो त्वरित नीति निर्धारण और कुशल कार्यान्वयन द्वारा संचालित है, और जो प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है। आगामी आर्थिक विकास के लिए 'न्यूनतम सरकार; अधिकतम शासन', अधिक न्यायसंगत सिद्ध होंगे।

परिचय

6.1 भारत का सामाजिक-आर्थिक परिवेश और अद्वितीय लोकाचार उसकी असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं और भुगोल वाली विविध और विशाल आबादी में बसते हैं, जो देश की वास्तविक संपदा हैं। कई शहरों और गांवों में रहने वाले युवा और आकांक्षी नागरिकों द्वारा पोषित अपार संभावनाओं का एहसास करने और परिस्थितियों की विविधता और विभिन्न वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूलन के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टि और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। प्रारंभ में 21 वीं सदी के भारतीय की मंथन ऊर्जा को चौनलाइज करने के लिए प्रत्येक घर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवास, कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं पहली आवश्यकता है। आधारभूत सेवाएं और संरचनाएं जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने में समाज की सहायता करती हैं, यानी सामाजिक आधारभूत संरचना, अप्रत्यक्ष रूप से आय और रोजगार के अवसरों, उत्पादकता वृद्धि और तकनीकी उन्नति में वृद्धि की नींव रखकर आर्थिक विकास में योगदान करती है। उक्त अनुसार, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर और काम करने की स्थितियां इस क्षमता के दीर्घकालिक सतत विकास के रुप में तराशने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। अगले 25 वर्षों के अपने अमृत काल में, भारत को जनसांख्यिकी से होने वाले लाभ मिलने की संभावना है।

6.2 अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के होने से जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा में आय के पारंपरिक मेट्रिक्स (जो भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता निर्धारित करती है) और शिक्षा के स्तर की तुलना में कई और तत्वों को समाहित किया है। अब इसमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, रोजगार की संभावनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी आदि तक की पहुंच शामिल है। ये सभी मिलकर जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अनुसंधान अध्ययनों ने निष्कर्ष निकला है कि जीवन की गुणवत्ता बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और अनुकूल वातावरण में रहने में सक्षम होने पर निर्भर करती है।[1] इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार देश के सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है।

6.3 समकालीन परिदृश्य में यह और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को अपनाया है, जो व्यापक, दूरगामी और जन- केंद्रित सार्वभौमिक और परिवर्तनकारी लक्ष्य और ध्येय है। इन सत्रह लक्ष्यों में से कई लक्ष्य व्यक्तियों की सामाजिक रहन-सहन से संबंधित हैं, जिनका समाधान निम्नानुसार है:

"हम अब और 2030 के बीच हर जगह गरीबी और भुखमरी को खत्म करने, देशों के अंदर और उनके बीच असमानताओं का मुकाबला करने; शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने; मानव अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने; और ग्रह और उसके प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेते हैं। हम राष्ट्रीय विकास और क्षमताओं के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, साझा समृद्धि और सभी के लिए कामकाज की बेहतर स्थितियां बनाने का भी संकल्प लेते हैं।"[2]

6.4 देश पिछले दशकों में आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने में अच्छी प्रगति कर रहा है। जैसा कि अध्याय में विस्तार से बताया गया है, कई सामाजिक संकेतकों में सुधार जारी है। वर्ष 2020 और 2021 महामारी के चरम वर्ष थे, जिनमें देश के सामाजिक और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की ताकत, का परीक्षण हुआ, शिक्षा में बाधा आई, नौकरी के अवसरों आदि नुकसान हुआ, आदि। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर महामारी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए जो 2022 में जारी रहे। वित्त वर्ष 23 इस क्षेत्र के लिए कायाकल्प का वर्ष रहा है, जिसमें महामारी के तूफान को पछाड़ दिया और मजबूत होकर उभरा। इस क्षेत्र के विभिन्न आयाम खोए हुए आधार को पुन: प्राप्त कर रहे हैं और "*सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास*" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पुन: सक्रिय किया जा रहा है।

---

[1]उदाहरण के लिए: मार्था नुसबौम और अमर्त्य सेन, संस्करण। (1993)। जीवन की गुणवत्ता, ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस। और बारकासिया, बारबरा (4 सितंबर 2013)। "जीवन की गुणवत्ता: हर कोई इसे चाहता है, लेकिन यह क्या है?"। फोर्ब्स/एजुकेशन।

[2]हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, 25 सितंबर 2015 को महासभा द्वारा अपनाया गया संकल्प।

6.5 भारत बेहतर सुविधाओं से लैस स्कूलों, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, बढ़ते औपचारिक रोजगार, सशक्त महिला समूहों और स्वच्छता, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक दूरगामी पहुंच के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय इन मोर्चों पर उपलब्धियों के उभरते प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर प्रगति और देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की समीक्षा की गई है। इसमें सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र पर सरकार के व्यय के रुझान; मानव विकास के मोर्चे पर प्रगति; सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय रोजगार और शिक्षा के रुझान और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। यह विभिन्न एसडीजी और उसके परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न सरकारी पहलों पर आधारित है।

क्षेत्र के बढ़ते महत्व को गति देने के लिए सामाजिक क्षेत्र व्यय

6.6 सामाजिक सेवाओं पर होने वाले सरकार के खर्च में वृद्धि दर्शायी गई है।[3] वित्त वर्ष 2016 से देश के नागरिकों के सामाजिक हित के कई पहलुओं पर ध्यान देते हुए वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 तक सरकार के कुल खर्च में सामाजिक सेवाओं पर खर्च का हिस्सा करीब 25 फीसदी रहा है। वित्त वर्ष 23 (बीई) में यह बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं के व्यय में वित्त वर्ष 2011 की बनिस्पत वित्त वर्ष 2012 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 21 बनिस्पत वित्त वर्ष 2012 में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, महामारी के वर्षों में, विशेष रूप से स्वास्थ्य[4] और शिक्षा[5] क्षेत्रों के परिव्यय में वृद्धि की आवश्यकता थी। जबकि वित्त वर्ष 19 में केंद्र और राज्य सरकारों का सामाजिक क्षेत्र का व्यय परिव्यय 12.8 लाख करोड़ रुपये था, यह धीरे-धीरे बढ़कर वित्त वर्ष 23 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

चित्र VI.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय में रुझान (केंद्र और राज्य संयुक्त रुप में)

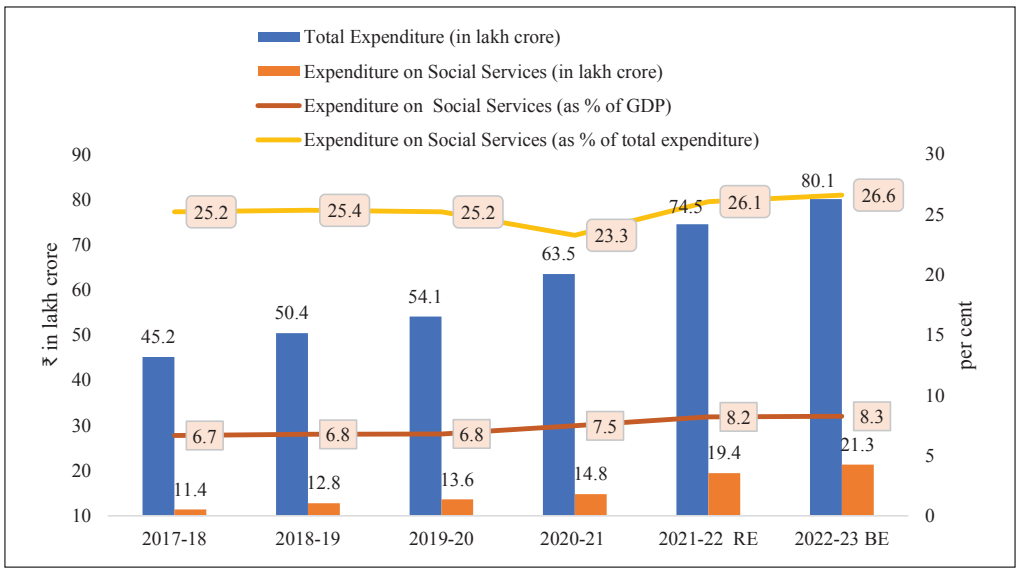

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

टिप्पणी: 1. बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई)।
2. मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात 2011-12 के आधार पर आधारित हैं।
3. बीई, वित्त वर्ष 22 के लिए अनुमानित जीडीपी ₹222,87,379 करोड़ है।

[3]सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति शामिल हैं; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण, श्रम और श्रमिक कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि।

[4]'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल है।

[5]'शिक्षा' पर व्यय 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।

6.7 सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा 21 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 (बीई) में 26 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 अपने लक्ष्य के रूप में सभी विकासात्मक नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल उन्मुखीरण के माध्यम से ''सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति, और परिणाम के रूप में किसी को भी वित्तीय कठिनाई दिए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच'' के रूप में परिकल्पना करती है। पहुंच को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण की लागत को कम करके प्राप्त किया जाएगा। तदनुसार, नीति में 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को मौजूदा 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। साथ ही, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संघ और राज्यों का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय एक साथ मिलाकर प्रगतिशील तरीके से 2025 तक जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए (एफएफसी रिपोर्ट, पैरा 9.41, पपप)। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 (बीई) में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 22 (आरई) में 2.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 1.6 प्रतिशत था।

तालिका VI.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय का रुझान (केंद्र और राज्य संयुक्त रुप में)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 आरई	2022-23 ब.अ
कुल व्यय	3760611	4265969	4515946	5040747	5410887	6353359	7453320	8008684
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	915500	1040620	1139524	1278124	1364906	1479389	1944013	2132059
जिसमें :								
शिक्षा	391881	434974	483481	526481	579575	575834	681396	757138
स्वास्थ्य	175272	213119	243388	265813	272648	317687	516427	548855
अन्य	348348	392527	412655	485829	512683	585868	746191	826065
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	7.5	8.2	8.3
जिसमें :								
शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	2.2	2.1
अन्य	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6	3.0	3.2	3.2
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	24.3	24.4	25.2	25.4	25.2	23.3	26.1	26.6
जिसमें :								
शिक्षा	10.4	10.2	10.7	10.4	10.7	9.1	9.1	9.5
स्वास्थ्य	4.7	5.0	5.4	5.3	5.0	5.0	6.9	6.9
अन्य	9.3	9.2	9.1	9.6	9.5	9.2	10.0	10.3
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में								
शिक्षा	42.8	41.8	42.4	41.2	42.5	38.9	35.1	35.5
स्वास्थ्य	19.1	20.5	21.4	20.8	20.0	21.5	26.6	25.7
अन्य	38.0	37.7	36.2	38.0	37.6	39.6	38.4	38.7

2021-22 तक की मौजूदा बाजार कीमतों की जीडीपी का अनुपात 2011-12 पर आधारित हैं। 2022-23 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार है।

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

मानव विकास मानदंडों में सुधार करना

6.8 ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के लिए 'मानव विकास' एक प्रमुख प्रवर्तक है। 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के चरम के बाद उत्पन्न चुनौतियों और 2022 में आगामी रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भारत और दुनिया के विकास पथ को प्रभावित किया है। इन विकासों के मद्देनजर, मानव विकास में वैश्विक गिरावट आई थी। इन विकासों के मद्देनजर, मानव विकास में वैश्विक गिरावट आई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, 90 प्रतिशत देशों ने 2020 या 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)[6] मूल्य में कमी दर्ज की है जो यह दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास विगत 32 वर्षों में पहली बार ठप हुआ है। वर्ष 2021/2022 एचडीआई की रिपोर्ट[7] में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में 132 वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत का एचडीआई मान 0.633 देश को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखता है, जो 2019 में इसके मान 0.645 से कम है। हालांकि, भारत का एचडीआई मान दक्षिण एशिया[8] के औसत मानव विकास से अधिक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करने सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देने के कारण 1990 के बाद से यह लगातार बृद्धि कर रहा है और विश्व औसत की ओर बढ़ रहा है।

6.9. लैंगिक असमानता के पैरामीटर पर, भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)[9] मान 2021 में 0.490 है और भारत 122 वें स्थान पर है। यह स्कोर दक्षिण एशियाई क्षेत्र (मान : 0.508) से बेहतर है और विश्व औसत 0.465 के करीब है। यह अधिक समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और लिंग-उत्तरदायी विकास नीतियों की दिशा में सरकार की पहल और निवेश को दर्शाता है। बहुआयामी गरीबी से निपटने में देश की प्रगति बॉक्स VI-1 में दर्शाई गई है।

तालिका VI.2: वैश्विक एचडीआई 2021 में भारत की स्थिति एवं रुझान

	एचडीआई 2021		एचडीआई रैंक 2020	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष	स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
	रैंक	मान					
स्विट्जरलैंड	1	0.962	3	84.0	16.5	13.9	66,933
नॉर्वे	2	0.961	1	83.2	18.2	13.0	64,660
यूनाइटेड किंगडम	18	0.929	17	80.7	17.3	13.4	45,225
जापान	19	0.925	19	84.8	15.2	13.4	42,274
संयुक्त राज्य अमेरिका	21	0.921	21	77.2	16.3	13.7	64,765
चीन	79	0.768	82	78.2	14.2	7.6	17,504
ब्राजिल	87	0.754	86	72.8	15.6	8.1	14,370
दक्षिण अफ्रीका	109	0.713	102	62.3	13.6	11.4	12,948
इंडोनेशिया	114	0.705	116	67.6	13.7	8.6	11,466
भारत	**132**	**0.633**	**130**	**67.2**	**11.9**	**6.7**	**6,590**
दक्षिण एशियाई क्षेत्र		0.632		67.9	11.6	6.7	6,481
विश्व औसत		0.732		71.4	12.8	8.6	16,752

स्रोत: 2021/2022 मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी

[6]यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट तीन बुनियादी मापदंडों के संदर्भ में एचडीआई का अनुमान लगाती है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए; शिक्षित और जानकार होना और जीवन के सभ्य आर्थिक स्तर का लाभ लेना। इसकी गणना 4 संकेतकों का उपयोग करके की जाती है - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति जीएनआई।
[7]8 सितंबर 2022 को जारी किया गया और वर्ष 2021 के लिए रैंकिंग प्रदान करता है।
[8]दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इस्लामिक गणराज्य ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हैं।
[9] सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धि में असमानता को तीन आयामों में मापता है, अर्थात प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। यह इन आयामों में महिला और पुरुष की उपलब्धियों के बीच असमानता के कारण संभावित मानव विकास में कमी को दर्शाता है। जीआईआई का मान 0 होता है जहां महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार होता है। इसका मान 1 होता है, जहां लैंगिक भेदभाव होता है।

बॉक्स: VI-1: यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022

आम तौर पर, गरीबी को मुख्य रूप से एक अच्छी तरह जीवन यापन के लिए मौद्रिक साधनों की कमी के रूप में मापा जाता है। हालाँकि, परिभाषा के अनुसार 'गरीबी' के व्यापक निहितार्थ हैं और एक ही समय में कई नुकसान होते हैं - जैसे कि खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, स्वच्छता की कमी, स्वच्छ पेयजल या बिजली, शिक्षा की खराब गुणवत्ता आदि। अकेले एक कारक पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे आय के रूप में, गरीबी की वास्तविकता को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिक व्यापक तस्वीर बनाने के लिए बहुआयामी गरीबी उपायों का उपयोग किया जाता है। यह बताता है कि कौन गरीब है और कैसे गरीब है और उनके द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न अभावों की सीमा। ऐसा ही एक उपाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। कार्यप्रणाली में तीन समान भारित आयामों: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में 10 संकेतकों में प्रत्येक व्यक्ति के अतिव्यापी अभावों को मापना शामिल है। स्वास्थ्य और शिक्षा आयाम प्रत्येक दो संकेतकों पर आधारित हैं, जबकि जीवन स्तर छह संकेतकों पर आधारित है। किसी देश के लिए MPI के निर्माण के लिए आवश्यक सभी संकेतक एक ही घरेलू सर्वेक्षण से लिए गए हैं। प्रत्येक संकेतक को उसके आयाम के भीतर समान रूप से भारित किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक प्रत्येक को 1/6 भारित किया जाता है, और जीवन स्तर संकेतकों को 1/18 भारित किया जाता है। एमपीआई 0 से 1 तक होता है, और उच्च मूल्य उच्च बहुआयामी गरीबी का संकेत देते हैं। डच् अंतर्राष्ट्रीय ै+ 1.90-दिन की गरीबी रेखा को यह पहचान कर पूरा करता है कि कौन बहुआयामी रूप से गरीब है और बहुआयामी गरीबी की संरचना को दर्शाता है।

भारत के लिए एमपीआई

एमपीआई पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी और इसमें 111 विकासशील देशों को शामिल किया गया था। जहां तक भारत का संबंध है, 2019-21 के सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन अनुमानों के आधार पर, भारत में 16.4 प्रतिशत आबादी (2020 में 228.9 मिलियन लोग) बहुआयामी रूप से गरीब हैं, जबकि अतिरिक्त 18.7 प्रतिशत को बहुआयामी गरीबी (2020 में 260.9 मिलियन लोग) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में वंचितता की तीव्रता, जो कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव स्कोर है, 42 प्रतिशत है। MPI मान, आबादी का वह हिस्सा है जो बहुआयामी रूप गरीब हैं जिसे बंचीतों की तीव्रता 0.69 से समायोजित हैं।

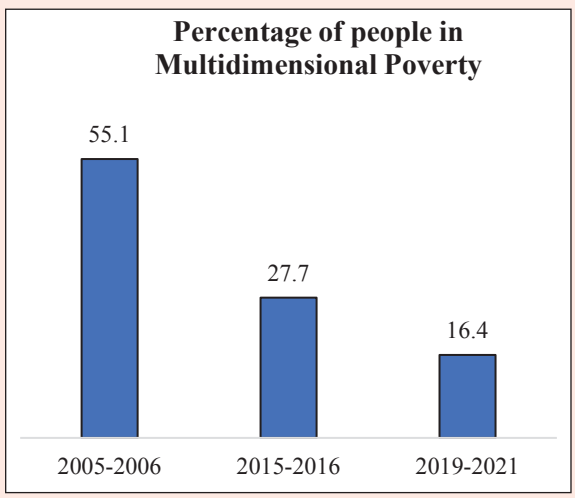

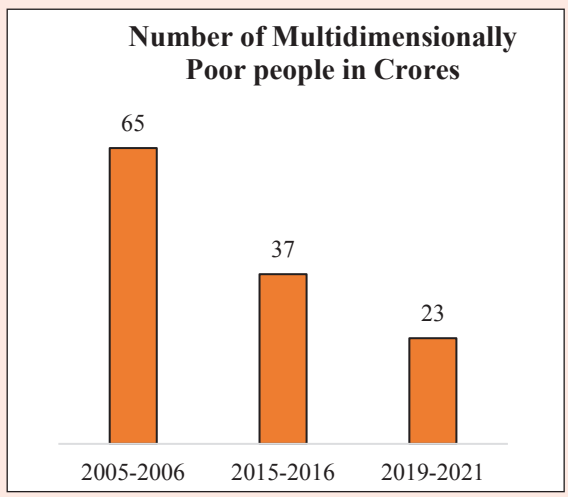

Source: UNDP Report on Multidimensional Poverty, 2022

रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी की तुलना मौद्रिक गरीबी के साथ की गई है, जिसे 2011 के पीपीपी यूएस + 1.90 प्रति दिन से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत से मापा जाता है। यह दर्शाता है कि मौद्रिक गरीबी पूरी तस्वीर पेश नहीं करती है। बहुआयामी गरीबी की संख्या या घटना मौद्रिक गरीबी की घटना की तुलना में 6.1 प्रतिशत अंक कम है। इसका तात्पर्य यह है कि मौद्रिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की गैर-आय संसाधनों तक पहुंच हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में 2005-06 और 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, यह दर्शाता है कि एसडीजी लक्ष्य 1.2 में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करने का है। राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार 2030 तक गरीबी को उसके सभी आयामों में प्राप्त करना संभव है।

सबसे गरीब राज्यों और समूहों (बच्चों, निचली जातियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों) ने गरीबी को पूर्ण रूप से सबसे तेजी से कम किया, हालांकि डेटा कोविड-19 महामारी के बाद के बदलावों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

बहुआयामी रूप से गरीबों के बीच, वंचन श्रेणियों में वंचन प्रसार में गिरावट आई है।

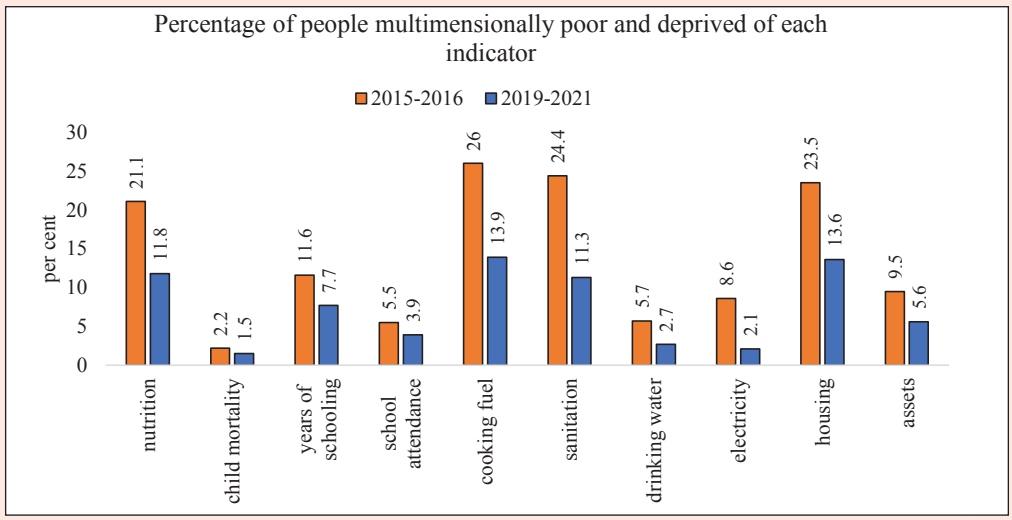

जमीनी स्तर पर चीजें कैसे बदल रही हैं, इसका एक उदाहरण देते हुए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के अध्यक्ष डॉ. सुदीप्तो मुंडले ने एक समाचार पत्र के लेख 'पेरीफेरी पर गांव और पिछड़ेपन का बदलता चेहरा', लाइव मिंट, में 24 नवंबर 2022 को सूचित किया है कि उन्होने झारखंड के चार पिछड़े गांवों की यात्रा की और सड़क, घर, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), शिक्षा सुविधाओं आदि जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति के बारे में अध्ययन किया। राज्य और सामान्य बाजार के हस्तक्षेप से इन गांवों में सामान्य बाजार विकास, अत्यधिक अभाव और भूख को समाप्त कर दिया गया है।[10]

आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का परिवर्तन

6.10 भारत सरकार ने 2022 तक एक नए भारत के विजन के साथ जनवरी 2018 में 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (एडीपी)) पहल शुरू की, जिसमें अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी की बढ़ती अर्थव्यवस्था में। जिलों को पहले अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिलों के साथ पकड़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहित किया जाता

[10]https://www.livemint.com/opinion/online-views/villages-at-the-periphery-and-the-change-face-of-backwardness-11669313591060.html

है, और बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखते हैं।

6.11 नीति आयोग द्वारा 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 117 आकांक्षी जिलों (एडी) की पहचान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचे से लेकर समग्र संकेतकों के आधार पर की गई है, जिनका एचडीआई पर असर पड़ता है। कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का), और मासिक जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से सभी एक जन आंदोलन द्व ारा संचालित है।

6.12 मुख्य संचालको के रूप में राज्यों के साथ, यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है, तत्काल सुधार के लिए कम लटके ्लों की पहचान करता है और हर महीने जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। रैंकिंग ऊपर वर्णित पांच व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में हुई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है।

6.13 नीति आयोग ने जिला योजनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक खाका विकसित किया है। चूंकि विभिन्न जिलों में अलग-अलग अवसर और चुनौतियां हैं, इसलिए उन्हें सलाह दी गई है कि वे टेम्पलेट को अनुकूलित करें। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की मदद से संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी से संकलित प्रत्येक संकेतक में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों को शामिल करते हुए एक प्राइमर भी विकसित किया गया है और इसे जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

6.14 कार्यक्रम की उपलब्धियां

(क) कार्यक्रम के तहत मॉनिटर किए गए स्वास्थ्य और पोषण विषय के तहत कई संकेतकों में कई एडी ने औसत राज्य मूल्यों को पार कर लिया है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के 10 संकेतकों में, 73 एडी ने राज्य के औसत को पार कर लिया है।

(ख) कार्यक्रम पांच फोकस क्षेत्रों में प्रगति पर नजर रखता है। सभी जिलों ने विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और पोषण के तहत, 46 जिलों में 45 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, और 23 जिलों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतकों में 69 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर पर प्रभाव जैसे कि प्रसवपूर्व देखभाल जांच की आवृत्ति और कवरेज; गर्भवती महिलाओं द्वारा पूरक पोषण सेवन की नियमितता, और समय पर एनीमिया का पता लगाने और उपचार की दर।

शिक्षा के तहत, 46 जिलों में 34 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, और 29 जिलों में महत्वपूर्ण संकेतकों में 49 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, जो छात्रों द्वारा प्राप्त सीखने के परिणामों को प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन करने वाले प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत (आरटीई) निर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात; कार्यात्मक पेयजल सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत और कार्यात्मक लड़कियों के शौचालयों वाले स्कूलों का प्रतिशत।

(ग) वित्तीय समावेशन के परिणाम की निगरानी करते समय, यह देखा गया कि एडी ने गैर-आकांक्षी जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि अधिक लोगों की बैंक खातों तक पहुंच है, अधिक लोगों को सरकारी बीमा योजनाओं के तहत कवर किया गया है और अधिक लोग एडी में मुद्रा (एमयूडीआरए) ऋण सुरक्षित कर सकते हैं।

(घ) कई एडी ने बिजली कनेक्शन वाले परिवारों के प्रतिशत जैसे बुनियादी बुनियादी ढांचे के संकेतकों में संतृप्ति

की सूचना दी है; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बारहमासी सड़कों तक पहुंच वाली बस्तियों का प्रतिशत; पीएमजीएसवाई के तहत जिले में कुल स्वीकृत किलोमीटर के प्रतिशत के रूप में पूर्ण किए गए बारहमासी सड़क कार्य के किलोमीटर की संचयी संख्या; और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों वाले परिवारों का प्रतिशत, आदि।

सुशासन का नमूना

6.15 एडीपी सुशासन के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उभरा है, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। वर्तमान में, एडीपी डिजाइन की तर्ज पर दो कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है, एक है 'मिशन उत्कर्ष' और दूसरा है 'एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम' (एबीपी)। 22 जनवरी 2022 को 'मिशन उत्कर्ष' की शुरुआत की गई, जिसके तहत 15 केंद्रीय मंत्रालयों ने जनता से संपर्क कर अपने कम प्रदर्शन करने वाले 10-15 जिलों की पहचान की है. एडीपी टेम्पलेट के बाद, मंत्रालयों ने इन जिलों को एक वर्ष में राज्य के एक औसत जिले के बराबर और दूसरे में अखिल भारतीय औसत के करीब लाने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

6.16 केंद्र सरकार और राज्य पिछड़े ब्लॉकों की पहचान करने के लिए एडीपी टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए एक साथ आए हैं और देश में सबसे कम विकसित ब्लॉकों में सुधार के लिए समान डेटा निगरानी और प्रतिस्पर्धा आधारित कार्यक्रम का उपयोग करते हैं। इस पहल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 500 सबसे पिछड़े ब्लाकों को तेजी से विकास के लिए चुना गया है।

प्रगामी श्रम सुधार उपाय

6.17 2019 और 2020 में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समामेलित, युक्तिसंगत और सरल बनाया गया था, अर्थात, मजदूरी संहिता, 2019 (अगस्त 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 (सितंबर 2020)। नए कानून बदलते श्रम बाजार के रुझानों के अनुरूप हैं और साथ ही, कानून के ढांचे के भीतर स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता और कल्याणकारी जरूरतों को समायोजित करते हैं। श्रम संहिताओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता में कमी के साथ जोड़ा गया है। संहिताएं अनुपालन तंत्र को भी आसान बनाती हैं, जिसका उद्देश्य व्यवसाय करने/उद्यमों की स्थापना में आसानी को बढ़ावा देना और प्रत्येक कार्यकर्ता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित निरीक्षण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया गया है। श्रम संहिताओं में छोटे-मोटे अपराधों को भी गैर-अपराधीकरण प्रदान किया गया है।

6.18 संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उपयक्तु स्तर पर सौंपा गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए उनके आधिकारिक राजपत्रों में नियमों के पूर्व-प्रकाशन की आवश्यकता है। 13 दिसंबर 2022 तक, 31 राज्यों ने वेतन संहिता के तहत, 28 राज्यों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 28 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, और 26 राज्यों ने व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के कोड के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

तालिका VI.3: चार श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियमों की स्थिति

कोड का नाम	उन राज्यों के नाम जिन्होंने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है
वेतन संहिता, 2019	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी **(31)**
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी **(28)**
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पांदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश **(28)**
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी **(26)**

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; 13 दिसंबर 2022 तक की स्थिति

ईश्रम पोर्टल

6.19 सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, उनके कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश की श्रम शक्ति के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया है, जो आधार से सत्यापित है। यह श्रमिकों के नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय प्रकार, शैक्षिक योग्यता और कौशल प्रकार आदि जैसे विवरणों को उनकी रोजगार क्षमता के इष्टतम अहसास के लिए कैप्चर करता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार करता है। यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि शामिल हैं। वर्तमान में, ई-असीम (एसएचआरएएम) पोर्टल को सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए एनसीएस पोर्टल और एएसई ईएम पोर्टल से जोड़ा गया है।

6.20 31 दिसंबर 2022 तक, कुल 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। महिला पंजीकरण कुल का 52.8 प्रतिशत था और कुल पंजीकरण का 61.7 प्रतिशत 18-40 वर्ष की आयु वर्ग का था। राज्य-वार, उत्तर प्रदेश (29.1 प्रतिशत), बिहार (10.0 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (9.0 प्रतिशत) कुल पंजीकरण का लगभग आधा हिस्सा हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों ने कुल पंजीकरण में 52.4

प्रतिशत का योगदान दिया, इसके बाद घरेलू और घरेलू श्रमिकों (9.8 प्रतिशत) और निर्माण श्रमिकों (9.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चित्र VI.2: ई-श्रम पोर्टल के तहत संचयी पंजीकरण

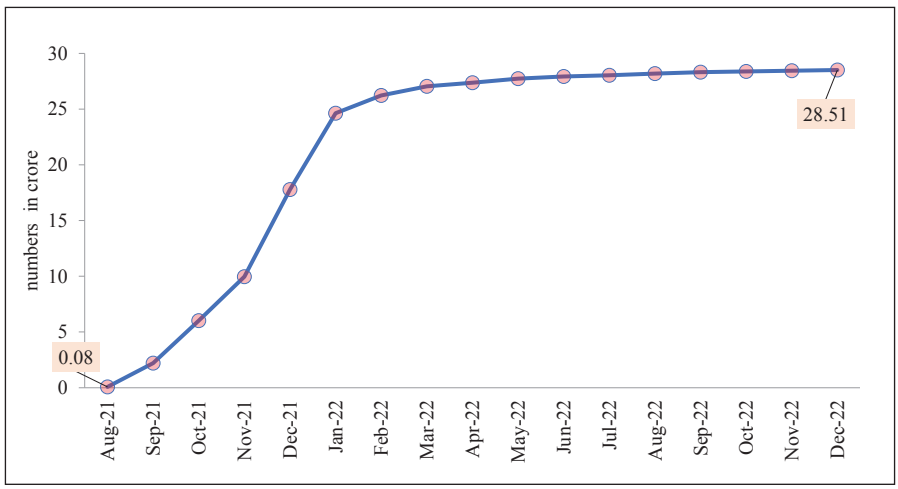

स्रोत: ई-श्रम डैशबोर्ड, एमओएलई

आधार: विशिष्ट पहचान की कई उपलब्धियां

6.21 आधार, एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या भारत के निवासियों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करती है। यह सरकार और व्यक्ति को जोड़ता है, कई उद्देश्यों के लिए कई आईडी के असंबद्ध वेब की जगह लेता है, और राज्य और नागरिक के बीच सामाजिक अनुबंध को सुरक्षित करता है। यह 2010 में की गई पहल के कारण है कि आज देश लगातार एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण और मजबूती कर रहा है, जो अंतत: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा कि कैसे पैसा और सामान अपने प्रतिस्पर्धियों पर देश भर में घूमते हैं।

6.22 पॉल रोमर, नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, ने भारत के 135 करोड़ नागरिकों, जो जनसंख्या का 94 प्रतिशत और 100 प्रतिशत वयस्क (>18 वर्ष) हैं, के बारे में वर्णन किया है, 'सबसे परिष्कृत' दुनिया में आईडी कार्यक्रम।[11] आधार, आधार धारक की तस्वीर, उसके उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन विवरण के बीच एक निर्णायक संबंध प्रदान करता है।

आधार की उपलब्धियां

6.23 आधार राज्य द्वारा सामाजिक वितरण के लिए एक आवश्यक उपकरण है। 318 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और 720 से अधिक राज्य डीबीटी योजनाएं आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित हैं, और ये सभी योजनाएं वित्तीय सेवाओं, सब्सिडी और लाभों के लक्षित वितरण के लिए आधार का उपयोग करती हैं। आधार भारत के डिजिटल एकीकरण की नींव है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा दिखाया गया है (नवंबर 2022 तक):

- आधार सृजित- 135.2 करोड़
- आधार अद्यतन- 71.1 करोड़

[11] 'आधार' दुनिया में सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम: विश्व बैंक''। दाईजी वर्ल्ड, ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार से उद्धृत।

- प्रमाणीकरण संपन्न – 8621.2 करोड़
- eKYC हो गया – 1350.2 करोड़
- 75.3 करोड़ निवासियों ने राशन का लाभ उठाने के लिए अपने आधार को राशन कार्ड से जोड़ा है
- एलपीजी सब्सिडी के लिए 27.9 करोड़ निवासियों ने आधार को रसोई गैस कनेक्शन से जोड़ा
- 75.4 करोड़ बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और 1549.8 करोड़ लेनदेन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए गए हैं

6.24 नागरिकों के दैनिक जीवन में आधार के प्रमुख उपयोग हैं:

- ***आधार – डीबीटी में उपयोग:*** जब बैंक खाते से जोड़ा जाता है, तो आधार एक व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। आधार भुगतान ब्रिज (ए पीबी) के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते में किसी भी भुगतान को स्थानांतरित करने के लिए संख्या पर्याप्त है, इस प्रकार अन्य विवरण देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अर्थात। बैंक खाता, आईएफएससी कोड, और सरकार / संस्थानों को बैंक शाखा का विवरण।
- ***आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस):*** एईपीएस एक व्यक्ति को बुनियादी बैंकिंग लेनदेन करने में मदद करता है, जैसे। केवल अपने आधार का उपयोग करके निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि। इससे डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में काफी मदद मिली है और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिली है।
- ***जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल)*** त्रिमूर्ति, डीबीटी की शक्ति के साथ मिलकर, लोगों को सशक्त बनाकर पारदर्शी और जवाबदेह शासन के मार्ग में क्रांति लाते हुए, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ले आई है। नवंबर 2022 तक, पहल, मनरेगा आदि सहित कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं ने 1,010 करोड़ से अधिक सफल लेनदेन के माध्यम से ₹7,66,055.9 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है।[12]
- ***वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना:*** आधार ने ओएनओआरसी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि पीडीएस डेटाबेस की आधार सीडिंग के परिणामस्वरूप फर्जी और नकली लाभार्थियों को समाप्त करने के कारण महत्वपूर्ण बचत हुई है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज वितरण से पीडीएस के लॉजिस्टिक नेटवर्क में सार्थक पारदर्शिता और बैक-ऑफिस सुधार आया है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (पीएमजीकेवाई) के तहत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण ने कोविड महामारी के प्रभाव को बहुत कम कर दिया है, खासकर समाज के सबसे कमजोर और सबसे कमजोर वर्गों के लिए।
- ***पीएम किसान सम्मान निधि:*** आधार ईकेवाईसी के माध्यम से पंजीकरण से लेकर एपीबी के माध्यम से डीबीटी तक, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आधार प्लेटफॉर्म आधार बनाता है।
- ***को-विन:*** को-विन प्लेटफॉर्म के बिना कोविड महामारी का सफल प्रबंधन संभव नहीं था। आधार ने को-विन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक के पारदर्शी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ***चेहरा प्रमाणीकरण:*** प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त साधन के रूप में चेहरे का उपयोग बढ़ रहा है। इससे, विशेष रूप से बुजुर्गों को, पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्टफोन के माध्यम से 'जीवन प्रमाण' प्राप्त करने में मदद मिली है।

[12]स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

आधार पारिस्थितिकी तंत्र

6.25 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को प्रत्येक निवासी व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की भी जिम्मेदारी है कि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में संग्रहीत जानकारी सुरक्षित है और अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग से सुरक्षित है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र में अब निम्नलिखित शामिल हैं (30 नवंबर 2022 तक):

- 66,103 आधार काउंटर और 34,834 चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट डिवाइस काम कर रहे हैं
- 180 सक्रिय रजिस्ट्रार
- 507 सक्रिय नामांकन एजेंसियां
- यूआईडीएआई द्वारा संचालित 88 आधार सेवा केंद्र 72 शहरों में काम कर रहे हैं
- 15,002 ग्रामीण स्तर के उद्यमी जो बैंकिंग प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें आधार अद्यतन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत लगभग 53,750 पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल नंबर अपडेट सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है
- 178 आधार उपयोगकर्ता एजेंसियां
- 169 ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियां

रोजगार प्रवृतियों में सुधार करना

6.26 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित पीएलएफएस जैसे घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से श्रम की आपूर्ति पक्ष से रोजगार के रुझान का अध्ययन किया जा सकता है, और उद्यम या स्थापना सर्वेक्षण जैसे वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से श्रम की मांग पक्ष एमओएसपीआई द्वारा उद्योग (ASI)] श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण, आदि। ये श्रम बाजार और उसके रुझानों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

6.27 श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों को कवर करने वाले आंकड़ों में रोजगार संकेतकों में व्यापक सुधार देखा जा सकता है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं, बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई है, और ग्रामीण एफएलएफपीआर में 19.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018-19 से 2020-21 में 27.7 प्रतिशत। हाल ही के शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से आगे की प्रगति दिखाते हैं क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई।

ईपीएफओ पेरोल में शुद्ध जोड़ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। क्यूईएस के अनुसार वर्ष 2021-22 में नौ प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार में 10 लाख की वृद्धि हुई है। एएसआई 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। एमएसएमई, रेहड़ी-पटरी वालों और विनिर्माण इकाइयों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए कई उपायों को रोजगार के स्तर में लगातार वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और विभिन्न लक्षित योजनाओं और उपायों के माध्यम से नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जैसा कि अध्याय में बाद में विस्तार से बताया गया है। विभिन्न डेटा स्रोतों से उपलब्ध आपूर्ति और मांग पक्ष पर रोजगार के रुझान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

रोजगार का आपूर्ति पक्ष

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

6.28 सामान्य स्थिति के अनुसार[13], श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)[14], पीएलएफएस 2020-21 (जुलाई-जून) में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)[15] और बेरोजगारी दर (यूआर)[16] में पीएलएफएस 2019-20 और 2018-19 की तुलना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुधार हुआ है।

तालिका VI.4: सामान्य स्थिति में रोजगार के रुझान

(प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए

(प्रतिशत)

		ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
पुरुष	एलएफपीआर	55.1	56.3	57.1	56.7	57.8	58.4	55.6	56.8	57.5
	डब्ल्यूपीआर	52.1	53.8	54.9	52.7	54.1	54.9	52.3	53.9	54.9
	यूआर	5.6	4.5	3.9	7.1	6.4	6.1	6.0	5.1	4.5
महिला	एलएफपीआर	19.7	24.7	27.7	16.1	18.5	18.6	18.6	22.8	25.1
	डब्ल्यूपीआर	19.0	24.0	27.1	14.5	16.8	17	17.6	21.8	24.2
	यूआर	3.5	2.6	2.1	9.9	8.9	8.6	5.2	4.2	3.5
व्यक्ति	एलएफपीआर	37.7	40.8	42.7	36.9	38.6	38.9	37.5	40.1	41.6
	डब्ल्यूपीआर	35.8	39.2	41.3	34.1	35.9	36.3	35.3	38.2	39.8
	यूआर	5.0	4.0	3.3	7.7	7.0	6.7	5.8	4.8	4.2

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस 2017-18 से 2020-21, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

6.29 जबकि सामान्य स्थिति में एक वर्ष की लंबी संदर्भ अवधि होती है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस)[18] एक सख्त बेंचमार्क है। यह एक सप्ताह की संदर्भ अवधि के साथ महामारी जैसी घटनाओं के दौरान रोजगार की अवधि में हुए नुकसान को दर्ज कर सकता है। सीडब्ल्यूएस के अनुसार, श्रम बाजार संकेतक 2019-20 (जुलाई-जून) से 2020-21 तक तेजी से ठीक हुए, और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, रोजगार संकेतकों में सुधार हुआ। क्षेत्रवार, जबकि ग्रामीण श्रम बाजार संकेतक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुधार कर रहे हैं, शहरी श्रम बाजार 2020-21 (जुलाई-जून) में पूर्व-कोविड स्तर से थोड़ा पीछे है। हालांकि, हाल की तिमाहियों के लिए उपलब्ध शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही पीएलएफएस रिपोर्ट से संकेत लेते हुए, पूर्व-कोविड स्तरों से परे शहरी श्रम बाजारों की रिकवरी देखी जा सकती है। त्रैमासिक शहरी बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2019 में पूर्व-महामारी के स्तर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई, साथ ही इसी अवधि के दौरान एलएफपीआर 47.3 प्रतिशत से बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गया। जैसा कि पैराग्राफ 6.33 और 6.34 में चर्चा की गई है।

[13]किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार नियोजित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, उसे सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए।

[14]पीएलएफएस के अनुसार, एलएफपीआर काम करने की उम्र वाली आबादी का प्रतिशत है जो काम में लगी हुई है या 'काम' की तलाश के लिए ठोस प्रयास कर रही है या 'काम' के लिए उपलब्ध है, अगर यह उपलब्ध है। 'कार्य' में स्व-रोजगार (निर्वाह कृषि और आत्म-उपभोग के लिए जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह), नियमित मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार, और आकस्मिक श्रम शामिल हैं।

[15]WPR को कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

[16]यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

[17]यह जून, 2022 में जारी किया गया नवीनतम उपलब्ध वार्षिक सर्वेक्षण है।

[18]किसी व्यक्ति को वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार नियोजित रूप में वर्गीकृत करने के लिए, उसे सर्वेक्षण की तारीख से पहले सात दिनों के दौरान कम से कम 1 घंटे के लिए आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए ।

तालिका VI.5: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में रोजगार के रुझान

		ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
पुरुष	एलएफपीआर	75.5	76.7	76.7	73.7	73.8	73.8	74.9	75.8	75.8
	डब्ल्यूपीआर	69.0	70.1	71.2	67.2	66.0	66.8	68.4	68.8	69.9
	यूआर	8.6	8.7	7.1	8.8	10.5	9.4	8.7	9.3	7.8
महिला	एलएफपीआर	22.5	28.3	30.0	19.7	22.1	21.7	21.6	26.3	27.5
	डब्ल्यूपीआर	20.9	26.7	28.6	17.4	19.4	19.0	19.8	24.4	25.7
	यूआर	7.3	5.5	4.8	12.1	12.4	12.2	8.7	7.3	6.6
व्यक्ति	एलएफपीआर	49.1	52.5	53.4	47.1	48.2	48.0	48.5	51.2	51.8
	डब्ल्यूपीआर	45.0	48.4	50.0	42.7	43.0	43.1	44.3	46.7	47.9
	यूआर	8.3	7.8	6.5	9.5	11.0	10.1	8.7	8.8	7.5

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस 2017-18 से 2020-21, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
टिप्पणी: 2020-21 जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2019-20 और 2018-19 के लिए

6.30 रोजगार में व्यापक स्थिति के अनुसार, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी बढ़ी और नियमित वेतन/वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की प्रवृत्ति से प्रेरित है। ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा संचालित आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है।

चित्र VI.3: व्यापक रोजगार स्थिति में रुझान (व्यक्ति, ग्रामीण+शहरी)

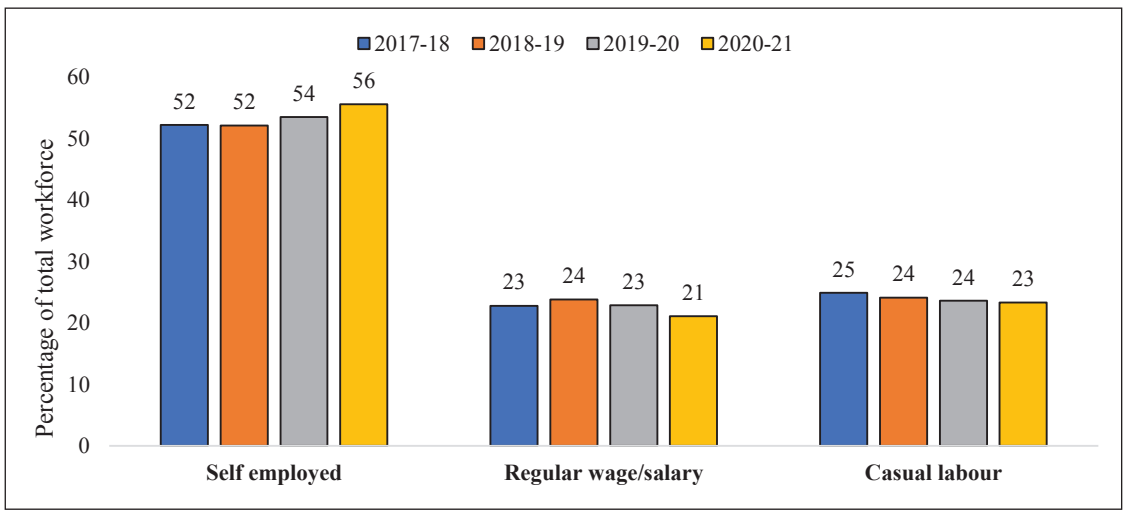

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस, एमओएसपीआई

6.31 कार्य उद्योग के आधार पर, कृषि में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी 2019-20 में 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 46.5 प्रतिशत हो गई, विनिर्माण की हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत से घटकर 10.9 प्रतिशत हो गई, इसी अवधि में निर्माण का हिस्सा 11.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया, और व्यापार, होटल और रेस्तरां का

हिस्सा 13.2 प्रतिशत से घटकर 12.2 प्रतिशत हो गया। यह विनिर्माण और सेवा रोजगार पर कोविड के प्रभाव का कारण हो सकता है (2020-21 डेटा में जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि शामिल है), जबकि इस अवधि के दौरान कृषि विकास मजबूत रहा। एफएलएफपीआर में वृद्धि (सामान्य स्थिति के लिए 2017-18 से 2020-21 में 9.5 प्रतिशत अंक (पीपी) की वृद्धि और सीडब्ल्यूएस के लिए 8.3 पीपी) रोजगार के लैंगिक पहलू का एक सकारात्मक विकास है, जो बढ़ते ग्रामीण विकास के कारण हो सकता है। महिलाओं के समय को देकर ग्रामीण सुविधाओं में वृद्धि, और वर्षों में उच्च कृषि विकास हो सकते हैं। बॉक्स VI-2 एफएलपीएफआर के माप पहलुओं पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

चित्र VI.4: महिला श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव

(2017-18की तुलना में 2020-21; सामान्य स्थिति, सभी आयु)

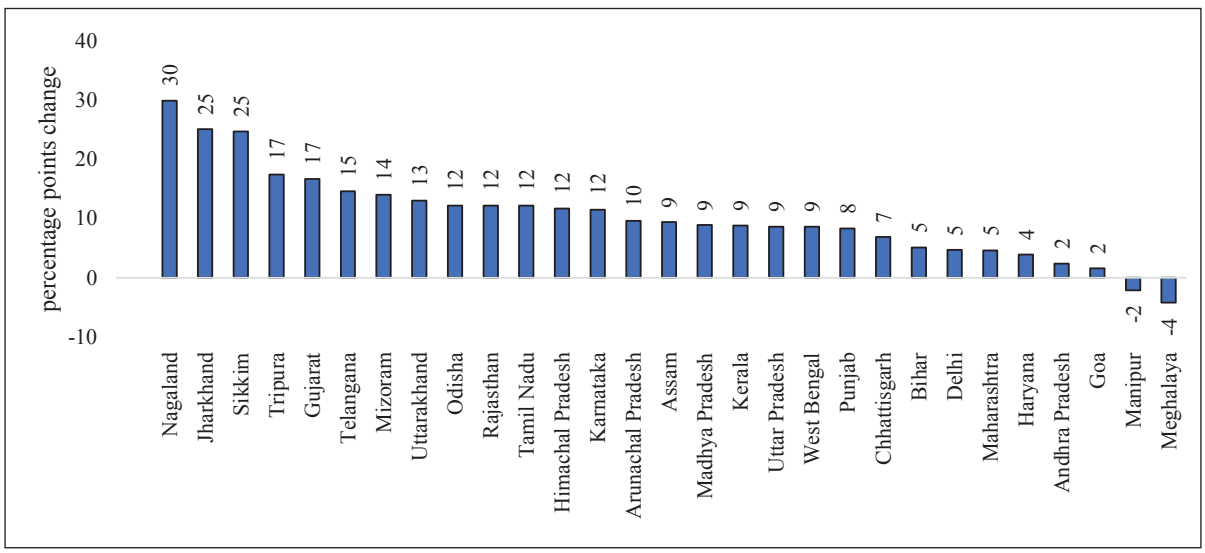

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

बॉक्स: VI-2: महिला श्रम बल भागीदारी दर में माप के मुद्दे

भारतीय महिलाओं के कम एलएफपीआर की आम कहानी घरेलू और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को याद करती है। सर्वेक्षण डिजाइन और सामग्री के माध्यम से रोजगार का माप अंतिम एलएफपीआर अनुमानों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है, और यह पुरुष एलएफपीआर की तुलना में महिला एलएफपीआर को मापने के लिए अधिक मायने रखता है। यहां, तीन मुख्य माप मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है: अत्यधिक व्यापक श्रेणियां, श्रम बल की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए एक ही प्रश्न पर निर्भरता, और उत्पादक कार्य को श्रम बल की भागीदारी तक सीमित करने का संकीर्ण दृष्टिकोण।

अत्यधिक व्यापक श्रेणियों का उपयोग घरेलू कर्तव्यों के साथ उत्पादक कार्य (जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह) को जोड़ना: अत्यधिक व्यापक श्रेणियों का उपयोग जो घरेलू कार्यों के साथ उत्पादक कार्य (जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह) को एक साथ जोड़ सकता है श्रम बल में महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात को श्रम-बल से बाहर की श्रेणी में स्थानांतरित करना। उदाहरण के लिए, जब तक प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को मुख्य गतिविधि के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तब तक पीएलएफएस प्रश्नावली उन महिलाओं को वर्गीकृत करेगी जो घरेलू गतिविधियों और प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन/संग्रह दोनों को श्गतिविधि कोड 93,[19] में वर्गीकृत करती हैं और इस प्रकार आउट-ऑफ-द-श्रम बल।

[19]एनएसएसओ सर्वेक्षण प्रश्नावली में, प्रत्येक घर के सदस्य को उनकी प्राथमिक गतिविधि के अनुसार गतिविधि स्थिति कोड सौंपे जाते हैं। गतिविधि कोड 93 "घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए और घरेलू उपयोग के लिए सामान (सब्जी, जलाऊ लकड़ी, पशु चारा, आदि), सिलाई, आदि के मुफ्त संग्रह में लगे हुए" को संदर्भित करता है।

गतिविधि कोड 93 में महिलाओं के अनुपात को आधिकारिक LFPR में जोड़ने से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए वित्त वर्ष 21 के लिए 46.2 प्रतिशत की 'संवर्धित महिला LFPR * प्राप्त होती है, जो पारंपरिक परिभाषा (सामान्य के लिए PLFS डेटा) द्वारा अनुमानित 32.5 प्रतिशत से बहुत अधिक है। दर्जा)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के एक शोध पत्र[20], में इसी तरह का प्रयास किया गया है, जो 2012 के लिए भारत में 56.4 प्रतिशत महिला एलएफपीआर पर पहुंचा है, जबकि 2012 के लिए यह 31.2 प्रतिशत के बहुत कम आधिकारिक अनुमान के मुकाबले है।

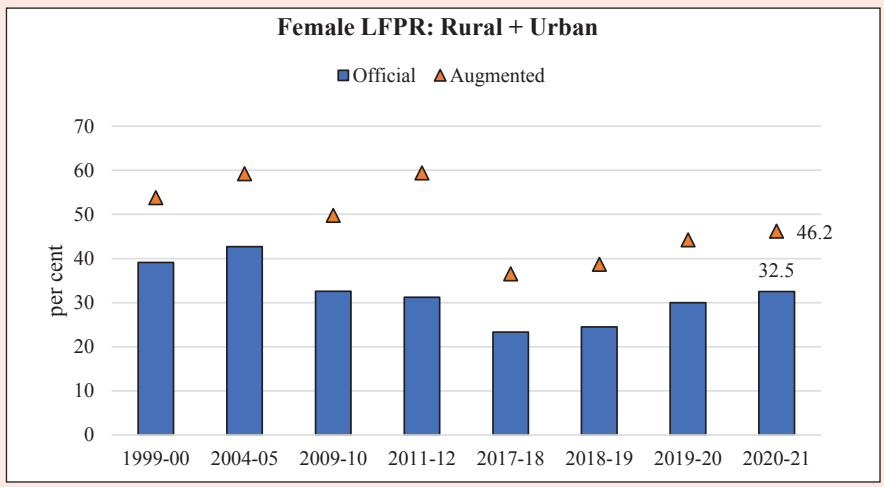

स्रोत: 1999-00 से 2011-12 के लिए एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण (एनएसएस-ईयूएस), 2017-18 से 2011-12 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)।
नोट: 1. सामान्य गतिविधि (पीएस+एसएस) स्थिति (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए) प्रतिशत में 2. एनएसएस-ईयूएस और पीएलएफएस की तुलना अलग-अलग सैंपलिंग वेट, फ्रीक्वेंसी और डेटा कलेक्शन तकनीकों को देखते हुए नहीं की जा सकती है।

पीएलएफएस प्रश्नावली में कोई पुनर्प्राप्ति प्रश्न नहीं: सर्वेक्षण डिजाइन मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति की स्थिति को मापने के लिए एक प्रश्न पर निर्भर करता है, जो बड़ी ग्रामीण आबादी और साक्षरता के स्तर पर विचार करते हुए स्व-रिपोर्टिंग में किसी भी त्रुटि को सुधारने की गुंजाइश को समाप्त कर देता है। आईएलओ की सिफारिशों के विपरीत, पीएलएफएस प्रश्नावली में व्यक्तियों की श्रम शक्ति की स्थिति की दोबारा जांच करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रश्न ('पुनप्राप्ति प्रश्न') नहीं हैं, यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि व्यक्ति पहली बार में स्वयं की पहचान कैसे करता है। प्स्ठ कई जांच या ?नप्राप्ति प्रश्नों का उपयोग करने की स्फिारिश करता है जैसे ष्क्या व्यक्ति ने पारिवारिक व्यवसाय में मदद की' और 'क्या व्यक्ति ने पिछले 1 सप्ताह/वर्ष में अपने व्यवसाय में काम किया'' और ''क्या व्यक्ति ने नौकरी में परिवार की मदद की''।

श्रीलंका[21] में विश्व बैंक और आईएलओ के एक अध्ययन में, इस तरह के पद्धतिगत मुद्दों को महिला रोजगार-से-जनसंख्या अनुपात के एक प्रतिशत बिंदु के करीब कम करके आंका गया।

[20]कैप्सोस, एस., बोरमपोला, ई., सिल्बरमैन, ए. (2014), 'क्यों भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में इतनी तेजी से गिरावट आ रही है?', आईएलओ शोध पत्र संख्या 10

[21]डिस्केंजा, ए., गद्दीस, आई., पलासियोस-लोपेज, ए., वॉल्श, के. (2021)। महिलाओं और पुरुषों के काम को मापना: श्रीलंका में एक संयुक्त आईएलओ और विश्व बैंक अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष।

[22]2013 में श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने 'कार्य' के रूप में वर्गीकृत उत्पादक गतिविधियों के सेट का विस्तार करने के लिए मानदंडों का एक नया सेट अपनाया, जिसमें किसी भी लिंग और आयु के व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने या दूसरों द्वारा उपयोग के लिए सेवाएं प्रदान करने या स्वयं के उपयोग के लिए की गई कोई भी गतिविधि शामिल है। कार्य की परिभाषा सामान्य उत्पादन सीमा के साथ संरेखित की गई है, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 में परिभाषित किया गया है, जिसमें स्वयं का उपयोग उत्पादन कार्य और स्वयंसेवी कार्य शामिल हैं।

'रोजगार' के साथ-साथ कार्य का मापन: मापन कार्य के क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जो रोजगार के साथ-साथ उत्पादक गतिविधियों के पूरे ब्रह्मांड का गठन करता है। नवीनतम प्स्व् मानकों[22] के अनुसार, उत्पादक कार्य को श्रम बल की भागीदारी तक सीमित करना संकीर्ण है और केवल उपाय ही बाजार उत्पाद के रूप में काम करते हैं। इसमें महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य का मूल्य शामिल नहीं है, जिसे व्यय-बचत कार्य जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना आदि के रूप में देखा जा सकता है, और यह घरेलू जीवन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कहा गया कि, श्रम बाजार में शामिल होने के लिए महिलाओं की स्वतंत्र पसंद को सक्षम करने के लिए लिंग-आधारित नुकसान को दूर करने के लिए और भी महत्वपूर्ण गुंजाइश है। इस प्रकार, ''कार्य'' के एक संपूर्ण मापन के लिए पुन: डिजाइन किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से बेहतर परिमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

6.32 यह देखा जा सकता है कि 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका तात्पर्य कृषि से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने और रोजगार सृजित करने की आवश्यकता से है। यहां, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण महिलाओं की क्षमता को वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण, और कौशल विकास के ठोस विकासात्मक परिणामों में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि बॉक्स VI-3 में चर्चा की गई है।

बॉक्स: VI-3: महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका

स्व-सहायता समूह (एसएचजी)[23] आंदोलन, समूह एकजुटता और माइक्रोइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है, भारत में किसी न किसी रूप में 50 वर्षों से अस्तित्व में है, 1972 से जिसकी जड़ें स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) के गठन से जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूहों की परिवर्तनकारी क्षमता ने कोविड- 19 की जमीनी प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से उदाहरण के तौर पर, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य किया है।

भारत में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं, जिनमें 88 प्रतिशत संपूर्ण महिला एसएचजी हैं। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल (एमएवीआईएम) और हाल ही में लूम्स ऑफ लद्दाख शामिल हैं।

1992 में शुरू की गई एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना (एसएचजी - बीएलपी) दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है। एसएचजी आंदोलन, जो अब अपने 30वें वर्ष में है, छोटे और सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरा है। वर्तमान में, बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। बैंकों से ऋण लेने के लिए इन्हें नियमित बैठकों, नियमित बचतों, नियमित अंतर ऋण, समयानुसार पुनर्भुगतान और लेखों की अद्यतित पुस्तकों के 'पंचसूत्र' का अभ्यास करना होता है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एसएचजी - बीएलपी में ₹47,240.5 करोड़ की बचत राशि वाले 119 लाख एसएचजी के माध्यम से 14.2 करोड़ परिवार शामिल है 31 मार्च 2022 तक ₹1,51,051. 30 करोड़ के बकाया संपार्श्विक - मुक्त ऋण वाले 67 लाख समूह शामिल हैं। पिछले दस वर्षों (वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22) के दौरान एसएचजी क्रेडिट लिंक्ड की संख्या 10.8 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ी है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति एसएचजी क्रेडिट संवितरण 5.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा है। विशेष रूप से, स्वयं सहायता समूहों का बैंक पुनर्भुगतान 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

[23]एसएचजी अधिकतम 20 व्यक्तियों का एक सामाजिक और आर्थिक समरूप समूह है जो बचत और क्रेडित के सामूहिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से बनाया गया है साथ ही इसमें संपार्श्विक रूप से ऋणों और क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई आग्रह नहीं किया जाता है।

Table: Progress under SHG-Bank Linkage Programme
(2019-20 to 2021-22)
(Number in lakh/Amount in ₹ crore)

Particulars		2019-20		2020-21		2021-22	
		No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount
SHG Savings with Banks as of 31st March	Total SHG Nos.	102.4 (2.3)	26152.1 (12.1)	112.2 (9.6)	37477.6 (43.3)	118.9 (5.9)	47240.5 (26.1)
	All women SHGs (W)	88.3 (3.5)	23320.6 (13.9)	97.3 (10.1)	32686.1 (40.2)	104.1 (7.0)	42104.8 (28.8)
	% of W	86.2	89.2	86.7	87.2	87.5	89.1
	DAY-NRLM SHGs	57.9 (3.8)	14312.7 (11.2)	64.8 (11.9)	19353.7 (35.2)	71.8 (10.9)	27576.9 (42.5)
Loans Disbursed to SHGs during the year	Total No. of SHGs extended loans.	31.5 (16.6)	77659.4 (33.2)	28.9 (-8.2)	58070.7 (-25.2)	33.9 (17.7)	99729.2 (71.7)
	All women SHGs (W)	28.8 (21.9)	73297.6 (37.6)	25.9 (-10.2)	54423.1 (-25.8)	31.5 (21.6)	93817.2 (72.4)
	% of W	91.7	94.4	89.7	93.7	92.7	94.1
	DAY-NRLM SHGs	20.5 (24.3)	52183.7 (56.2)	15.8 (-22.7)	29643.0 (-43.2)	22.9 (44.6)	63100.8 (112.9)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी दर्शाते हैं)

स्रोत: नाबार्ड

एसएचजी का प्रभाव: सशक्त महिला, सशक्त गाँव

महिलाओं के आर्थिक एसएचजी से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही विभिन्न तरीकों से प्राप्त सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पैसे को संभालने, वित्तीय निर्णय लेने, बेहतर सामाजिक नेटवर्क[24], संपत्ति का स्वामित्व[25] और आजीविका विविधीकरण के बारे में जानकारी[26]

डीएवाई – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है, (विवरण के लिए पैरा 6.104 देखें) के हालिया[27] आकलन के अनुसार, प्रतिभागियों और पदाधिकारियों, दोनों ने महिला सशक्तिकरण, आत्म-सम्मान वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, कम हुई सामाजिक बुराइयों से संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम के उच्च प्रभावों को महसूस किया; और इसके अतिरिक्त, बेहतर शिक्षा, ग्रामीण संस्थानों में उच्च भागीदारी और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में मध्यम प्रभाव पड़ा है।

कोविड-19 प्रतिक्रिया: एसएचजी की क्षमता का उदाहरण

स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार का कोविड-19 पैकेज

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक – मुक्त

[24]ब्रॉडी, सी, डी हूप, टी, वोज्तकोवा, एम, वॉर्नौक, आर, डनबर, एम, मूर्ति, पी और ड्वोर्किन, एसएल (2016)। 'महिला सशक्तिकरण में सुधार के लिए आर्थिक स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम: एक व्यवस्थित समीक्षा', 3आई व्यवस्थित समीक्षा। लंदन: प्रभाव मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल (3पम)

[25]दत्ता, यू. (2015). 'जीविका के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: बिहार, भारत में एक बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह परियोजना', विश्व विकास, 68:1-18।

[26]पांडे, वी., गुप्ता, ए., और गुप्ता, एस. (2019)। 'बड़े पैमाने पर आजीविका कार्यक्रम के श्रम और कल्याण प्रभाव: भारत से अर्ध-प्रायोगिक साक्ष्य', पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नंबर 8883, विश्व बैंक।

[27]आईआरएमए (2017)। ''डीएवाई-एनआरएलएम के डिजाइन, रणनीतियों और प्रभावों का स्वतंत्र आकलन''

ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया। इससे 63 लाख महिला एसएचजी और 6.85 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।

- एनआरएलएम ने कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लिए ग्राम संगठनों (वीओ) को ₹1.5 लाख की अतिरिक्त भेद्यता न्यूनीकरण निधि की अनुमति दी है।

कोविड के दौरान एसएचजी की कार्रवाई

महामारी के वर्षों ने एसएचजी महिलाओं को एकजुट करने, उनकी समूह पहचान को उत्कृष्ट बनाने और सामूहिक रूप से संकट प्रबंधन में योगदान देने की दिशा में एक अवसर के रूप में काम किया। वे संकट प्रबंधन में प्रमुख प्लेयर के रूप में उभरे, मास्क (असम में गामुसा मास्क जैसे सांस्कृतिक रूपों के साथ), सैनिटाइटर, और सुरक्षात्मक गियर के उत्पादन में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने (जैसे झारखंड की पत्रकार दीदी), माल के लिए आवश्यक रुप से वितरित करने माल (जैसे केरल में फ्लोटिंग सुपरमार्केट), सामुदायिक रसोई चलाने (जैसे उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कैंटीन), कृषि आजीविका का समर्थन करने (जैसे पशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए पशु सखी, झारखंड में सब्जियों के लिए आजीविका ग्रार्म फ्रेश ऑनलाइन बिक्री और वितरण तंत्र), और डळछत्म्ळै (यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में) के साथ अभिसरण करने और वित्तीय सेवाओं के वितरण में अग्रणी होकर भाग लिया (जैसे बैंक सखियों ने कोविड - राहत डीबीटी नकद हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए बैंक भीड़ का प्रबंधन किया)। एसएचजी द्वारा मास्क का उत्पादन एक उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों द्वारा मास्क की पहुंच बनाने और उपयोग करने में सक्षम बनाया तथा कोविड- 19 वायरस के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। 4 जनवरी 2023 तक, डीएवाई - एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा 16.9 करोड़ से अधिक मास्क का उत्पादन किया गया था।

आगे का रास्ता (वे फॉरवार्ड)

अंतिम मील तक उनकी पहुंच, समुदायों के विश्वास और एकजुटता को लाने की क्षमता, स्थानीय गतिशीलता का ज्ञान, और सदस्यों के आर्थिक गतिविधियों के एकत्रीकरण के माध्यम से सरल उत्पादों और सेवाओं का तेजी से विनिर्माण क्षमता के कारण एसएचजी समग्र ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सुव्यवस्थित है। कोविड समेत अनेक संकटों की अवधि में उनके लोच और लचीलेपन का दर्शाने के लिए लंबे समय तक चलने वाले ग्रामीण परिवर्तन को नियमित करने की आवश्यकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, एसएचजी आंदोलन को तीव्र करने में अंतर - क्षेत्रीय असमानता का पता करना, एसएचजी सदस्यों को सूक्ष्म - उद्यमियों में शामिल करना, उत्पादों और सेवाओं में मूल्य श्रृंखला को ऊपर ले जाने के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कौशल विकास, और एसएचजी छत्र के तहत कम से कम विशेषाधि कार प्राप्त करना शामिल हैं।

शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही पीएलएफएस

6.33 शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही स्तर पर एमओएसपीआई द्वारा संचालित पीएलएफएस जुलाई-सितंबर 2022 तक उपलब्ध है। सीडब्ल्यूएस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में सभी प्रमुख श्रम बाजार संकेतक क्रमिक रूप से और पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाते हैं। जुलाई-सितंबर 2022 में श्रम भागीदारी दर एक साल पहले के 46.9 प्रतिशत से बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में श्रमिक - जनसंख्या अनुपात 42.3 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो गया। बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2021 में 9.8 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रवृत्ति से यह पता लगता है कि श्रम बाजार कोविड के प्रभाव से उबर चुके हैं।

चित्र VI.5: त्रैमासिक शहरी रोजगार संकेतक

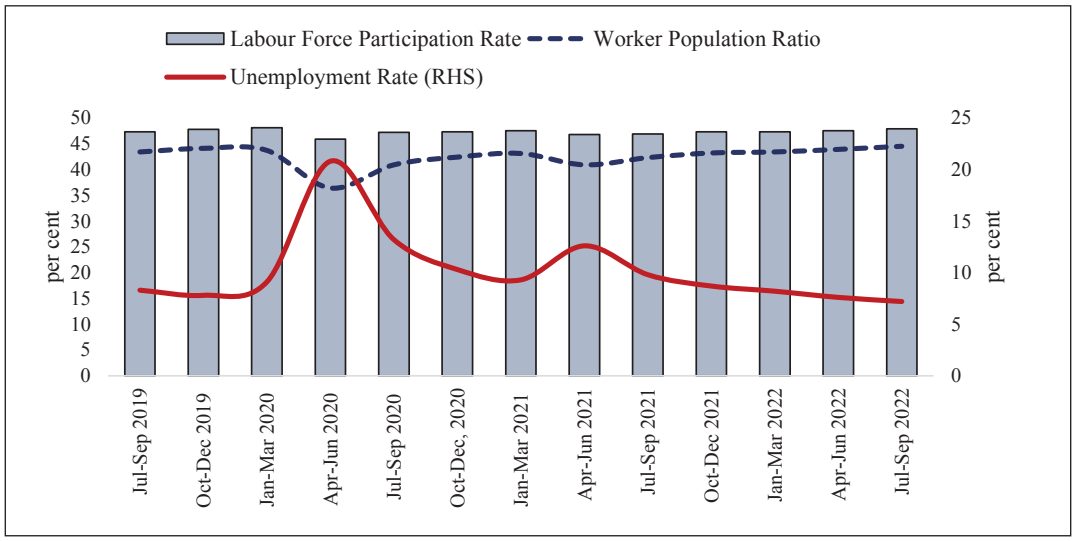

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

6.34 जुलाई-सितंबर 2022 में रोजगार की व्यापक स्थिति के लिए शहरी कार्यबल की संरचना पिछली चार तिमाहियों में स्थिर रही है, जिसमें स्वरोजगार की हिस्सेदारी 39.7 प्रतिशत, नियमित वेतन / वेतनभोगी 48.7 प्रतिशत और अनियत श्रम 11.6 प्रतिशत है। जुलाई - सितंबर 2022 में कार्य उद्योग में समान स्थिरता दिखाई दे रही है, जुलाई-सितंबर 2022 में द्वितीयक क्षेत्र में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी 33.4 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60.9 प्रतिशत रही।

रोजगार का मांग पक्ष

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)

6.35 श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)में नौ प्रमुख क्षेत्रों के दस या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं अर्थात विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी / बीपीओ और वित्तीय सेवाएं। एमओएसपीआई द्वारा आयोजित 6वीं आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार, इन नौ क्षेत्रों के दस या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान कुल रोजगार का लगभग 83 प्रतिशत है।

6.36 अब तक क्यूईएस के चार दौर के नतीजे जारी किए जा चुके हैं, जिसमें वित्त वर्ष 22[28] की चार तिमाहियों को शामिल किया गया है द्य क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी से मार्च 2022) तक नौ चयनित क्षेत्रों का अनुमानित कुल रोजगार 3.2 करोड़ रहा, जो क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल - जून 2021) से अनुमानित रोजगार से लगभग दस लाख अधिक है।

वित्तीय वर्ष 22 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही तक श्रमिकों के अनुमान में वृद्धि आईटी/ बीपीओ (17.6 लाख), स्वास्थ्य (7.8 लाख), और शिक्षा (1.7 लाख) जैसे क्षेत्रों में बढ़ते डिजिटलीकरण और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के कारण हुई थी।

6.37 नियोजन के संबंधा में सभी क्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों की बहुमत रहा जो 21-22 की चौथी तिमाही के कुल कार्यबल का 26.4: है। निर्माण (12.4:) एवं विनिर्माण (19.0:) को छोड़कर अन्य 9 क्षेत्रों के कार्य बल में संविदागत कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

[28]क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) पर नवीनतम रिपोर्ट सितंबर 2022 में जारी की गई थी।

इसके अलावा, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण क्यूईएस के चौथे दौर में नियोजित कुल में से 98.0 प्रतिशत कर्मचारी हैं जबकि 1.9 प्रतिशत स्व-नियोजित हैं। लिंग के आधार पर, कुल अनुमानित नियोजित में से 31.8 प्रतिशत महिलाएं हैं और 68.2 प्रतिशत पुरुष हैं।

चित्र VI.6: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या (वित्त वर्ष 22 में, लाख में)

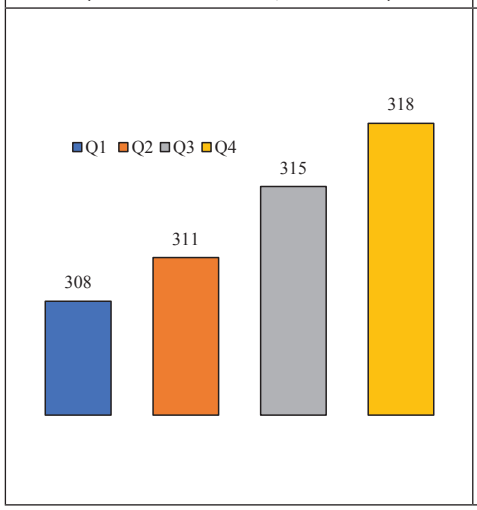

चित्र VI.7: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार कुल रोजगार का क्षेत्रवार हिस्सा (वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में; प्रतिशत में)

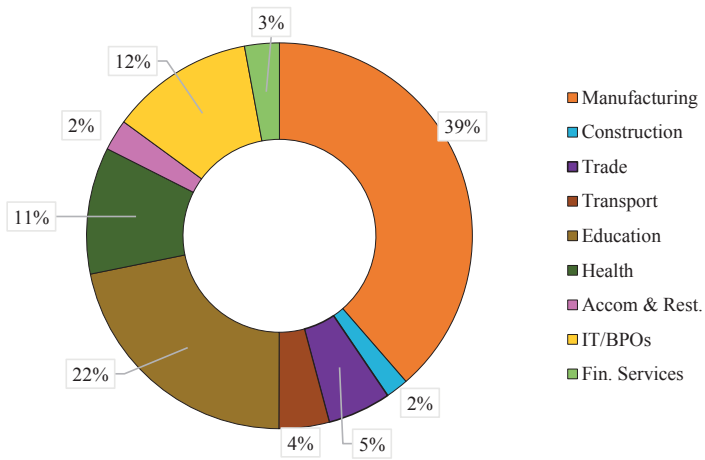

स्रोत: त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो

तालिका VI.6: क्यूईएस के अनुसार क्षेत्रवार श्रमिकों की अनुमानित संख्या

सेक्टर्स	अप्रैल-जून, 2021	जुलाई-सितंबर, 2021	अक्टूबर-दिसंबर, 2021	जनवरी-मार्च, 2022
विनिर्माण	125.2	121.4	124.0	122.5
निर्माण	7.4	6.1	6.2	6.1
व्यापार	20.4	16.5	16.8	17.0
यातायात	13.4	14.4	13.2	13.3
शिक्षा	67.3	68.5	69.3	69.0
स्वास्थ्य	26.0	33.5	32.9	33.8
आवास और रेस्तरां	8.9	7.8	8.1	8.2
आईटी / बीपीओ	20.7	33.2	34.6	38.3
वित्तीय सेवाएं	17.4	8.7	8.9	9.1
संपूर्ण	308.2	310.6	314.5	318.0

स्रोत: क्यूईएस रिपोर्ट्स, लेबर ब्यूरो

तालिका VI.7: रोजगार की शर्तों के अनुसार श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण (त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार)। (प्रतिशत, जनवरी-मार्च 2022 के लिए)

सेक्टर्स	स्वनियोजित	नियमित (अनुबंध पर नहीं) कर्मचारी	संविदा कर्मचारी	निश्चित अवधि के कर्मचारी	आकस्मिक कर्मचारी
विनिर्माण	2.5	80.2	12.4	1.0	4.0
निर्माण	1.3	73.4	19.0	0.5	5.7
व्यापार	4.2	90.1	3.5	0.3	2.0
यातायात	0.6	91.9	5.1	0.6	1.8
शिक्षा	1.2	91.1	6.4	0.5	0.8
स्वास्थ्य	0.6	89.0	9.1	0.5	0.9
आवास	6.7	84.5	5.2	0.6	3.0
और रेस्तरां	6.7	84.5	5.2	0.6	3.0
आईटी / बीपीओ	0.1	94.7	4.8	0.0	0.4
वित्तीय	**2.0**	**86.4**	**8.7**	**0.7**	**2.3**
सेवाएं	6.4	87.7	1.9	0.4	3.6
संपूर्ण	2.0	86.4	8.7	0.7	2.3

स्रोत: क्यूईएस रिपोर्ट्स, लेबर ब्यूरो

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2019-20[29]

6.38 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित एएसआई, अर्थव्यवस्था के पंजीकृत संगठित विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) और 2एम (ii) के तहत पंजीकृत सभी कारखाने शामिल हैं, यानि वे कारखाने जो बिजली का उपयोग कर दस या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं; और वे कारण से जो बिजली का उपयोग किए बिना बीस या अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हैं।

6.39 नवीनतम एएसआई वित्त वर्ष 20 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ लगातार प्रगति की है, साथ ही प्रति फैक्ट्री रोजगार धीरे - धीरे बढ़ रहा है। रोजगार की हिस्सेदारी (कुल नियुक्त व्यक्ति) के संदर्भ में, खाद्य उत्पाद उद्योग (11.1 प्रतिशत) सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहा, इसके बाद परिधान (7.6 प्रतिशत), बुनियादी धातुएं (7.3 प्रतिशत), और मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध- ट्रेलर (6.5 प्रतिशत) द्य राज्य - वार, तमिलनाडु के कारखानों में लगे लोगों की सबसे बड़ी संख्या (26.6 लाख), इसके बाद गुजरात (20.7 लाख), महाराष्ट्र (20.4 लाख), उत्तर प्रदेश (11.3 लाख) और कर्नाटक (10.8 लाख) का स्थान है।

[29]एएसआई 2019-20 के नतीजे 2022 में जारी किए गए थे।

चित्र VI.8: एएसआई के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कारखानों में लगे कुल व्यक्ति (वित्तीय वर्ष 20 में)

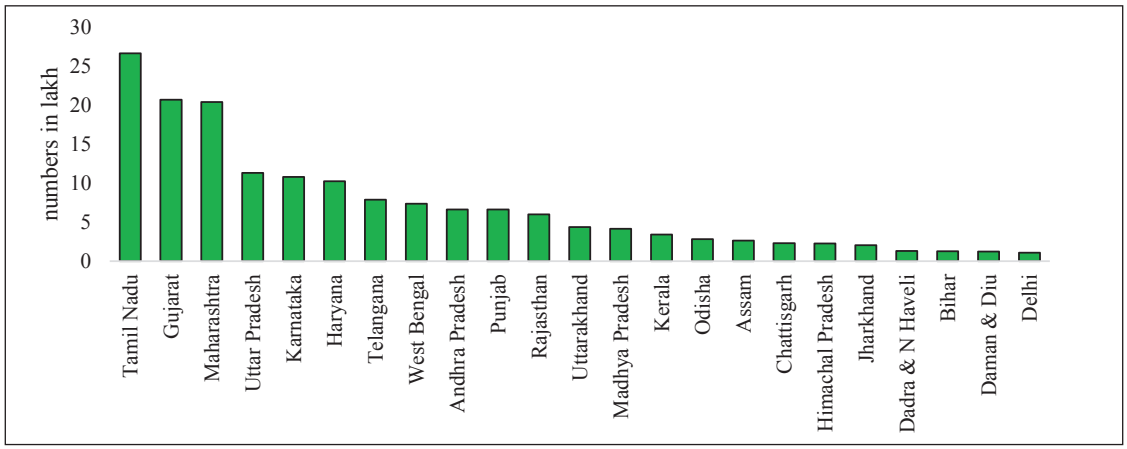

स्रोत: एएसआई, एमओएसपीआई

नोट: जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कम से कम एक लाख लोग फैक्ट्री क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें चार्ट में दिखाया गया है।

6.40 रोजगार के आकार के संदर्भ में, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कम रोजगार आकार वाले कारखानों की बड़ी संख्या और उच्च रोजगार देने वाले कारखानों की संख्या में विषमता है। उदाहरण के लिए, अनुमानित 1,98,628 फैक्ट्रियों में से 1,34,577 फैक्ट्रियों में 50 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। हालाँकि, लगे हुए व्यक्तियों का वितरण अधिक संतुलित और एक समान है, जिसमें बड़े कारखाने बड़े हिस्से का रोजगार देते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यरत कुल व्यक्तियों में से 77.3 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे कारखानों में हैं जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। समय के साथ, छोटे कारखानों की व्यापक रूप से श्रमिकों की स्थिर संख्या की तुलना में उनकी संख्या वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 20 तक की अवधि में जो 12.7 प्रतिशत बढी है। 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले बड़े कारखानों की ओर एक स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है, वित्त वर्ष - 17 और वित्त वर्ष 20 के बीच, बड़े कारखानों में लगे कुल व्यक्तियों की संख्या में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छोटे कारखानों में यह 4.6 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, कारखानों की कुल संख्या में बड़े कारखानों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 17 में 18 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 19.8 प्रतिशत हो गई है और कार्यरत कुल व्यक्तियों में उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017 में 75.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 77.3 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार, श्रमिकों और कुल व्यक्तियों के रुझान के संदर्भ में, छोटे कारखानों की तुलना में बड़े कारखानों (100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले) में रोजगार बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाईयों को बढ़ाने का सुझाव देता है।

चित्र VI.9: एएसआई के अनुसार कारखानों में रोजगार के रुझान

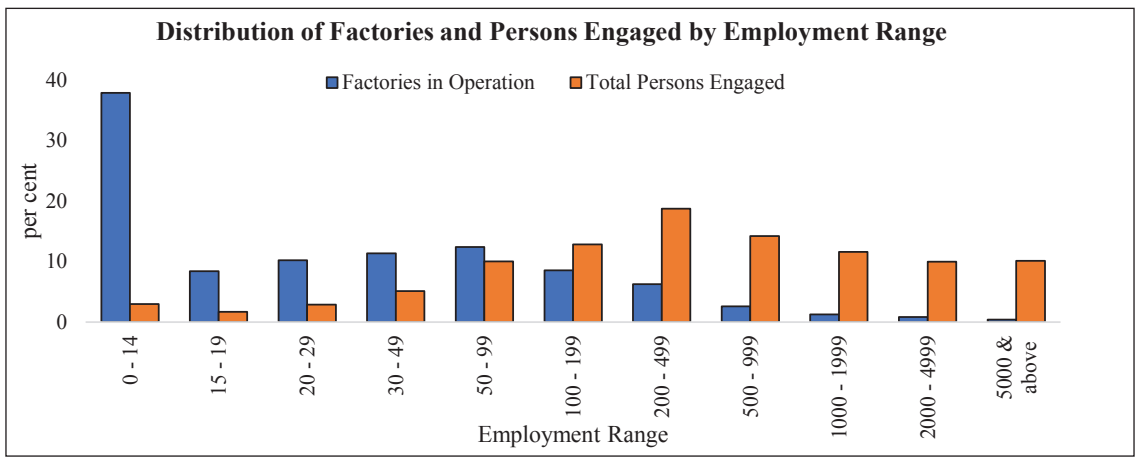

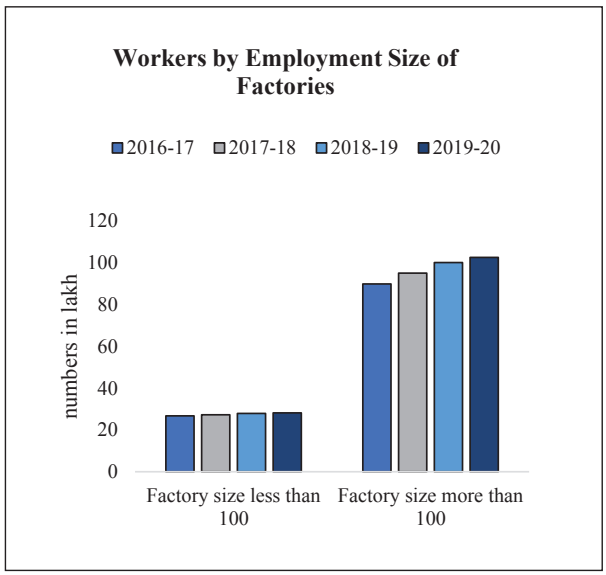

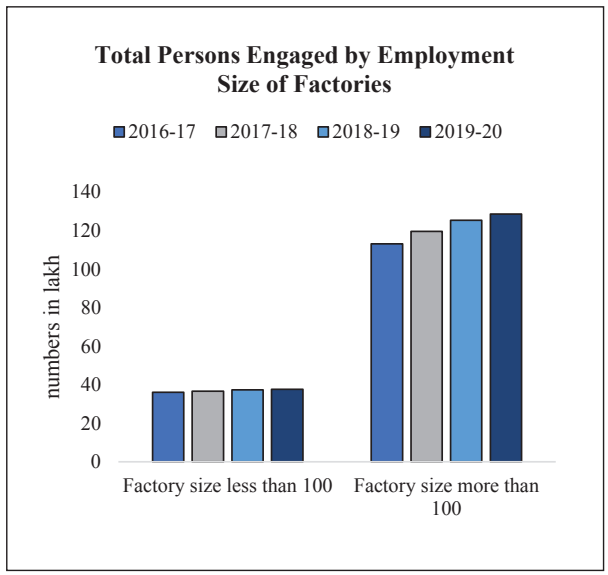

स्रोत: एएसआई, एमओएसपीआई

औपचारिक रोजगार

6.41 रोजगार सृजन के साथ - साथ रोजगार में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस मार्ग को अपनाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए पेरोल डेटा ने आंकी गई संगठित क्षेत्र में नौकरी बाजार की स्थितियां, सभी योजनाओं में श्रम बाजार में सुधार की दिशा में सरकार की पहल के लाभों को दर्शाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़े पेरोल वृद्धि में साल-दर-साल लगातार वृद्धि का संकेत देते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ औपचारिकता में सुधार की ओर इशारा करता है। वित्त वर्ष 22 के दौरान ईपीएफ अंशदान में शुद्ध वृद्धि वित्त वर्ष 21 की तुलना में 58.7 प्रतिशत अधिक थी और पूर्व - महामारी वर्ष 2019 की तुलना में 55.7 प्रतिशत अधिक थी। वित्त वर्ष 23 में, ईपीएफओ के तहत जोड़े गए शुद्ध औसत मासिक ग्राहक अप्रैल - नवंबर 2021 में 8.8 लाख से बढ़ कर अप्रैल - नवंबर 2022 में 13.2 लाख हो गए।

6.42 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, कोविड-19 रिकवरी चरण में रोजगार सृजन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने और महामारी के दौरान खोए हुए रोजगार की बहाली के लिए। अक्टूबर 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) को औपचारिक क्षेत्र के पेरोल में तेजी से वृद्धि का श्रेय दिया जा सकता है। जनवरी 2023 तक, योजना के तहत कुल पंजीकरण 75.1 लाख है, और 1.5 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.2 लाख लाभार्थियों को कुल 8,210 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।

6.43 इसी अवधि के लिए ईएसआईसी के तहत औसत मासिक ग्राहक वृद्धि 11.9 लाख से बढ़कर 14.4 लाख हो गई। इसी तरह, एनपीएस के तहत, 'अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के लिए औसत मासिक शुद्ध सदस्यता 2021 में 61.9 हजार से बढ़कर 2022 में 63.2 हजार हो गई।[31]

[31]पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से डेटा।

चित्र VI.10: ईपीएफओ में ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि (लाख में)

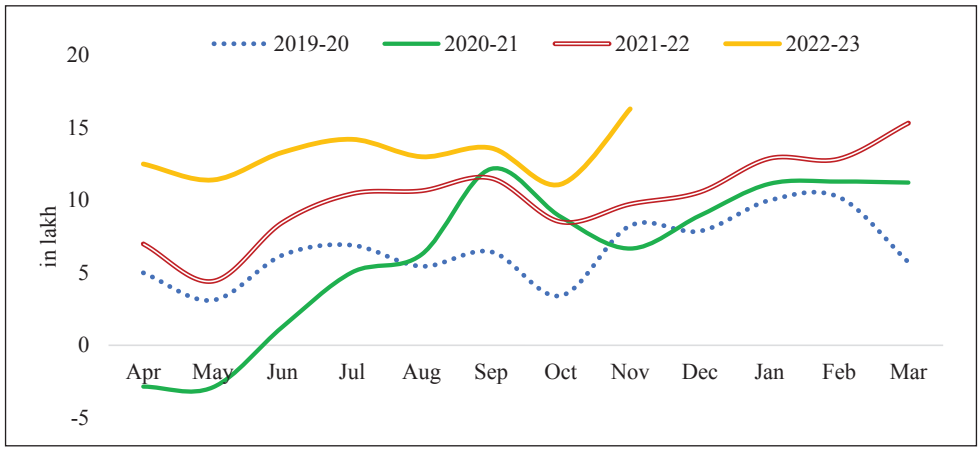

स्रोत: ईपीएफओ

नोट: पेरोल में शुद्ध वृद्धि = नए ग्राहकों की संख्या + बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या जो फिर से शामिल हो गए - बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या।

6.44 औद्योगिक संरचना के संदर्भ में, विशेषज्ञ सेवाएं (जनशक्ति एजेंसियों, निजी सुरक्षा एजेंसियों और छोटे ठेकेदारों आदि को मिलाकर) ईपीएफओ पेरोल वृद्धि (वित्त वर्ष 23, अप्रैल - नवंबर में 41.1 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (6.9 प्रतिशत) है। सभी आयु समूहों में, 18-25 वर्ष के आयु समूह ने अप्रैल - नवंबर 2022 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में 48.5 प्रतिशत का योगदान दिया। लगभग 62.7 प्रतिशत शुद्ध पेरोल वृद्धि 29 वर्ष से कम आयु (इसी अवधि में) में हुई।), संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां मुख्य रूप से युवाओं को मिली हैं। 18-25 वर्ष आयु वर्ग में, महाराष्ट्र (21.4 प्रतिशत), कर्नाटक (12.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (10.9 प्रतिशत), हरियाणा (9.0 प्रतिशत), गुजरात (8.4 प्रतिशत), और दिल्ली (7.6 प्रतिशत) प्रतिशत) ने अप्रैल - नवंबर 2022 में शुद्ध पेरोल में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान दिया।

तालिका VI.8: सभी आयु समूहों में मुख्य उद्योगों के लिए ईपीएफओ पेरोल डेटा *(लाख में)*

उद्योग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल-नवंबर)	2022-23 में : हिस्सा
विशेषज्ञ सेवाएं	35.2	37.0	51.7	43.4	41.1
व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	5.2	3.4	8.7	7.3	6.9
अन्य	1.5	2.6	7.3	7.1	6.8
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग। ठेकेदारों	4.1	4.9	6.2	5.6	5.4
भवन और निर्माण उद्योग	5.1	4.7	6.0	5.5	5.2
चुनाव।, मेक। या जनरल इंजीनियरिंग। उत्पादों	3.8	3.8	4.9	4.9	4.7
निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगी स्थापना	2.7	2.0	4.4	2.9	2.7
सफाई, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	1.8	2.5	3.3	3.0	2.8
कपड़ा	1.7	1.7	3.1	2.0	1.0
कुल योग (सभी उद्योग)	**78.6**	**77.1**	**122.3**	**105.4**	**100.0**

स्रोत: ईपीएफओ, एमओएलई

मनरेगा के तहत काम की मांग

6.45 मनरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या जुलाई से नवंबर 2022 तक महामारी से पहले के स्तर के आसपास देखी गई थी। इसे मजबूत कृषि विकास और कोविड प्रेरित मंदी से तेजी से बहाली के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रोजगार के अवसर सामने आए। 24 जनवरी 2023 तक 6.49 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की माँग की और 6.48 करोड़ परिवारों को रोजगार की पेशकश की गई जबकि 5.7 करोड़ परिवारों ने रोजगार का लाभ उठाया।

चित्र VI.11: मनरेगा के तहत काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या

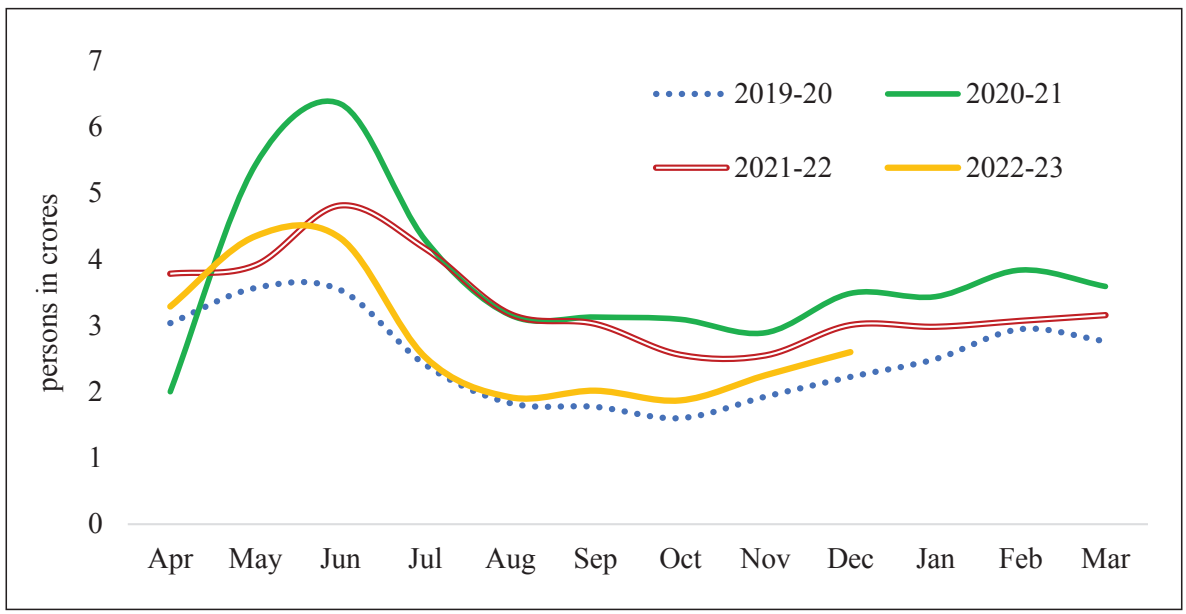

स्रोत: मनरेगा वेब पोर्टल

6.46 मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 22 में 85 लाख पूर्ण कार्य पूर्ण हुए हैं और वित्त वर्ष 23 में अब तक 70.6 लाख कार्य (9 जनवरी 2023 तक) पूर्ण हो चुके हैं। कार्यों की संरचना के संबंध में, 'व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों' (2009 में अनुमेय कार्य सूची में शामिल और तब से विस्तारित) का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 के कुल पूर्ण कार्यों के 16 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 73 प्रतिशत हो गया है। इन कार्यों में घरेलू संपत्ति जैसे पशु घर, खेत तालाब, खोदे गए कुएं, बागवानी बागान, वर्मीकम्पोस्टिंग पिट आदि शामिल हैं, जिसमें लाभार्थी को मानक दरों के अनुसार श्रम और सामग्री लागत दोनों मिलती है। प्रायोगिक रूप से, 2-3 वर्षों की छोटी अवधि में, इन संपत्तियों को कृषि उत्पादकता, उत्पादन-संबंधी व्यय और प्रति परिवार आय पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ प्रवासन और ऋणग्रस्तता में गिरावट विशेष रूप से गैर-संस्थागत स्रोतों से, के साथ नकारात्मक संबंध देखा गया है।[32] आय विविधीकरण में सहायता करने और ग्रामीण आजीविका में लचीलापन लाने के लिए इसके दीर्घकालिक निहितार्थ हैं।

[32]मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक का तेजी से आकलन और सतत आजीविका पर इसका प्रभाव, आर्थिक विकास संस्थान, मई 2018

चित्र VI.12: मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या

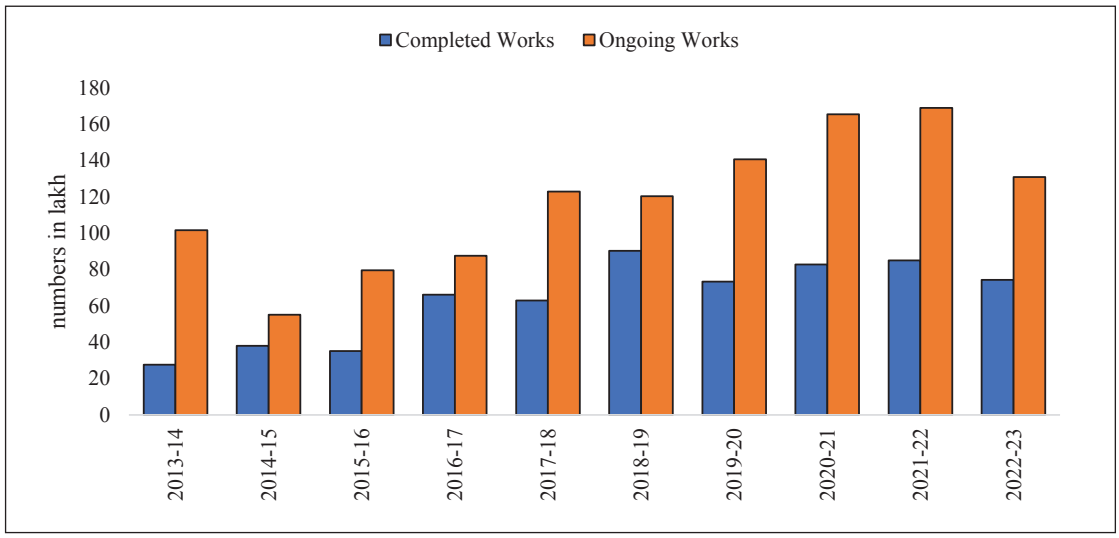

चित्र VI.13: मनरेगा के तहत पूर्ण कार्यों का हिस्सा (गणना के अनुसार)

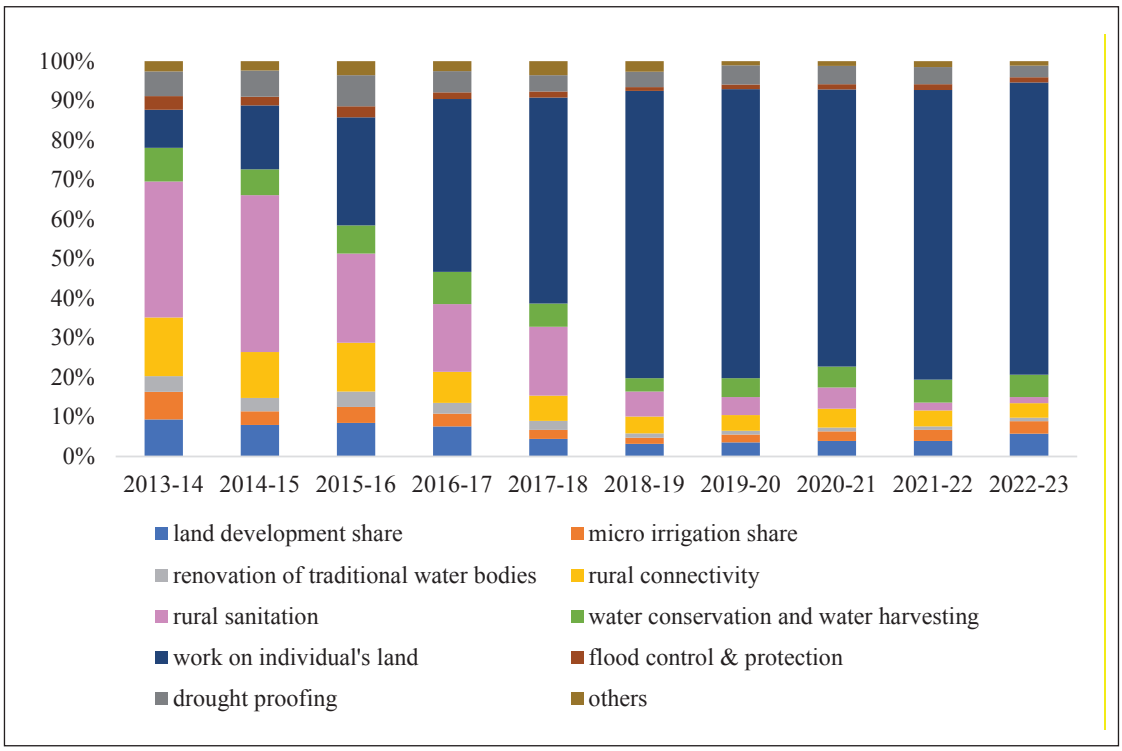

स्रोत: MGNREGS वेब पोर्टल, FY23 के लिए डेटा 10 जनवरी 2023 तक है

6.47 सरकार सभी पात्र और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों की पहुंच बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। नेशनल करियर सर्विस (NCS) प्रोजेक्ट भी ऐसा ही उपाय है, जिसका विवरण बॉक्स VI-4 में दिया गया है।

बॉक्स: VI-4: नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना

'नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस)' परियोजना का प्रारंभ जुलाई 2015 को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित सेवाओं की श्रेणी के एकमात्र समाधान के रूप में किया गया था। यह उम्मीदवारों व नियोक्ताओं, प्रशिक्षण तथा कैरियर मार्गदर्शन चाहने वाले उम्मीदवार और प्रशिक्षण / कैरियर परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच अन्तराल को कम करने की दिशा में काम करता है। एनसीएस पोर्टल में सभी हितधारकों अर्थात मॉडल कैरियर केंद्रों, नोडल अधिकारियों, रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं को शामिल करके एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 'जॉब फेयर' गतिविधि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने वाला एक जॉब फेयर मॉड्यूल है। उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए इसकी एक समर्पित हेल्पलाइन (बहुभाषी) भी है।

5 जनवरी 2023 तक, 2.8 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 6.8 लाख नियोक्ताओं ने एनसीएस पोर्टल में पंजीकरण कराया है, 2.5 लाख सक्रिय रिक्तियों और कुल 1.2 करोड़ रिक्तियों को जुटाया गया है और राष्ट्रीय कैरियर सेवा के हिस्से के रूप में 9100 से अधिक नौकरी मेले आयोजित किए गए हैं।

एनसीएस ने डिजिसक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की है ताकि "व्यवसाय कौशल" पर एक निः शुल्क, स्व-केंद्रित ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जा सके, ताकि नौकरी चाहने वालों को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार के जनादेश के साथ सॉफ्ट और डिजिटल कौशल से लैस किया जा सके। इस कार्यक्रम में उन्नत कंप्यूटिंग क्षेत्र भी शामिल हैं और इसे निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। एनसीएस शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और का अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के साथ भी मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ संभावित छात्रों / उम्मीदवारों तक पहुंच रहा है। एनसीएस पोर्टल पर कार्यबल के देशव्यापी डेटाबेस के माध्यम से सही उम्मीदवारों का चयन (शॉर्टलिस्ट) करने में सक्षम बनाने के लिए इच्छुक नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ ऑनलाइन एकीकरण भी किया गया है। एनसीएस ने डिजिलॉकर के साथ भी एकीकरण किया है ताकि उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज / प्रमाण- पत्र अपलोड करने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाकर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार, एनसीएस पोर्टल को e-SHRAM, UDYAM और स्किल इंडिया पोर्टल (ASEEM पोर्टल के प्राथमिक डेटा स्रोत) के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए नौकरी की खोज और मिलान की सुविधा के लिए एक रोजगार संतुलन / पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ है। अब तक, ई-श्रम से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरियों के लिए नियोक्ताओं द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्किल इंडिया पोर्टल के 46 लाख से अधिक कुशल उम्मीदवारों को डेटा एक्सचेंज के माध्यम से एनसीएस पर पंजीकृत किया गया है। ये उम्मीदवार भावी नियोक्ताओं को अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं, इस प्रकार वे नौकरी पाने के अपने अवसर को बढ़ा सकते हैं। UDYAM और एनसीएस (NC) के बीच एकीकरण ने 4,76,650 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के नियोक्ताओं को एनसीएस पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय करियर सेवा ने हाल ही में मार्च 2022 में पोर्टल पर 'अंतर्राष्ट्रीय नौकरी' मॉड्यूल जोड़ा है जो विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत नियोक्ताओं को एनसीएस पोर्टल पर अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर पोस्ट करने और नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल के माध्यम से इन अवसरों को खोजने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। अब तक, 400 से अधिक भर्ती एजेंटों (आरए) ने एनसीएस पर पंजीकरण किया है और लगभग 1400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रिक्तियों को पोस्ट किया है।

ग्रामीण मजदूरी में रूझान

6.48 वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान नाममात्र ग्रामीण मजदूरी स्थिर सकारात्मक दर से बढ़ी है। कृषि में, अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान, कृषि में नाममात्र मजदूरी दरों की वृद्धि दर पुरुषों के लिए

5.1 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.5 प्रतिशत थी। गैर-कृषि गतिविधियों में, समान अवधि के दौरान पुरुषों के लिए नाममात्र मजदूरी दरों की वृद्धि 4.7 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.7 प्रतिशत थी। हालांकि, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि नकारात्मक रही है। आगे बढ़ते हुए, चूंकि अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और घरेलू खाद्य कीमतों में कमी के साथ मुद्रास्फीति के नरम होने की उम्मीद है, यह उम्मीद की जाती है कि यह वास्तविक मजदूरी में वृद्धि में तब्दील हो जाएगा।

चित्र VI.14: ग्रामीण मजदूरी में रुझान

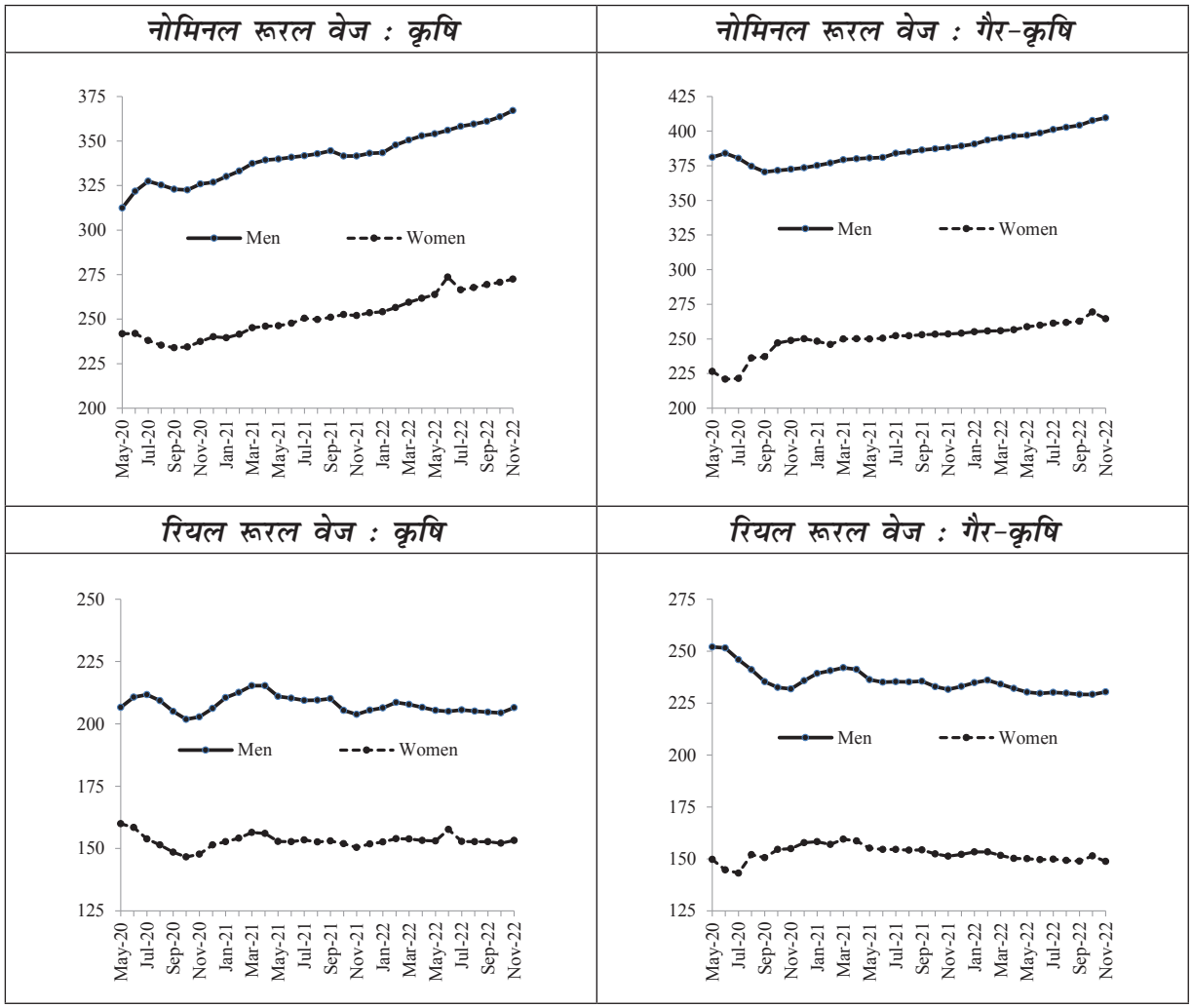

स्रोत: श्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मासिक ग्रामीण मजदूरी दरें

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

6.49 सभी के लिए शिक्षा का महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता चूंकि यह प्रत्येक व्यक्ति और समाज के विकास की नींव है। जैसा कि डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने कहा था- "सीखना रचनात्मकता देता है,रचनात्मकता विचार की ओर ले जाती है, विचार ज्ञान की ओर ले जाता है, ज्ञान आपको महान बनाता है !"

6.50 शिक्षा, कामकाजी उम्र की आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, गरीबी और सामाजिक हाशिए के चक्र को तोड़ने में भी समान प्रभाव डालती है। 'क्वालिटी एजुकेशन' जिसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी (एसडीजी 4) के अंतर्गत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का उद्देश्य 2030 तक 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखते रहने के अवसरों को बढ़ावा देना' है। इस

लक्ष्य का मूल्यांकनात्मक महत्व है क्योंकि इसके परिवर्तनकारी प्रभाव अन्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर हो सकते हैं, जैसे 'नो पावटी', 'नो – हंगर', 'जेंडर – इक्वलिटी' आदि। सतत विकास, वास्तव में, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक बच्चे पर केन्द्रित होता है, जो उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करने और 'प्रोडक्टिव सिटीजन' बनने में साधन उपलब्ध करवाता है इससे उसके स्वयं की सामाजिक आर्थिक प्रगति होती और वह अपने राष्ट्र की सहायता करता।

6.51 इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में निधर्ारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश की कई बढ़ती विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना था। यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षा भारत जैसे युवा देश के लिए मानव पूंजी निर्माण की जीवन दायिनी है, यह नीति शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार के लिए बनायी गई है। इसमें भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण करते हुए एसडीजी 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ सरेखित एक नई प्रणाली का निर्माण, उसका विनियमन और नियंत्रण शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी, सफलभ और बहुभाषी परिस्थिति में युवाओं द्वारा सर्वांगीण विकास और कौशल अधिग्रहण का पोषण करती है।

6.52 एकीकृत दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में 2018 में समग्र शिक्षा की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

स्कूल नामांकन

6.53 वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)[34] में सुधार और लिंग समानता में सुधार देखा गया। 6 से 10 वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा ५ से ट के प्राथमिक नामांकन में वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। इस सुधार ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (11-13 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में छठी से आठवीं कक्षा में नामांकन), जो वित्तवर्ष 17 और वित्तर्ष 19 के बीच स्थिर था, वित्तवर्ष 22 में सुधार हुआ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संबंधित आयु समूहों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों की तुलना में बेहतर है।

तालिका VI.9: स्कूल सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			माध्यमिक स्कूल		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2013-14	107.9	106.5	107.2	88.6	85.0	86.7	73.5	74.2	73.8
2019-20	103.7	101.9	102.7	90.5	88.9	89.7	77.8	78.0	77.9
2020-21	104.5	102.2	103.3	92.7	91.6	92.2	79.5	80.1	79.8
2021-22	104.8	102.1	103.4	94.9	94.5	94.7	79.4	79.7	79.6

स्रोत: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+)[35]

टिप्पणी: 1. UDISE+ डेटा एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद आता है, इसलिए डेटा 2021-22 तक उपलब्ध है

2. 100 प्रतिशत से अधिक सकल नामांकन अनुपात किसी विशेष स्तर की शिक्षा में अधिक या कम आयु के बच्चों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

[34]नियोजित कुल व्यक्तियों में उपरोक्त परिभाषित कर्मचारी और सभी कार्यरत प्रोपराइटर और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं जो बिना किसी वेतन के भी कारखाने के काम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, और इसमें सहकारी समितियों के अवैतनिक सदस्य भी हैं, जिन्होंने किसी भी प्रत्यक्ष और उत्पादक क्षमता में कारखाने में या उसके लिए काम किया है।

[35]पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से डेटा।

6.54 वित्त वर्ष 22 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित हुए और 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का कुल नामांकन 22.7 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 21.9 लाख था, जो 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूर्व - प्राथमिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में नामांकन में वृद्धि हुई है। पूर्व - प्राथमिक स्तर पर, वित्त वर्ष 21 में नामांकन 1.1 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 22 में 1.0 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पूर्व - प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.0 करोड़, प्राथमिक पर 12.2 करोड़, उच्च प्राथमिक पर 6.7 करोड़, माध्यमिक पर 3.9 करोड़ और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2.9 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ।

स्कूल ड्राप आउट

6.55 हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर स्कूल ड्राप आउट[40] की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। लड़कियों और लड़कों दोनों में गिरावट देखी गई है। समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, आवासीय छात्रावास भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जैसी योजनाएं स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों की स्कूलों में पढाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका VI.10: स्कूल ड्रापआउट रेट

(प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			माध्यमिक स्कूल		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2013-14	4.7	4.7	4.7	4.0	2.3	3.1	14.5	14.5	14.5
2019-20	1.2	1.7	1.5	3.0	2.2	2.6	15.1	17.0	16.1
2020-21	0.7	0.8	0.8	2.6	2.0	2.3	13.7	14.3	14.0
2021-22	1.4	1.6	1.5	3.3	2.7	3.0	12.3	13.0	12.6

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर (अपसरंचना)

6.56 अध्यापन विज्ञान पर ध्यान देने के साथ-साथ स्कूलों, सुविधाओं और डिजिटलीकरण के रूप में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लाभांश आने वाले दशकों में देश की वृद्धि और विकास की संभावनाओं को समृद्ध करेंगे। स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं - मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या और छात्र-शिक्षक अनुपात में परिलक्षित शिक्षकों की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में वित्त वर्ष 22 में सुधार दिखा। विभिन्न स्तरों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में प्रवृत्ति एक स्थिर प्रगति दिखती है।

तालिका VI.11: भारत में स्कूल छोड़ने वालों की दर (प्रतिशत में)

	2013-14	2019-20	2020-21	2021-22
Total Schools	15.2	15.1	15.1	14.9
Primary & Upper Primary schools	12.9	12.2	12.2	11.9
Secondary & Sr. Secondary Schools	2.3	2.9	2.9	2.9

[40]ड्रॉपआउट दर को किसी प्रदत्त स्कूल वर्ष में किसी प्रदत्त स्तर पर नामांकित समूह के विद्यार्थियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी ग्रेड में नामांकित नहीं होते हैं।

6.57 स्कूलों में मेडिकल चेक-अप को छोड़कर वित्त वर्ष 22 में पिछले वर्षों की तुलना में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार जारी रहा, क्योंकि स्कूल कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर भौतिक रूप से बंद रहे। । अधि कांश सरकारी स्कूलों में अब शौचालय (लड़कियों या लड़कों के लिए), पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता की प्राथमिकता विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इन परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायक रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता करती है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री शामिल है।

तालिका VI.12: स्कूल अवसरंचना में सुधार
(सभी स्कूलों के प्रतिशत के रूप में बुनियादी सुविधाओं वाले स्कूल)

वर्ष	2012-13	2019-20	2020-21	2021-22
लड़कियों का शौचालय	88.1	96.9	97.3	97.5
लड़कों का शौचालय	67.2	95.9	96.2	96.2
हाथ धोने की सुविधा	36.3	90.2	91.9	93.6
पुस्तकालय/ वाचनालय/ रीडिंग कार्नर	69.2	84.1	85.6	87.3
विद्युत	54.6	83.4	86.9	89.3
वर्ष में स्कूल में चिकित्सा जांच	61.1	82.3	50.4'	54.6'
कम्प्यूटर	22.2	38.5	41.3	47.5
इंटरनेट	6.2	22.3	24.5	33.9

'कोविड के कारण विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से बंद थे। इसलिए, बहुत कम चिकित्सा जांच की गई।
स्रोत: यूडीआईएसई+

6.58 इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की उपलब्धता, जिसे छात्र - शिक्षक अनुपात द्वारा मापा जाता है, संकेतक जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से विलोम संबंध रखता है, में वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22 की अवधि में लगातार सभी स्तरों: प्राथमिक स्तर पर 34.0 से 26.2, उच्च प्राथमिक में 23.0 से 19.6, माध्यमिक में 30.0 से 17.6 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 39.0 से 27.1, तक की कमी हुई जिसके परिणाम स्वरुप शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से नामांकन में सुधार होने और (ड्रॉपआउट) की दरों को कम किए जाने की आशा है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखित पैरा में प्रस्तुत की गई हैं।

6.59 **प्रधान मंत्री - स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SRI):** सरकार ने 7 सितंबर, 2022 को पीएम - स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (उभरते भारत के लिए स्कूल) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का निष्पादन करेंगे और समय के साथ-साथ आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है।

इन स्कूलों में लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम समेत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जित तथा समावेशी होगा और इनका उपयोग विद्यार्थी कर सकेंगे। इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में 'आर्गेनिक लाइफस्टाइल' के एकीकरण के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की आशा है।

6.60 **फाउडेशनल स्टेज (मूलभूत स्तर की शिक्षा) के लिये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा):** मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को नए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में लॉन्च किया गया है, जो 3 से 8 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करता है। जैसा कि एनईपी 2020 में स्पष्ट किया गया है, नींव चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में पाठ्यक्रम की व्यवस्था के लिए वैचारिक, परिचालन एवं आपस में संवाद संबंधी दृष्टिकोणों, अध्यापन, समय एवं सामग्री की व्यवस्था, और बच्चे के समग्र अनुभव के मूल में 'खेल' का उपयोग किया गया है। यह इस चरण के दौरान वांछित विकासात्मक परिणामों को मूर्तरूप देने और विकसित करने में शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता और समाज की भूमिका को बताता है।

6.61 **बालवाटिका का पायलट प्रोजेक्ट:** 49 केन्द्रीय विद्यालयों में 3+, 4+ और 5+ आयु वर्ग के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं को विकसित करने और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देने के साथ प्रोजेक्ट बालवाटिका, यानी 'तैयारी कक्षा' अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी।

6.62 **खिलौना आधारित अध्यापन** - विज्ञान स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वदेशी खिलौनों और उनके अध्यापन - विज्ञान के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना आधारित अध्यापन - विज्ञान की एक पुस्तिका तैयार की गई है। यह छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए आयु-उपयुक्त खिलौनों को चुनने या बनाने में शिक्षकों की सहायता करेगी।

6.63 **सीखने की विशिष्ट क्षमताओं के लिए स्क्रीनिंग टूल्स (मोबाइल ऐप, प्रशस्त)।** PRASHAST ऐप स्कूल स्तर पर विकलांगता की स्थिति की जांच करने में मदद करेगा और समग्र शिक्षा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करने तथा अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए स्कूल-वार रिपोर्ट तैयार करेगा।

6.64 **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ):** नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरएफ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को समेकित रूप से एकीकृत करने, स्किलिंग, री - स्किलिंग, अप - स्किलिंग, मान्यता और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा है जोकि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NHEQF)] नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSEQF) को सम्मिलित करता है। यह छात्रों की भावी प्रगति के लिए कई विकल्प खोल देगा और व्यावसायिक विद्या व प्रयोगात्मक विद्या के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा को आपस में मिलाने के लिए एक महापरिवर्तनकारी कारक होगा, इस प्रकार कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाया जाएगा। 19 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक परामर्श के लिए रूपरेखा जारी की गई है।

6.65 **राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स):** योजना स्टार्स योजना को छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 25 तक आंशिक रूप से विश्व बैंक के ऋण द्वारा वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य चयनित राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है।

6.66 **विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी पहल):** समाज, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर के स्कूलों को सुदृढ़ करने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार ने विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम) की शुरूआत की है। विद्यांजलि पोर्टल (https%@@ vidyanjali-education-gov-in@en) समुदाय और स्वयंसेवकों/संगठनों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ बातचीत करने और सीध जुड़ने और उनके ज्ञान और कौशल को साझा करने और / या स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाता है। 20 जनवरी 2023 तक, 3,95,177 स्कूलों को जोड़ा गया है और 1,14,674 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लगभग 11,34,218 छात्रों को सहायता देने में सफल रहा है इसमें कई क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का समर्थन लेकर अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी, प्रतिभाशाली बच्चों को परामर्श, व्यावसायिक कौशल शिक्षण, छत के पंणें और वाटर प्यूरीफायरों का दिया जाना, वर्चुअल मोड और संगीत वाद्ययंत्रों के माध्यम से शिक्षण देने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपहार देना, स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना, बेसिक सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कक्षा की अन्य जरूरतों आदि के लिए सहायता करना सम्मिलित है।

6.67 **समग्र शिक्षा योजना:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की स्फिारिशों के साथ जोड़ा गया है और वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक बढ़ाया गया है। योजना के आईसीटी घटक के तहत, देश भर में पाठ्यक्रम-आधारित इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल किताबें, वर्चुअल लैब आदि विकसित और वितरित करके बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर-सक्षम शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करता है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री शामिल है। इसमें छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। नवंबर 2022 तक (स्थापना के बाद से), देश भर के 1,20,614 स्कूलों और 82,120 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं में आईसीटी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।

उच्च शिक्षा

6.68 15-29 वर्ष आयु वर्ग[37] में भारत की 27 प्रतिशत से अधिक आबादी के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक के लिए, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली परिवर्तन की प्रयोगशाला है। समय के साथ उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़ाकर 2022 में 648 कर दी गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़ाकर 96,077 कर दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की संख्या क्रमश: 2014 में 16 और 13 के मुकाबले 2022 में 23 और 20 पर है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIIT) की संख्या 2014 में 9 के मुकाबले 2022 में 25 है। 2014 में, देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जिन्हें बढ़ाकर 1,113 कर दिया गया है।

6.69 उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 20 में 3.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में लगभग 4.1 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 15 के बाद से, नामांकन में लगभग 72 लाख (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 20 में 1.9 करोड़ से वित्त वर्ष 21 में महिला नामांकन बढ़कर 2.0 करोड़ हो गया है।

[37]भारत में युवा 2022 रिपार्ट, एमओएसपीआई

चित्र VI.15: उच्च शिक्षा में छात्रों का कुल नामांकन

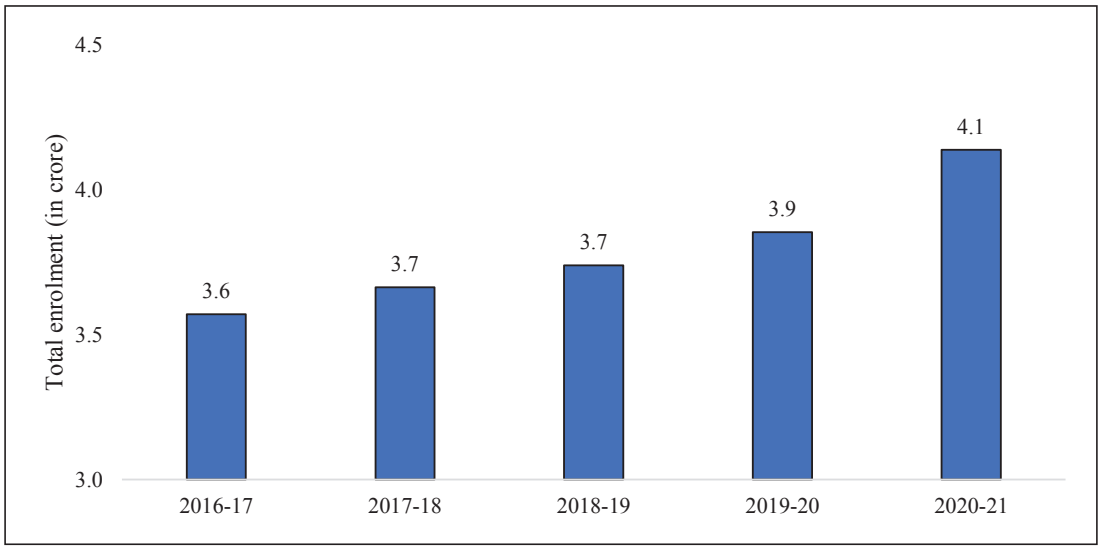

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2020-21, शिक्षा मंत्रालय

तालिका VI.13: उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन

(करोड़ में)

वर्ष	पुरूष	महिला	ज्वजंस
2016-17	1.9	1.7	3.6
2017-18	1.9	1.7	3.6
2018-19	1.9	1.8	3.7
2019-20	2.0	1.9	3.9
2020-21	2.1	2.0	4.1

Source: AISHE report 2020-21

6.70 इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 45.7 लाख (20.9 लाख महिलाओं के साथ) है, वित्त वर्ष 20 से लगभग 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 के जनसंख्या अनुमानों (संशोधित) के आधार पर उच्च शिक्षा में जीईआर वित्त वर्ष 21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो वित्त वर्ष 20 में 25.6 से सुधार है। पुरुषों के लिए जीईआर वित्त वर्ष 20 में 24.8 से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 26.7 हो गया जबकि जीईआर महिलाओं के लिए भी इसी अवधि के दौरान 26.4 से 27.9 तक सुधार दिखाया गया है।

6.71 वित्त वर्ष 21 के अंत तक पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय संस्थानों की कुल संख्या 1,113, कॉलेजों की संख्या 43,796 और स्टैंडअलोन संस्थानों की संख्या 11,296 है। संकाय/शिक्षकों की कुल संख्या 15,51,070 है, जिनमें से लगभग 57.1 प्रतिशत पुरुष हैं और 42.9 प्रतिशत महिलाएं हैं।

तालिका VI.14: उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की संख्या

(लाख में)

वर्ष	पुरूष	महिला	ज्वजंस
2016-17	8.1	5.5	13.6
2017-18	7.5	5.4	12.9
2018-19	8.2	6.0	14.2
2019-20	8.6	6.4	15.0
2020-21	8.9	6.6	15.5

Source: AISHE report 2020-21

उच्च शिक्षा के लिए पहल

6.72 **उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (RDC):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई शिक्षा नीति - 2020 के प्रावधानों के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसंधान एवं विकास सेल (आरडीसी) की स्थापना के लिए पहल का प्रारंभ किया है, जिसमें गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देकर ष्आत्मनिर्भर भारतष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्थक योगदान दिया जा सके। इसके लिए मार्च 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शोध उत्पादकता बढ़ाने; स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग, सरकार, समुदाय - आधारित संगठनों और एजेंसियों में सहयोग के प्रोत्साहन तथा संसाधनों व निधि करण के माध्यम से अनुसंधान तक की पहुंच को सुगम बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान किया गया था।

6.73 **एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पढ़ने के लिए दिशानिर्देश:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अप्रैल 2022 में छात्रों को एनईपी 2020 में परिकल्पित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पढ़ने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, अर्थात अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम बनाने के लिए लचीली पाठ्यचर्या संरचना प्रदान करना, जो कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की पेशकश करेगा, इससे वर्तमान में प्रचलित सख्त सीमाओं को हटाकर जीवन भर सीखने की नई संभावनाएं पैदा होगी और केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण और अंत:विषय सोच को शामिल करेगा।

दिशा-निर्देश में यह व्यवस्था है कि एक छात्र प्रत्यक्ष मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों की पढ़ाई कर सकता है या दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुसरण कर सकता है, एक पूर्णकालिक प्रत्यक्ष मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) / ऑनलाइन मोड में; या एक साथ दो ओडीएल / ऑनलाइन कार्यक्रम में पढ़ाई कर सकता है। ये शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे।।

6.74 **शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान:** भारत में व्यावसायिक अध्ययन के लिए 2009 में शुरू की गई केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता की आय 4.5 लाख प्रतिवर्ष रूपए से कम है।

बॉक्स: VI-5: अखिल भारतीय शिक्षा समागम

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से 7-9 जुलाई 2022 को वाराणसी में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपति और निदेशक शिक्षाविद्, नीति निर्माता, उद्योग के प्रतिनिधि भी एक साथ आए, इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कि पिछले दो वर्षों में कई पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद देश भर में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शिखर सम्मेलन ने विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान किया जिसने रोडमैप और कार्यान्वयन रणनीतियों को स्पष्ट करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, अंत:विषय विचार-विमर्श के माध्यम से नेटवर्क बनाने और शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधानों को स्पष्ट करने में सहायता मिली।

समागम का मुख्य आकर्षण भारत की विस्तारित दृष्टि और उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक एक नई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना था।

मिशन मोड में कार्यबल को नियोजनयोग्य कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करना

6.75 कौशल विकास का उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करना, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण, कौशल उन्नयन और नए कौशल का निर्माण करना है और न केवल मौजूदा नौकरियों बल्कि भावी नौकरियों के लिए भी नवीन सोच रखना है। बढ़ती जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने और युवाओं को पर्याप्त कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 2014 में बनाया गया था और कौशल भारत मिशन 2015 में प्रारंभ किया गया था। एक केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना करके, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के प्रयासों में तेजी आई क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति शुरू की है। एनईपी 2020 के तहत भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने को देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में चिन्हित किया गया है।

6.76 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वित्त वर्ष 21 से पता चलता है कि युवाओं (उम्र 15 - 29 वर्ष) और कामकाजी आबादी (आयु 15 - 59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्यावसायिक / तकनीकी प्रशिक्षण का वित्त वर्ष 21 में, वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 20 की तुलना में सुधार हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं के कौशल में भी सुधार हुआ है।

तालिका VI.15: औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वितरण

(प्रतिशत)

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			अखिल भारत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4

2019-20									
15-29 वर्ष	3.1	2.7	2.9	7.0	6.5	6.8	4.3	3.8	4.1
15-59 वर्ष	2.2	1.7	2.0	6.3	5.4	5.8	3.5	2.9	3.2
2020-21									
15-29 वर्ष	3.4	2.6	3.0	7.3	6.5	6.9	4.5	3.7	4.1
15-59 वर्ष	2.5	1.9	2.2	6.2	5.3	5.8	3.6	2.9	3.3

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2017-18 से 2020-21

6.77 प्रमुख नौ क्षेत्रों में कम से कम 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में क्यूईएस के चौथे दौर की रिपोर्ट (जनवरी-मार्च 2022) के अनुसार, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 15.6 प्रतिशत ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण दिया और 20.5 प्रतिशत ने नौकरी का प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण (24.7 प्रतिशत) और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (31.6 प्रतिशत) देने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का उच्चतम प्रतिशत था, इसके बाद वित्तीय सेवाओं का स्थान रहा (जिसमें प्रतिष्ठानों ने 20.4 प्रतिशत औपचारिक प्रशिक्षण और 26.4 प्रतिशत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया)।

तालिका VI.16: औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत

	Q1FY22		Q2FY22		Q3FY22		Q4FY22	
	Formal	Job Training	Formal	Job Training	Formal	Job Training	Formal	Job Training
Manufacturing	17.4	28.3	13.2	25.2	14.1	22.2	12.8	19.4
Construction	15.5	26.0	7.8	22.7	11.2	25.0	8.4	23.9
Trade	11.2	17.4	11.6	23.7	10.5	20.5	9.8	16.7
Transport	13.0	20.6	10.7	17.9	13.6	21.5	16.5	20.0
Education	21.1	22.1	21	24.7	19.9	24.0	19.1	20.6
Health	20.2	24.0	26.6	36.6	24.8	34.9	24.7	31.6
Accommodation & Restaurants	7.1	13.4	11.3	15.6	10.9	19.4	8.5	14.9
IT/BPOs	29.8	**36.1**	24.1	34.1	25.1	31.1	18.2	23.4
Financial Services	22.6	34.8	20.9	21.2	27.2	26.1	20.4	26.4
Total	**17.9**	**24.3**	**16.8**	**24.3**	**17.1**	**23.6**	**15.6**	**20.5**

स्रोत: वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक की रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो।

कौशल भारत मिशन

6.78 स्किल इंडियन मिशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग पर फोकस करता है। कौशल भारत मिशन के तहत, सरकार, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित, देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय

शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राज्य सरकारों के अभियानों के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में फैले सामान्य ढांचे के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि सरकारी कौशल कार्यक्रमों के परिणाम कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में समान हों। इनमें से कुछ योजनाओं की प्रगति को बॉक्स VI-6 में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स: VI-6: स्किल इंडिया मिशन की प्रगति

कौशल विकास योजना	प्रगति
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) पहली बार 2015 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण, यानी पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के दो प्रशिक्षण घटक हैं, अर्थात्, लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की पहचान (आरपीएल)। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश के हर जिले में प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) के रूप में ज्ञात मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।	✓ वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 23 (31 अक्टूबर 2022 तक) के बीच, पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लगभग 1.1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित: 83 प्रतिशत प्रमाणित और लगभग 21.4 लाख नियुक्त किया गया है । वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 के दौरान (5 जनवरी 2023 तक) वित्त वर्ष 23 में, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, 7.0 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित: 66 प्रतिशत को प्रमाणित और 41,437 को नियुक्त किया गया है। ✓ पीएमकेवीवाई ने कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक (प्रवासी मजदूरों) को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इस घटक में 6 राज्यों जैसे असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिले शामिल थे, । 31 अक्टूबर 2022 तक, 1.3 लाख(एसटीटी में 0.88 लाख और आरपीएल में 0.38 लाख) प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित किया गया है ।
जन शिक्षण संस्थान योजना में गैर-साक्षर, नव-साक्षर, 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में शिक्षा के प्रारंभिक स्तर वाले व्यक्तियों और बारहवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को एकमुश्त वार्षिक अनुदान जारी किया जाता है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है।	✓ वित्त-वर्ष 20 से वित्त-वर्ष 23 तक (4.11.2022 तक), 16.0 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 28.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से हैं और 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 2.7 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों से हैं। विशेष रूप से, 81 प्रतिशत प्रशिक्षु महिलाएं हैं।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।	✓ 2016 में योजना के शुभारंभ के बाद से, 31 दिसम्बर 2022 तक, उद्योगों द्वारा 21.4 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।
देश भर में 14,938 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टीआई) के माध्यम से 149 ट्रेडों में दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।	✓ 2015 से 30 अक्टूबर 2022 तक 91.7 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें शिक्षण की पद्धति और व्यावहारिक अनुभव (हैंड्स-ऑन स्किल्स) को सिखाने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके, जिसके द्वारा वे उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को तैयार कर सकें	✓ वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुल 8847 प्रशिक्षुओं को विभिन्न राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है।
भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना	भारत को विश्व की एक कौशल राजधानी बनाने और कुशल जनशक्ति की गतिशीलता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) इंटरनेशनल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में संस्थानों का एक नेटवर्क बनाना है। संस्थानों के इस नेटवर्क को स्किल इंडिया इंटरनेशनल (SII) नेटवर्क कहा जाएगा। यह अत्याधुनिक सरकारी और निजी संस्थानों के पैनल के माध्यम से बनाया जाएगा। ✓ MSDE ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में 11 देशों, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ✓ एनएसडीसी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, मलेशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, यूएई आदि जैसे देशों के साथ 18 बी2बी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
स्किल एक्वीजीशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड ('संकल्प') 2018 में शुरू किया गया एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त कार्यक्रम है जिससे कौशल पहलों का विकेंद्रीकरण किया जा सके और कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय मांग व युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।	✓ "संकल्प" के राष्ट्रीय घटक और राज्य घटक के तहत कौशल और उद्यमिता विकास और निगरानी के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में क्रमशः 64 और 700 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ✓ 724 जिला कौशल समितियों (DSCs) का गठन किया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर कौशल गतिविधियों की योजना, प्रबंधन और निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा

6.79 नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की दिशा में, नागरिकों के बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुआयामी पहलें शुरू की गई हैं और आगे बढ़ाई गई हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने सभी प्रासंगिक क्षेत्रों और हितधारकों से जुड़ने के लिए ठोस प्रयास किए हैं जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने और सभी नागरिकों को बिना आर्थिक कठिनाई के सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आज, भारतीय स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में से एक है।

स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार के रूप में एक प्रभावी स्वास्थ्य दृष्टिकोण के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए 2014 से 2022 तक प्रमुख पहल

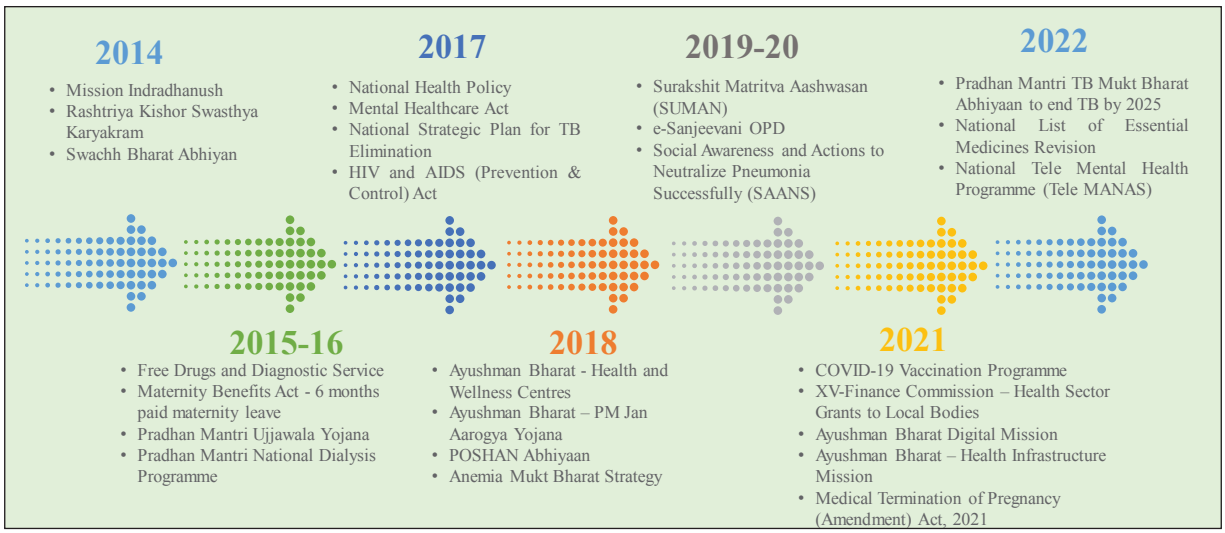

तालिका VI.17: स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार

	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
स्वास्थ्य बीमा/वित्त पोषण योजना के तहत कवर किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले परिवार (प्रतिशत)	28.7	↑ 41.0
कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)	2.2	↓ 2.0
परिवार नियोजन पद्धति का वर्तमान उपयोग- कोई भी विधि (प्रतिशत)	53.5	↑ 66.7
जिन माताओं ने प्रसव पूर्व कम से कम 4 बार स्वास्थ्य जाँच करवाई है (प्रतिशत)	51.2	↑ 58.1
चिकित्सा संस्थान में जन्म (प्रतिशत)	78.9	↓ 88.6
नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	29.5	↓ 24.9
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	40.7	↓ 35.2
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	49.7	↑ 41.9
12-23 महीने की उम्र के बच्चों को या तो टीकाकरण कार्ड या मातृ स्मरण (प्रतिशत) की जानकारी के आधार पर पूरी तरह से टीका लगाया गया है	62.0	↑ 76.4
6 महीने से कम उम्र के बच्चे केवल स्तनपान (प्रतिशत)	54.9	↓ 63.7
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी विकास वृद्धि दर कम है (उम्र के अनुसार कद) (प्रतिशत)	38.4	↓ 35.5
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कमजोर हैं (ऊंचाई के अनुपात में वजन) (प्रतिशत)	21.0	↓ 19.3
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (उम्र के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	35.8	↑ 32.1
5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन सामान्य से अधिक है (ऊंचाई के अनुपात में वजन) (प्रतिशत)	2.1	↑ 3.4
अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त महिलाएं (बीएमआई झ250 किग्रा/एम^2) (प्रतिशत)	20.6	↑ 24.0
पुरुष जो अधिक वजन वाले या मोटे हैं (बीएमआईझ25.0 किग्रा/एम^2) (प्रतिशत)	18.9	↑ 22.9
15-24 वर्ष की महिलाएं जो अपने मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	57.6	↑ 77.3

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और 2019-21, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

6.80 प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य सहित पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति के तहत किए गए ठोस प्रयासों के साथ, भारत ने माताओं और बच्चों दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में पर्याप्त प्रगति की है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2020 तक मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को 100 प्रति लाख जीवित जन्मों से नीचे लाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017-19 में निर्धारित)। 2014-16 में इसे 130 प्रति लाख जीवित जन्म से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर लाकर। 2030 के एमएमआर को 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने के एसडीजी लक्ष्य को आठ राज्यों ने पहले ही हासिल कर लिया है)। इनमें केरल (19), महाराष्ट्र (33), तेलंगाना (43) आंध्र प्रदेश (45), तमिलनाडु (54), झारखंड (56), गुजरात (57) और कर्नाटक (69) शामिल हैं।

6.81 स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने गुणवत्ता आश्वासन; आरएमएनसीएएच+एन; मानव संसाधन, सामुदायिक प्रक्रियाएं; सूचना और ज्ञान; दवाओं और निदान, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आदि के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने की दिशा में देशव्यापी प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति के बाद और गिरावट आई है।

तालिका VI.18: मृत्यु दर संकेतकों में रुझान

	2014	2016	2018	2020
मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति लाख जीवित जन्म)	167 (2011-13)	130 (2014-16)	113 (2016-18)	97 (2018-20)
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	39	34	32	28
नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	26	24	23	20
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	45	39	36	32
प्रारंभिक (0-7 दिन) नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	20	18	18	15

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली

स्वास्थ्य व्यय अनुमान

6.82 वित्त वर्ष 19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए)44 (जो नवीनतम उपलब्ध खाता है) यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। वित्त वर्ष 19 के लिए एनएचए का अनुमान बताता है कि कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय45 की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 14 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 1.3 प्रतिशत हो गयी है। इसके अतिरिक्त, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) की हिस्सेदारी भी समय के साथ बढ़ी है, यह वित्तीय वर्ष 2014 में 28. 6 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 40.6 प्रतिशत हो गई।

[38]भारत 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) एनएचए अनुमान एनएचएसआरसी द्वारा तैयार की गई छठी लगातार एनएचए अनुमान रिपोर्ट है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (एनएचएटीएस) के रूप में नामित किया गया है। यह रिपोर्ट 12 सितंबर 2022 को जारी की गई थी।

[39]जीएचई केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत खर्च का गठन करता है, जिसमें अर्ध-सरकारी संगठन और दाता शामिल हैं, अगर धन सरकारी संगठनों के माध्यम से दिया जाता है।

[40]कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में बाहरी निधियों सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

6.83 कुल मिलाकर, वित्त वर्ष–19 में , भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 5,96,440 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.2 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति 4,470 रुपये) होने का अनुमान है। वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई)49 5,40,246 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य व्यय का 90.6 प्रतिशत) है और पूंजीगत व्यय 56,194 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य व्यय का 9.4 प्रतिशत) है द्यकेंद्र सरकार का हिस्सा 34.3 प्रतिशत और राज्य सरकारों का हिस्सा 65.7 प्रतिशत है।

6.84 सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 की नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो वित्त वर्ष 2014 में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 55.2 प्रतिशत हो गया है। यह न केवल आम लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता है, बल्कि उन बीमारियों की संभावनाओं को भी कम करता है जिनके लिए द्वितीयक या तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 14 और 19 के बीच सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की हिस्सेदारी 74.4 प्रतिशत से बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में, इसी अवधि के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत से घटकर 70.2 प्रतिशत हो गई है।

6.85 स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है, वित्त वर्ष 14 में 6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 9.6 प्रतिशत हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो यह दर्शाती है कि नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुँच बढ़ी है। ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिसके कारण कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत में आउट–ऑफ – पॉकेट व्यय (ओओपीई)50 वित्त वर्ष 14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 19 में 48.2 प्रतिशत हो गया है।

चित्र VI.16: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से व्यय

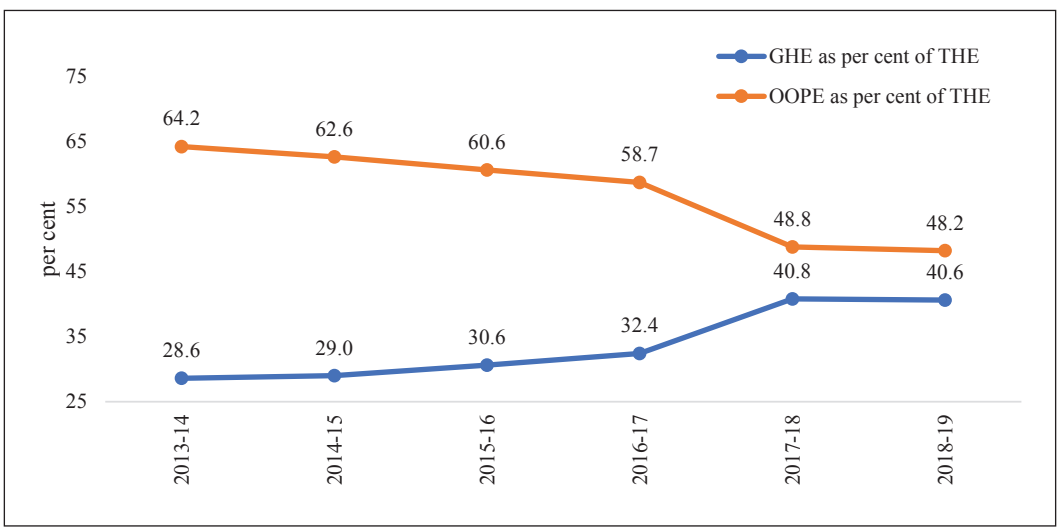

[41]वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई) में सभी पूंजीगत व्ययों में से स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजनों के लिए केवल आवर्तक व्यय शामिल हैं

[42]जेब से किए जाने वाले व्यय स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के स्थान पर परिवारों द्वारा सीधे किए जाने वाले व्यय होते हैं। ओओपीई आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति के आगमन पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (क्लिनिक/अस्पताल/फार्मेसी/प्रयोगशाला आदि) सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या गैर–लाभकारी संगठन द्वारा संचालित सुविधा के माध्यम से 'मुफ्त' स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं करता है या यदि वह व्यक्ति सरकारी/निजी स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित नहीं होता है।

चित्र VI.17: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य व्यय

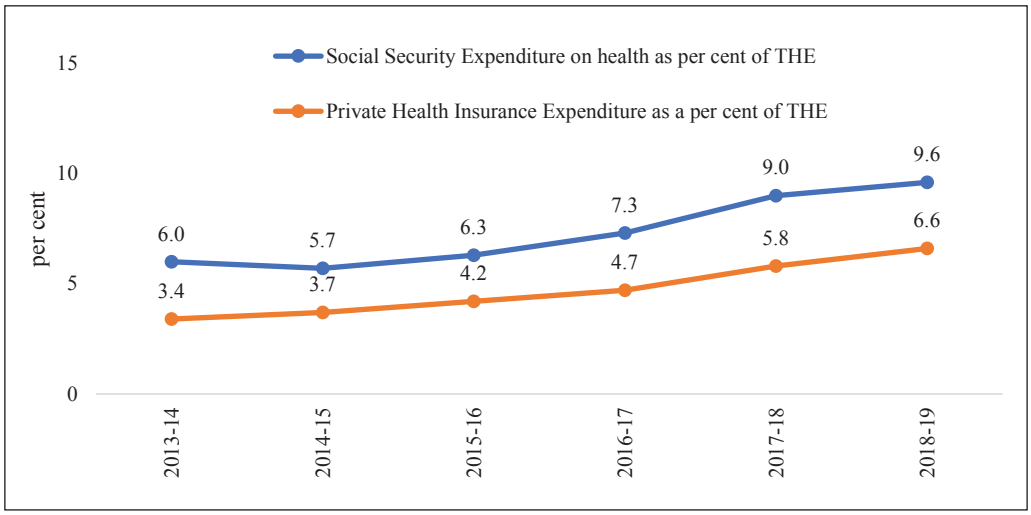

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

चित्र VI.18: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से व्यय - 2018-19 के लिए राज्य-वार

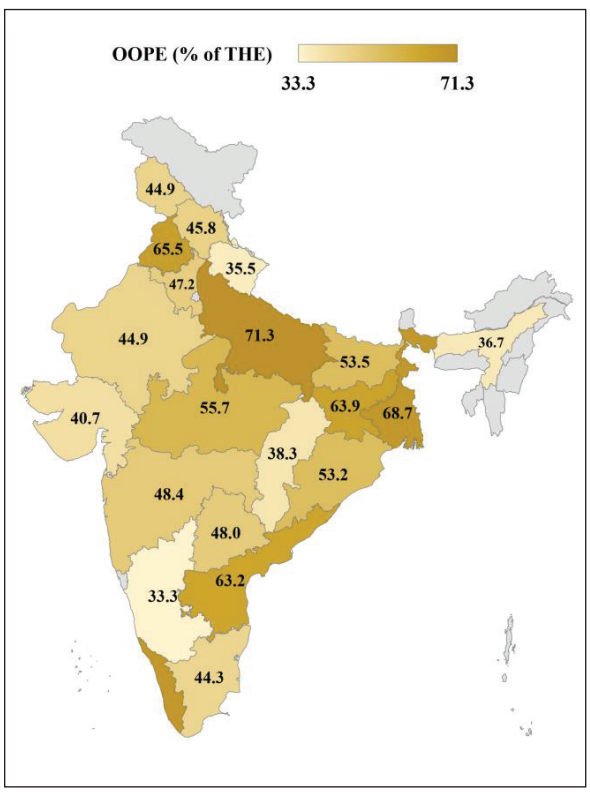

चित्र VI.19: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय - 2018-19 के लिए राज्यवार

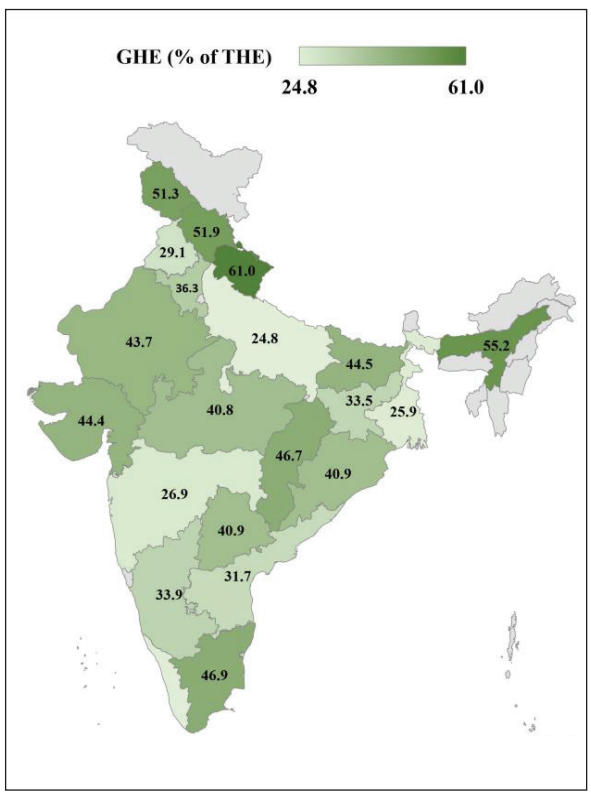

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2018-19, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट: जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता है

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल - बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को मजबूत करना

6.86 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश में स्वास्थ सेवा नियमों और कल्याण तंत्र को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। श्सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचनाश को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का तंत्रिका केंद्र' कहा गया है, जिसके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से दूरस्व व्यक्ति को भी स्वास्थ लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों (एचआरएच) की पहचान स्वास्थ्य प्रणाली के मुख्य निर्माण ब्लॉक के रूप में की जाती है। इनमें चिकित्सक, नर्स, ग़र्मासिस्ट, प्रसाविका, दंत चिकित्सक, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन और सहायक कर्मी शामिल हैं।

6.87 भारत में हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों ने सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ मानव संसाधन संसाधनों को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केंद्रों (SCs)] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ, इन केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से एससी और पीएचसी को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में परिवर्तित करके मजबूत किया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2022 तक, 1.35 लाख एचडब्ल्यूसी पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

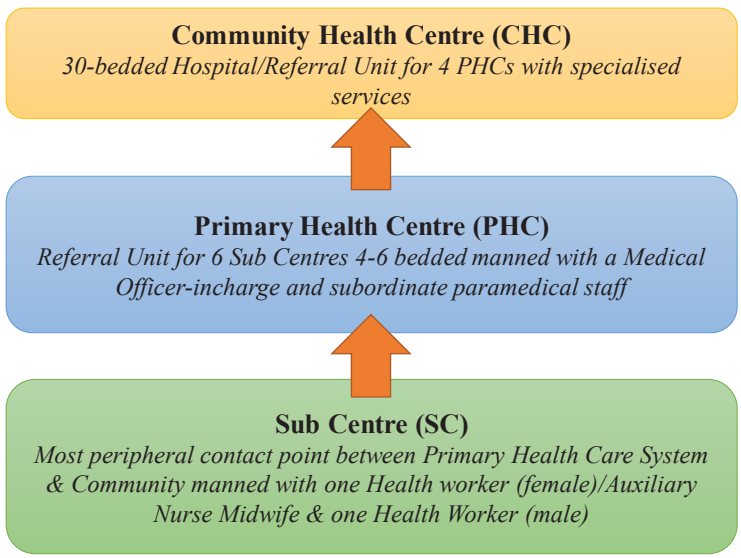

तालिका VI.19: स्वास्थ्य ढांचे में प्रगति (प्रत्येक वर्ष मार्च के अनुसार)

(संख्या हजारों में)

संकेतक	2014	2019	2020	2021	2022
उप-केंद्र (एससी)	152.3	157.4	155.4	156.1	157.9
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	25.0	24.9	24.9	25.1	24.9
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	5.4	5.3	5.2	5.5	5.5
पीएचसी में डॉक्टर	27.4	29.8	28.5	31.7	30.6
सीएचसी में कुल विशेषज्ञ	4.1	3.9	5.0	4.4	4.5
एससी और पीएचसी में सहायक नर्स मिडवाइफ	213.4	234.2	212.6	214.8	207.6
पीएचसी और सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	63.9	81.0	71.8	79.0	79.9
पीएचसी और सीएचसी में फार्मासिस्ट	22.7	26.2	25.8	28.5	27.1
पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियन	16.7	18.7	19.9	22.7	22.8

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोट: हरा रंग सुधार का संकेत देता है

स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सरकारी पहलों के अधीन प्रगति

टीकाकरण

6.88 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अधीन, टीकों से निरोध्य 12 बीमारियों: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का एक गंभीर रूप, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, आदि के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। सार्वभौमिक टीकाकरण को सुदृढ़ करने के लिए, दिसंबर 2014 में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से 90 प्रतिशत तक बढ़ाने और उसके बाद इसे बनाए रखने के उद्देश्य से मिशन इन्द्रधनुष (एमआई) शुरू किया गया था। यह अभियान गैर-टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों पर केंद्रित है। इसके बाद अक्टूबर 2017 में चिन्हित 190 जिलों/शहरी क्षेत्रों में इंटेन्सिफाइड एमआई की शुरुआत की गई।

6.89 वित्त वर्ष 23 में, कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूट हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए, 32 राज्यों राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में 416 जिलों (आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन लिए गए 75 जिलों सहित) में तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (एमआई) चलाया गया। दिसंबर 2022 तक, देश भर के 701 जिलों को शामिल करते हुए एमआई के कुल 11 चरणों को पूरा किया जा चुका है, जिसके तहत कुल 4.5 करोड़ बच्चों और 1.1 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप, एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 पूर्ण टीकाकरण कवरेज (एआईसी) में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि और 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के एआईसी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

ई-संजीवनी

6.90 ई-संजीवनी एक अभिनव, स्वदेशी, लागत प्रभावी और एकीकृत क्लाउड-आधारित टेलीमेडिसिन सिस्टम एप्लिकेशन है, जो रोगी से डॉक्टर तक टेली-परामर्श को सक्षम बनाता है ताकि देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और सभी नागरिकों को उनके घरों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। वर्तमान में, ई-संजीवनी भारत भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। 17 जनवरी 2023 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में

1,12,553 एचडब्ल्यूसी और तृतीयक स्तर के अस्पताल में 15,465 हब, और राज्य राज्यों में मेडिकल कॉलेज ई-संजीवनी सक्षम किए गए हैं। इस अभिनव समाधान से देश भर में 9.3 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा हुई है और वर्तमान में यह प्रतिदिन लगभग 4 लाख रोगियों की सेवा कर रहा है। ई-संजीवनी- भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी बाह्य रोगी सेवा प्रणाली के रूप में विकसित हुई है।

बॉक्स: VI-7: आयुष्मान भारत के अधीन प्रगति

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के कारण लक्षित लाभार्थियों के ओओपीई को कम करने का इरादा रखती है। यह योजना 10.7 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। जो कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) और अन्य राज्य योजनाओं के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचान की गई भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा है।

4 जनवरी 2023 तक, लगभग 21.9 करोड़ लाभार्थियों को योजना के अधीन सत्यापित किया गया है, जिसमें 3 करोड़ लाभार्थियों को राज्य आईटी सिस्टम का उपयोग करके सत्यापित किया गया है।

इस योजना के अधीन 26,055 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 4.3 करोड़ अस्पताल में दाखिले के लिए 50,409 करोड़ रुपये की राशि अधिकृत की गई है।

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)

योजना के अधीन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसएचसी और पीएचसी को अपग्रेड करके 1.5 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, जो समुदाय के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेगा।

ये एबी-एचडब्ल्यूसी मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और संचारी रोग सेवाओं का विस्तार और मजबूती करके और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और 3 सामान्य कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों से संबंधित सेवाओं को शामिल करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा। 31 दिसंबर 2022 तक एबी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से सेवा वितरण की स्थिति निम्नानुसार है:

- ✓ पहले एचडब्ल्यूसी का उद्घाटन 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया था।
- ✓ 1,54,070 एचडब्लूसी देशभर में परिचालित
- ✓ 135 करोड़ से अधिक संचयी फुटफॉल।
- ✓ गैर संचारी रोगों की 87.0 करोड़ से अधिक संचयी जांच
- ✓ योग सहित 1.6 करोड़ से अधिक वेलनेस सत्र।
- ✓ ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के अधीन,

15,465 हब (क्षेत्रीय स्तर पर एमबीबीएस/स्पेशियलिटी/सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों सहित) पर कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी के माध्यम से 9.3 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श प्रदान किए गए हैं और 17 जनवरी 2023 तक देश भर में 1,12,987 प्रवक्ता (राज्य स्तर पर एबी- एचडब्ल्यूसीएस)।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

मिशन का उद्देश्य खुले, इंटरऑपरेबल डिजिटल मानकों के आधार पर एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना है। यह स्वास्थ्य आईडी जारी करने, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान-प्रदान

को सक्षम करेगा। यह स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सस्ती होगी। 10 जनवरी 2023 तक प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- ✓ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (जिसे पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जाना जाता था) बनाया गया: 31,11,96,965
- ✓ स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री सत्यापित सुविधाएं: 1,92,706
- ✓ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवर: 1,23,442
- ✓ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े: 7,52,01,236

बॉक्स: VI-8: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी), 2015 में 11 राज्यों में शुरू किया गया और 2016 में पूरे देश में विस्तारित किया गया, यह एल्बेंडाजोल गोलियों के साथ 1–19 वर्ष की आयु के बच्चों में आंतों के कीड़े के संक्रमण के इलाज के लिए एक निश्चित दिन का दृष्टिकोण है। यह कार्यक्रम हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को स्कूलों और आंगनबाड़ियों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, इसके बाद अनुपस्थिति या बीमारी के कारण छूटे हुए लोगों को कवर करने के लिए मॉप-अप दिन होते हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनबाड़ियों के अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, और निजी स्कूल भी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हुए हैं।

कोविड-19 के दौरान, जोखिमों को कम करते हुए कृमिनाशक प्रयासों की निरंतरता बनाए रखी गई थी। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर के दौरे के दौरान या "ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस" आधारित मॉडल के माध्यम से उपयुक्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

कार्यक्रम की आवश्यकता

मृदा-संचारित हेल्मिंथियासिस (एसटीएच), जिसे परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जो बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आंतों के कीड़ों के संक्रमण को विशेष रूप से विटामिन ए और आयरन के पोषण संबंधी नुकसान को बढ़ाने, बढ़ाने और तीव्र करने के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और कृमि संक्रमण मिलकर बच्चों की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध कर देते हैं।

कृमि मुक्ति की प्रभाव प्रणाली

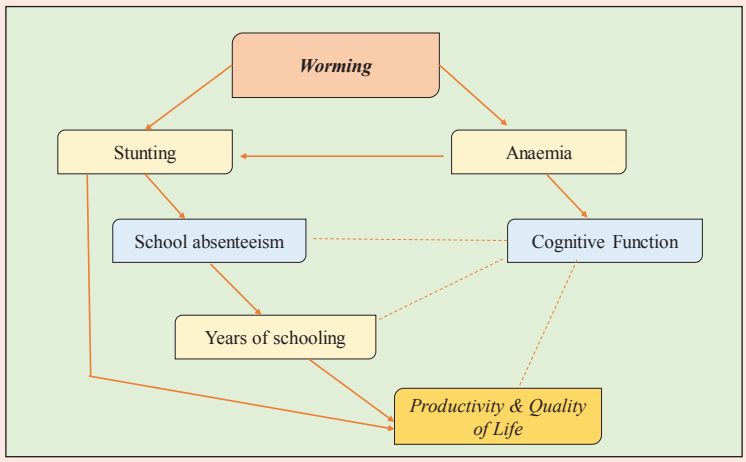

कृमि मुक्तिः एक कम लागत वाला उच्च लाभ वाला हस्तक्षेप

2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल क्रेमर सहित अन्य प्रमुख शोधों ने स्कूल में अनुपस्थिति, स्वास्थ्य, पोषण और सीखने के परिणामों पर कृमिनाशक दवा के महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाया है। लंबी अवधि के अध्ययनों में, कृमिनाशक उपचार के दस साल बाद, कृमिनाशक दवा से उच्च वेतन वाली नौकरियों की संभावना में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार नियमित रूप से डीवॉर्मिंग बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्राप्त करने में योगदान देता है। कृमिनाशक पहल स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने में स्वच्छ भारत अभियान का पूरक भी है।

कृमिनाशक के संयुक्त लाभ, हस्तक्षेप की कम लागत की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से उच्च लाभ-से-लागत अनुपात की ओर ले जाते हैं। केन्या में 20 साल के लंबे अध्ययन में वापसी की वार्षिक सामाजिक आंतरिक दर लगभग 37 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, गहरी जड़ों वाले विकास के लिए अच्छी तरह से लगाए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों के कार्यक्रम का कम लटका हुआ फल है।

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम

6.91 भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, 16 जनवरी 2021 को शुरु हुआ, प्रारंभ में जिसका उद्देश्य देश की वयस्क आबादी को कम से कम समय में टीकाकरण करना था। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती खुराक के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना कोविड प्रबंधन के लिए परीक्षित रणनीति बनी हुई है।

6.92 कोविड-19 टीकों की शुरूआत में कई चुनौतियाँ शामिल थीं जैसे कि नए कोविड टीकों के लिए अनुसंधान और विकास, 2.6 लाख से अधिक वैक्सीनेटरों और 4.8 लाख अन्य टीकाकरण टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण, उपलब्ध वैक्सीन का इष्टतम उपयोग, दुर्गम आबादी, और टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाने के साथ-साथ सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर टीकों के भंडारण और विकेन्द्रीकृत वितरण, कोल्ड चेन क्षमता को बढ़ाने और लाभार्थियों को पंजीकृत करने और वैक्सीन सेवा वितरण के लिए आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया। कार्यक्रम इन चुनौतियों पर काबू पाने और अल्प समय सीमा में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम था।

6.93 6 जनवरी 2023 तक, भारत देश भर में 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक देने में सक्षम रहा है। पात्र लाभार्थियों में से 97 प्रतिशत को पहले ही कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है और लगभग 90 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया था, इसके बाद 10 अप्रैल 2022 से 18-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए एहतियाती खुराक दी गई। अब तक 4.2 करोड़ से अधिक किशोरों को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन और 22.4 करोड़ एहतियाती खुराक दी गई है।

चित्र VI.20: कोविड-19 वैक्सीन के साथ वयस्क आबादी का संचयी प्रतिशत

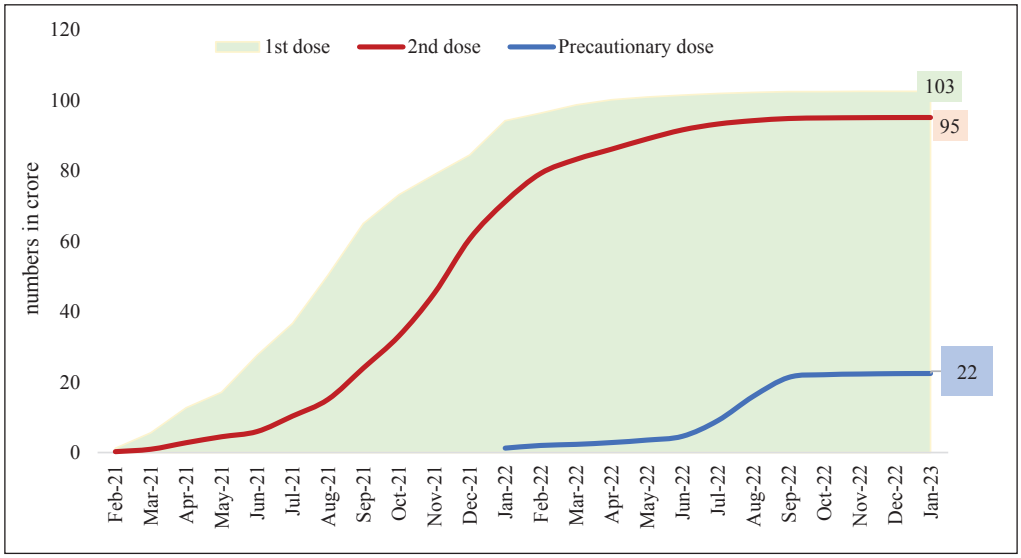

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

बॉक्स: VI-9: स्वास्थ्य- समर्पित कोविड अवसंरचना पर एक वर्णनात्मक व्याख्या

भारत में प्रथम कोविड-19 का मामला दिनांक 30 जनवरी 2020 को पता चला था, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर पहले कुछ मामलों का पता चलने से पहले ही भारत ने दिनांक 17 जनवरी 2020 की शुरुआत में सतर्कता से निगरानी लागू कर दी थी। कोविड-19 वायरस ने देश के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की, जिसे फीड-बैक लूप, वास्तविक परिणामों की वास्तविक समय की निगरानी, लचीली प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा-नेट कर्स के आधार पर एक चुस्त दृष्टिकोण के साथ निपटा गया था, जैसा कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षणों में इसकी चर्चा की गई थी।61 महामारी घोषित होने के दो साल से अधिक समय के बाद, सरकार ने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को संतुलित करने और बढ़ते केस के मामले से निपटने के लिए विभिन्न वित्तीय और सामाजिक उपाय किए हैं। इनमें भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में वृद्धि और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को जारी रखना शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने (क) जमीनी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश करके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी को बढ़ाकर; (ख) सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना; और (ग) महामारी के प्रबंधन के लिए सभी जिलों और ब्लॉकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला नेटवर्क और निगरानी को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य सरकारों ने भी महामारी से लड़ने के लिए कई उपाय किए। इसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए को-विन और अंतिम मील तक पहुंचने के लिए टेलीमेडिसिन के लिए ई- संजीवनी के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना द्वारा इसे पूरक बनाया गया था। सभी स्तरों पर और समय पर किए गए हस्तक्षेप ने भारत को लगातार झटकों के बावजूद कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की।

पिछले कुछ महीनों में, कोविड मामलों की संख्या काफी कम हो गई है, जहां सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से कम है और दैनिक नए मामले 300 से नीचे दर्ज किए गए हैं (दिनांक 29 दिसंबर 2022 तक)। भारत ने

[47]आर्थिक समीक्षा 2021-22 और 2020-21, अध्याय 1 और 10

शायद एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। भारत उन देशों में से एक है जिसने अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक तंत्र बनाने के लिए महामारी से सबसे अधिक सीखा है। स्वदेशी टीकों की दो खुराक के सफल शुरुआत के बाद तीसरी खुराक शुरू की गई।

समर्पित कोविड अवसंरचना:

कोविड रोगियों को संक्रमण के जोखिम को कम करने और गैर- कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान करने के लिए देश में समर्पित कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल हैं (i) हल्के या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए आइसोलेशन बेड के साथ एक समर्पित कोविड देखभाल केंद्र; (ii) मध्यम स्तर के मामलों के लिए एक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड, और (iii) गंभीर मामलों के लिए आईसीयू बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल। इसके अलावा, ईएसआईसी, रक्षा, रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र ऩलिस बल, इस्पात मंत्रालय, आदि के तहत तृतीयक देखभाल अस्पतालों को भी मामले के प्रबंधन के लिए इसका लाभ उठाया गया था। इसके अलावा, कई राज्यों में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने उपचार क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फील्ड अस्पतालों का उपयोग किया है।

कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन (पीएसए) ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स: पीएसए प्लांट अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे हैं, खासकर दूर-दराज के इलाकों में, जिससे अस्पताल अपनी जरूरतों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें और जिससे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति ग्रिड पर पड़ने वाले बोझ कम हो सके। इस बात पर जोर दिया गया कि देश के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएम-केयर्स सहायता से कम से कम 1 पीएसए संयंत्र होना चाहिए। तदनुसार, देश में 4,135 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को 4,852 मीट्रिक टन तक बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने दिनांक 6 जुलाई 2021 को राज्यों के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए सांकेतिक मानदंडों पर दिशानिर्देश विकसित किये गये और साझा किए हैं।

Source	No. of PSA Plants	Commissioned
PM-CARES	1225	1225
Central Government PSUs	283	283
Foreign Aid	53	50
State/CSR Initiatives	2574	2571
Total	**4135**	**4127**

- *ऑक्सीजन सिलेंडर:* सरकार ने राज्यों में मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो/केंद्र सरकार के अस्पतालों को 4,02,517 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है; जिसमें वर्ष 2020 में सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (सीएमएसएस) द्वारा 1.0 लाख; वर्ष 2021 में सीएमएसएस द्वारा 1.3 लाख; वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा 1.5 लाख और विदेशी सहायता से 23,000 शामिल हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का आवंटन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो के साथ पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण तरीके से किया गया है।
- इसके अलावा, एमओएचएफडब्ल्यू ने यूनिसेफ-एडीबी (एशियाई विकास बैंक) की सहायता से राज्यों के बीच अतिरिक्त 14,340 डी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण को भी मंजूरी दे दी है, जो प्रक्रियाधीन है।

- *ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर:* कोविड प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कुल 1,13,186 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए ओएनजीसी के माध्यम से पीएम-केयर्स के तहत 99,186; और आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) सहायता के तहत 14,000 खरीदे गये हैं। ये सभी घरेलू स्तर पर खरीदे गए कंसंट्रेटर्स पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे परेषिती बिंदु (कंसाइनी पॉइंट्स) के विवरण के साथ जिलों को तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जारी करें और ओसी-एमआईएस पोर्टल (ऑक्सीकेयर एमआईएस पोर्टल) पर जिला स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की प्राप्ति से संबंधित डेटा तुरंत दर्ज करें।

डॉक्टर-रोगी अनुपात

वर्ष 2014 से औषधीय शिक्षा प्रणाली में आने वाले हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर जून 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और एनएमसी के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता और 5.7 लाख आयुष डॉक्टरों को मानते हुए, डब्ल्यूएचओ मानदंडों 1:834 के खिलाफ देश में डॉक्टर-जनसंख्या का अनुपात 1:1000 है।

डॉक्टरों और कर्मचारियों की वृद्धि/नियुक्ति/भर्ती के लिए पहल

चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को और बेहतर बनाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की परिकल्पना की गयी है, जिनमें निम्न शामिल हैं: -

क. जिला/रेफरल अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक सीएसएस, जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 94 पहले से ही चालू हैं।

ख. एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए एक सीएसएस।

ग. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के ''सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन'' के तहत 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

घ. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।

ङ. संकाय सदस्य, स्टाफ, बेड की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंडों में छूट।

च. फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए टीचिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्ति के लिए डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड क्वालिफिकेशन को मान्यता दी गई है।

छ. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/फनर्रोजगार हेतु आयु सीमा में 70 वर्ष तक की वृद्धि।

संक्षेप में, 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति/भर्ती/नियुक्ति सहित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के अधीन हैं। कोविड महामारी जैसे किसी भी तात्कालिक झटके का मुकाबला करने के लिए उपायों का कोई सेट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उपायों को 'सेटरिस परिबस' की धारणा के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य सभी चीजें अपरिवर्तित या स्थिर हैं। किन्तु लेकिन प्रमुख अंतर यह है कि हम एक नए सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, और इसलिए अंत की ओर, यह सब संकट के बेहतर प्रबंधन और आगे की योजना बनाने के बारे में है। इस प्रकार, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो मजबूत सूची बनाई है, वह देश के समग्र स्वास्थ्य ढांचे और शासन प्रणाली में सुधार करेगी।

बॉक्स: VI-10: को-विन: बताने के लिए टीकाकरण की एक सफल डिजिटल कहानी

भारत में टीकों और टीकों का इतिहास हमें 1802 में वापस ले जाता है जब चेचक के लिए टीके की पहली खुराक दर्ज की गई थी।62 उस समय टीकों के चिकित्सा इतिहास का पता लगाना एक कठिन कार्य था। हालाँकि, समकालीन परिदृश्य में, हमने डिजिटल यात्रा में काफी प्रगति की है, और अधिकांश चिकित्सा विज्ञान खोजें मात्र एक 'क्लिक' दूर हैं। साथ ही, कोविड के आने से पहले ही भारत ने सामूहिक टीकाकरण की रणनीति बना ली थी क्योंकि कई अन्य बीमारियों के लिए साल भर के कार्यक्रम चल रहे थे। वर्षों से, सरकार ने ''अंत्योदय'' के मूल दर्शन को आत्मसात करके डिजिटल स्वास्थ्य सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, टीकाकरण प्रक्रिया में एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि महामारी के दौरान समूह प्रतिरक्षा हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था। जबकि कई अर्थव्यवस्थाओं को शून्य से एक मॉडल विकसित करना था, भारत सहज स्थिति में था। सरकार के जेइएम ट्रिनिटी विजन के लिए धन्यवाद, राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने में को-विन (कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) के माध्यम से महत्वपूर्ण चुनौती को समयबद्ध तरीके से सामना किया गया।

को-विन को ईविन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) प्लेटफॉर्म के विस्तार के रूप में विकसित किया गया है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक क्लाउड-आधारित आईटी समाधान, को-विन सिस्टम संपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए उपयोगिताओं के साथ एक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। खुले मंच के दोहरे इंटरुेस ने इसे नागरिक और प्रशासक-केंद्रित सेवाओं में स्केलेबल बना दिया। टीकाकरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंच ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर (सरकारी और निजी) पर रीयल-टाइम स्टॉक ट्रैकिंग प्रदान की। इसने आगे चलकर कोविड-19 टीकों की बर्बादी को रोका, जो अन्यथा को-विन से पहले हुआ था।

उपयोगकर्ताओं (प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और टीकाकरणकर्ताओं), टीकाकरण केंद्रों और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों के पंजीकरण से परे जाकर, वेब समाधान ने डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र जारी करने का विस्तार किया। टीकाकरण प्रमाणपत्र को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सहायता के लिए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों के अनुरूप डिजाइन किया गया था। एक दस्तावेज (आधार) पर पंजीकरण के बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने 10 फोटो पहचान पत्रों [आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र, ोटो के साथ राशन कार्ड, छात्र ोटो आईडी कार्ड] में से किसी का भी उपयोग करके पंजीकरण की अनुमति दी गयी। डिजिटल डिवाइड और डिजिटल एक्सक्लूजन की समस्या से निपटने के लिए, नेशनल कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके कई लाभार्थियों (छह तक) को ऑनबोर्डिंग की अनुमति दी गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्र, अक्षमता या पहचान के कारण कोविड के समय में भौतिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले लोग छूटे नहीं हैं, इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में ष्कार्यस्थल कोविड टीकाकरण केंद्रष् के माध्यम से और ''होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के पास'' के माध्यम से भी विशेष प्रावधान उपलब्ध कराया गया।

को-विन के मजबूत डिजिटल अवसंरचना के कारण 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक का वर्तमान में दिया जाना संभव हो पाया है। यह डिजिटल अवसंरचना का व्यापक इंटरलॉक था और बेहतर समावेशन के लिए अपनी पहुंच में लगातार सुधार करने की सरकार की उत्साह थी कि भारत जीवन और आजीविका दोनों क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए एक त्वरित और टिकाऊ आर्थिक सुधार दर्ज कर सका। कुल 104 करोड़ (जनवरी 2021 से सितंबर 2022 के बीच) में से 84.7 करोड़ से अधिक को-विन लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, वित्त वर्ष 2015 में बोया गया जैम का सीड राष्ट्र के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ।

[48]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078488/

आपातकाल के लिए सामाजिक संरक्षण

6.94 विकास से कम आय वाले लोगों को जाल से बाहर निकाल सकते हैं, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वे अपने जीवनकाल में किसी भी संकट की स्थिति के प्रति संवेदनशील न रहेंगें। इस प्रकार, नागरिकों को बारिश के दिनों में होने वाले जोखिमों से बचाना महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं, बुढ़ापा, आदि। विशेष रूप से महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में अधिक संसाधनों का निवेश किया और वित्तीय वर्ष 23 में इस समझ के साथ ऐसा करना जारी रखा कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां विकास प्रक्रिया का समर्थन कर सकती हैं। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

6.95 **प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई):** पीएमवीवीवाई भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाती है और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित है। जिस कीमत पर वे पेंशन पॉलिसी खरीदते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक 11,97,159 पॉलिसी के अधीन सामूहिक रूप से ₹87,081.1 करोड़ की जमा राशि से इस योजना से कुल 8,59,708 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

6.96 **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई):** यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है और किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹436/. के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जोखिम बीमा देती है। 11 जनवरी 2023 तक, 14.96 करोड़ लोगों को संचयी रूप से नामांकित किया गया है और पीएमजेजेबीवाई के अधीन 6,39,032 दावों का भुगतान किया गया है।

6.97 **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जो आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता होने पर ₹2 लाख जोखिम बीमा देती है और प्रति वर्ष ₹20 के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹1 लाख का जोखिम बीमा देती है। 11 जनवरी 2023 तक, 32.1 करोड़ व्यक्तियों को संचयी रूप से नामांकित किया गया है और पीएमएसबीवाई के अधीन 1,10,298 दावों का भुगतान किया गया है।

6.98 **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएमडीवाई):** पीएम-एसवाईएमडीवाई मार्च 2019 में शुरू की गई, पीएम-एसवाईएमडीवाई 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3,000 की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 2 नवंबर 2022 तक, 49.1 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना के अधीन नामांकित किया गया है।

6.99 **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** यह 1 जून 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो एक साल की अवधि के साथ ₹10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण और लाभार्थियों को मुफ्त ऑनबोर्डिंग देकर स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर। लाभार्थी पहली किश्त के समय पर पुनर्भुगतान के बाद 18 महीने के कार्यकाल में ₹20,000 तक के ऋण की दूसरी किश्त के लिए भी पात्र हैं। यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अधीन नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। 12 जनवरी 2023 तक, 45,74,866 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी किश्तों में एक साथ स्वीकृत किया गया है; जिसमें से 39,43,094 ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

6.100 इसके अलावा, आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए, **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें गतिविधियों सहित आय-सृजन निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण दिया गया था। कृषि से संबद्ध जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि। पीएमएमवाई के अधीन सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं; बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- पीएमएम वाई के तत्वावधान में, मुद्रा ने 'शिशु' (50,000 रुपये तक के ऋण), 'किशोर' (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण) और 'तरुण' (इससे ऊपर के ऋण) नामक तीन उत्पाद बनाए हैं। ₹5 लाख और ₹10 लाख तक) लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाता है और स्नातक/विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है;
- ऋण की मंजूरी के दौरान संपार्श्विक (संपार्श्विक) पर कोई जोर नहीं है;
- ब्याज की दर ऋण देने वाली संस्था द्वारा तय की जाती है, ब्याज केवल उधारकर्ता द्वारा रात भर रखे गए धन पर लगाया जाता है;
- माइक्रो यूनिट्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) की स्थापना एमएलआई द्वारा पीएमएमवाई के अधीन योग्य माइक्रो यूनिट्स को दिए गए ऋण की गारंटी देने और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अधीन स्वीकृत ओवरड्राफ्ट ऋण राशि के लिए की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 21 से आगे, स्वयं सहायता समूहों को ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच स्वीकृत ऋण भी सीजीएफएमयू के अधीन कवरेज के लिए पात्र हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इस फंड की ट्रस्टी है।

वर्तमान स्थिति

योजना के शुभारंभ के बाद से 21.5 लाख करोड़ रुपये की राशि के 38.4 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 6.8 लाख करोड़ रुपये की राशि के 8.2 करोड़ से अधिक ऋण नए उद्यमियों/खातों को दिए गए हैं, जो योजना के अधीन दिए गए कुल ऋणों का लगभग 21 प्रतिशत है। लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

भारत की आकांक्षी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

6.101 1960 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत था और 2007 तक 70 प्रतिशत से अधिक रहा। यह वर्तमान में 2021 के लिए 65 प्रतिशत है। इसके अलावा, 47 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में सरकार का ग्रामीण विकास पर ध्यान देना जरूरी है। अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकार के जुड़ाव का उद्देश्य ''ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेश, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलना'' रहा है।

---

[49]स्रोत: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग की विश्व शहरीकरण संभावनाओं के आधार पर विश्व बैंक के कर्मचारियों का अनुमान: 2018 संशोधन।

[50]ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग का विजन दस्तावेज, नवंबर 2019

6.102 ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी सहित कई उपाय किए गए हैं। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों और छोटे व्यवसायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ले जाना भी ग्रामीण विकास के एजेंडे का एक प्रमुख पहलू रहा है, चाहे वह कृषि गतिविधियों में हो या शासन में। महामारी के कारण आवश्यक जोर देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य मापदंडों पर भी प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इन पहलुओं के सुधारों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

जीवन की गुणवत्ता के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए बहुआयामी पहल

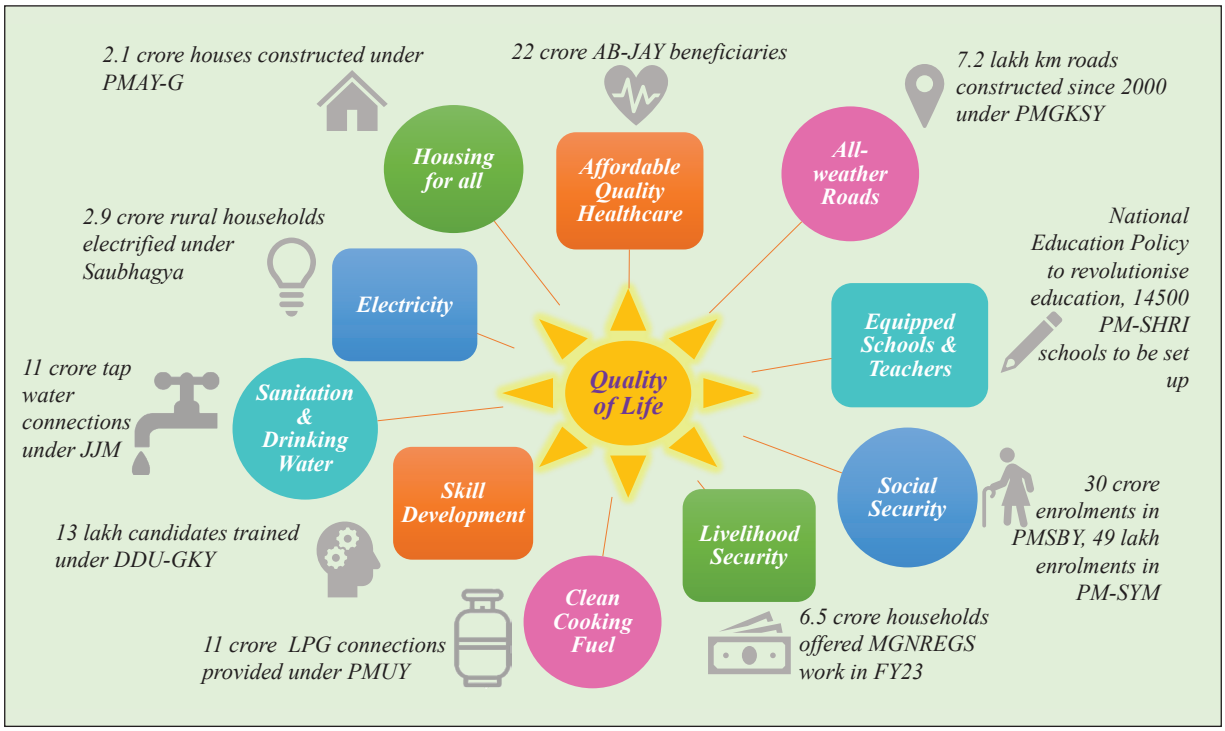

6.103 2019-21 के लिए एनएफएचएस डेटा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से संबंधित संकेतकों की एक सरणी में 2015-16 की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार दिखाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिजली तक पहुंच, बेहतर पेयजल स्रोतों की उपस्थिति, के अधीन कवरेज शामिल है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, आदि। घरेलू निर्णय लेने, बैंक खातों के मालिक होने और मोबाइल फोन के उपयोग में महिला भागीदारी में स्पष्ट प्रगति के साथ महिला सशक्तिकरण को भी गति मिली है। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अधिकांश संकेतकों में सुधार हुआ है। ये परिणाम-उन्मुख आँकड़े ग्रामीण जीवन स्तर में ठोस मध्यम-संचालित प्रगति स्थापित करते हैं, जो बुनियादी सुविधाओं और कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन पर नीतिगत फोकस से सहायता प्राप्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

तालिका VI.20: ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष

	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	NFHS 4 (2015-16)	NFHS 5 (2019-21)
जनसंख्या	पिछले पांच वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय जनसंख्या लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)	927	↑ 931
	कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)	2.4	↓ 2.1
घरेलू सुविधाएं	बिजली वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (प्रतिशत)	83.2	↑ 95.7
	बेहतर पेयजल स्रोत वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या	89.3	↑ 94.6
	खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार (प्रतिशत)	24.0	↑ 43.2
	बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (प्रतिशत)	36.7	↑ 64.9
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य बीमा/वित्त पोषण योजना के तहत शामिल किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले स्वास्थ्य परिवार (प्रतिशत)	28.9	↑ 42.4
	शिशु मृत्यु दर	46.0	↓ 38.4
	जिन माताओं की पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच हुई (प्रतिशत)	54.2	↑ 67.9
	जिन माताओं ने गर्भवती होने पर 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड का सेवन किया (प्रतिशत)	25.9	↑ 40.2
	संस्थागत जन्म (प्रतिशत)	75.1	↑ 86.7
	केवल टीकाकरण कार्ड की जानकारी के आधार पर 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (प्रतिशत)	61.3	↑ 84.0
	12-23 महीने की आयु के बच्चे जिन्होंने अपने अधिकांश टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा (प्रतिशत) में प्राप्त किए	94.2	↑ 97.0
	सर्वेक्षण से पहले 2 सप्ताह में दस्त की बीमारी (प्रतिशत)	9.6	↓ 7.7
	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नाटे हैं (उम्र के अनुसार ऊंचाई) (प्रतिशत)	41.2	↓ 37.3
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कमजोर हैं (ऊंचाई के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	21.5	↓ 19.5
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (उम्र के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	38.3	↓ 33.8

[51]आवासीय/अहाते/भूखंड में पाइप द्वारा पानी, पड़ोसी को पाइप, सार्वजनिक नल/स्टैंडपाइप, नलकूप या बोरहोल, संरक्षित कुएं, संरक्षित झरने, वर्षा जल, टैंकर ट्रक, छोटे टैंक के साथ गाड़ी, बोतलबंद पानी, सामुदायिक आरओ प्लांट।

[52]बिजली, एलपीजी/प्राकृतिक गैस, बायोगैस।

[53]पाइप वाले सीवर सिस्टम में फ्लश करें, सेप्टिक टैंक में फ्लश करें, पिट लैट्रिन में फ्लश करें, पता नहीं कहां फ्लश करें, हवादार बेहतर पिट (वीआईपी)/बायोगैस लैट्रिन, स्लैब के साथ पिट लैट्रिन, ट्विन पिट/कंपोस्टिंग टॉयलेट, जो नहीं है किसी अन्य परिवार के साथ साझा किया गया। यह संकेतक शौचालय की सुविधा तक की पहुंच को नहीं दर्शाता है।

	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	NFHS 4 (2015-16)	NFHS 5 (2019-21)
	6-23 महीने की उम्र के बच्चों को पर्याप्त आहार मिल रहा है	8.8	↑ 11.0
	ऐसी महिलाएं जिनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से कम है (बीएमआई <18.5 किग्रा/एम 2)	26.7	↓ 21.2
	6-59 महीने की आयु के बच्चे जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	59.5	↑ 68.3
	15-49 वर्ष की सभी महिलाएं जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	54.3	↑ 58.5
	15-49 वर्ष की आयु के पुरुष जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	25.3	↑ 27.4
महिला सशक्तिकरण	वर्तमान में विवाहित महिलाएँ जो आमतौर पर तीन घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (प्रतिशत)	83.0	↑ 87.7
	जिन महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में काम किया और उन्हें नकद भुगतान किया गया (प्रतिशत)	25.4	↑ 25.6
	घर और/या जमीन की मालिक महिलाएं (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) (प्रतिशत)	40.1	↑ 45.7
	बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाएं जिनका वे स्वयं उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	48.5	↑ 77.4
	ऐसी महिलाएं जिनके पास मोबाइल फोन है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	36.9	↑ 46.6
	जिन महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है (प्रतिशत)	लागू नहीं	↑ 24.6
	20-24 साल की महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले (प्रतिशत)	31.5	↓ 27.0

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफएचएस) 2015-16 और 2019-21, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ग्रामीणवासी के आय में वृद्धि

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):

6.104 एनआरएलएम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए स्थायी और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध हो। यह गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। मिशन चार मुख्य घटकों (क) ग्रामीण गरीब महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना; (ख) वित्तीय समावेशन; (ग) स्थायी आजीविका; और (घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से पात्रता तक पहुंच में निवेश करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।।

6.105 मिशन की आधारशिला इसका श्समुदाय संचालितश दृष्टिकोण है जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक संस्थानों के रूप में एक बड़ा मंच प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के मूल में ग्रामीण महिलाएं हैं, जो उनकी क्षमताओं के निर्माण, वित्तीय सहायता प्रदान करने और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक

[54]स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय, घर की प्रमुख खरीदारी करना, और अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जाना।

सशक्तिकरण पर व्यापक रूप से केंद्रित है ताकि वे आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकें। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने में सक्षम हो सकें। लगभग 4 लाख एसएचजी सदस्यों को जमीनी स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन में सहायता के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) (अर्थात् पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, पोषण सखी आदि) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

112. मिशन की कार्यान्वयन रणनीति के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 723 जिलों के 6861 ब्लॉकों में यह कार्य चल रहा है। इसने 81 लाख एसएचजी में गरीब और कमजोर समुदायों की कुल 8.7 करोड़ महिलाओं को संगठित किया है।

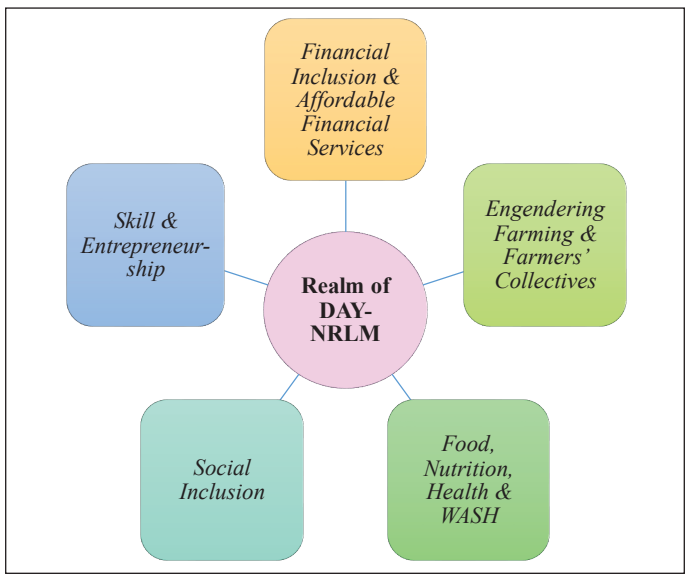

तालिका VI.21: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगति

सूचक	संचयी प्रगति (22 अक्टूबर तक)
कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या	6880
पदोन्नत एसएचजी की संख्या (लाख में)	81.1
जुटाए गए परिवारों की संख्या (लाख में)	875
एसएचजी को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (₹ करोड़ में)	20250.0
एसएचजी द्वारा प्राप्त बैंक ऋण की राशि (₹ लाख करोड़ में)	5.9
एसवीईपी के तहत स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों की संख्या	2.2
एजीवाईवाई के तहत तैनात वाहनों की संख्या	2208
शामिल किए गए महिला किसानों की संख्या (लाख में)	196.0
स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटरों की संख्या	26026
किचन गार्डन वाले परिवारों की संख्या (लाख में)	110.3

[55]स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

[56]आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

6.107 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं, की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यदि काम की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदनों के मामले में, जिस तारीख से काम की मांग की गई है, जो भी बाद में हो, रोजगार नहीं दिया जाता है, तो कर्मचारी दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है।

6.108 कुल 5.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया और योजना के तहत (6 जनवरी 2023 तक) कुल 225.8 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किया गया है। मनरेगा की भौतिक प्रगति व्यक्ति-दिनों की पीढ़ी, प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिनों और महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में नीचे दी गई है। बॉक्स VI-11 मनरेगा के तहत उपलब्धियों और शासन के उपायों को सूचीबद्ध करता है

तालिका VI.22: मनरेगा के तहत प्रगति

सूचक	2018-2019	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
किए गए प्रति व्यक्ति कार्य दिवस (करोड़ में)	267.9	265.4	389.1	363.3	225.8
प्रति परिवार औसत प्रति व्यक्ति कार्य दिवस	50.9	48.4	51.5	50.1	47.7
महिला भागीदारी दर (प्रतिशत)	54.6	54.8	53.2	54.7	56.3

*6 जनवरी 2023 तक

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

बॉक्स: VI-11: मनरेगा के तहत उपलब्धियां

आस्तियों की जियो-टैगिंग: योजना के तहत 1 नवंबर 2017 से पहले शुरू हुए सभी पूर्ण कार्यों की जियो-टैगिंग के लिए 1 सितंबर 2016 को जिओ मनरेगा चरण-1 शुरू किया गया था। जियो-मनरेगा चरण-प्प 1 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था और इस चरण के तहत संपत्तियों की जियो-टैगिंग तीन चरणों में की जाती है: काम शुरू करने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद। 5.2 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जियो-टैग किया गया है (6 जनवरी 2023 तक) और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय: अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लागत के संदर्भ में एक जिले में किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 60 प्रतिशत सीधे कृषि और संबद्ध से जुड़ी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के लिए होगा। भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 23 (6 जनवरी 2023 तक) में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर 68.5 प्रतिशत खर्च हुआ है।

ई-भुगतान: मनरेगा के तहत ई-भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) का उपयोग करके श्रमिकों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में किया जाता है। अब तक एनईएफएमएस/ई-एफएमएस के माध्यम से किया गया कुल व्यय 99.7 प्रतिशत है.

डीबीटी: योजना के तहत, 99 प्रतिशत वेतन चाहने वालों को उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो रही है। पारदर्शिता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

आधार-आधारित भुगतानः 14.0 करोड़ आधार को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में जोड़ा गया है जो कुल सक्रिय श्रमिकों (15.3 करोड़) का 92.0 प्रतिशत है। कुल 7.9 करोड़ श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है।

योजना के तहत सुशासन की कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

(क) जॉब कार्ड (जेसी) को समय-समय पर सत्यापित और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है ताकि फर्जी जेसी, डुप्लीकेट, और प्रवासन और मृत्यु जैसे कारणों को समाप्त किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जेसी को सत्यापित/अद्यतन करने के लिए यह अभ्यास शुरू कर दिया है।

(ख) सुशासन एक पहल के रूप में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे रजिस्टरों (एक ग्राम पंचायत में औसतन 22 रजिस्टर) की संख्या को घटाकर सात कर दिया गया है।

(ग) दिशानिर्देशों और अनुसूचियों के उल्लंघन के मामलों का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए दौरों के लिए अंतरराज्यीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई थी। यह एसओपी लेखापरीक्षा मानक नियम, 2011 के अनुसार सभी सामाजिक लेखापरीक्षा अनुपालन सुनिश्चित करेगा इसमें एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना, स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशक, और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए पूर्ण मानव संसाधन, एमआईएस में समय पर कैलेंडर अपलोड करना, समय पर नियमित लेखापरीक्षा करना और निर्धारित समय में एमआईएस पर मुद्दों को अपलोड करना शामिल है।

(घ) कौशल की सीढ़ी पर मनरेगा श्रमिकों को ऊपर ले जाने के लिए बेयर फुट तकनीशियन (बीएफटी) जैसी हालिया पहलों के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी तक 20 राज्यों में 8.394 बीएफटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ड.) परियोजना ''उन्नति'' का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना है, और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना है ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। यह परियोजना वित्त वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य तीन वर्षों यानी वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में 2 लाख मनरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अभी तक लगभग 24,373 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्नति स्किलिंग प्रोजेक्ट एक परिवार के एक वयस्क सदस्य (18-45 वर्ष की आयु) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसने वित्त वर्ष 19 से वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। वेतन हानि मुआवजे के एवज में स्टाइपेंड का पूरा खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

(च) एसईसीसी 2011 के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ परिवार भूमिहीन परिवारों की श्रेणी में आते हैं जो आजीविका के लिए दस्ती अनियत श्रम पर निर्भर हैं। सरकार इन परिवारों जिनके पास जेसी नहीं है को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे लगभग 5.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।

(छ) अधिकारियों को अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मई 2021 में क्षेत्रीय अधिकारी निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए समय-मुद्रित और गो-समन्वय टैग की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड करने में भी मदद करेगा। इससे निष्कर्षों के विश्लेषण में सुविधा मिलती है जो बदले में कार्यक्रम के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन में मदद करता है।

(ज) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) ऐप मई 2021 में लॉन्च किया गया था। जो एक जियो-टैग की गई तस्वीर के साथ मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। यह ऐप पारदर्शिता लाने और योजनाओं की उचित निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है और कार्यक्रम के नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने में मदद करेगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

6.109 डीडीयू-जीकेवाई एनआरएलएम के अधीन ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए बाजार आधारित, प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। 30 नवंबर 2022 तक इस योजना के अधीन कुल 13,06,851 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 7,89,685 को नौकरी मिल चुकी है।

ग्रामीण आवास

6.110 भोजन और वस्त्र के साथ आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ''2022 तक सभी के लिए आवास'' प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस लक्ष्य के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी पात्र बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ लगभग 3 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराना था। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से, पीएमएवाई-जी शौचालय के निर्माण, पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, और मनरेगा से 90/95 अकुशल श्रम दिवस जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है।

6.111 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों के लिए ही है जो वास्तव में वंचित हैं और चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है, पीएमएवाई-जी एसईसीसी, 2011 की तारीख में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन करता है जिसे ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाना है। योजनान्तर्गत भूमिहीन हितग्राहियों को आवास आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अधीन कुल 2.7 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 6 जनवरी 2023 तक 2.1 करोड़ घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वित्त वर्ष 23 में 52.8 लाख घरों को पूरा करने के कुल लक्ष्य के मुकाबले 32.4 लाख घरों को पूरा किया जा चुका है।

पेयजल और स्वच्छता

6.112 यूएन-एसडी जी 6 का उद्देश्य ''सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।'' भारत ने शहरी और ग्रामीण परिवारों को पेयजल और सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने में काफी प्रगति की है। पानी और स्वच्छता के एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ऑपरेशन के अधीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के कुछ विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं।

जल जीवन मिशन

6.113 सरकार ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 'जीवन सुगमता' को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 73वें स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2019 को, जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की गई थी, जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा, ताकि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं (आदिवासी आवासीय विद्यालयों), स्वास्थ्य केंद्रों, जैसे गांवों में हर ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थानों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। ग्राम पंचायत भवन, आदि, 2024 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय होगा, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपए है और शेष 1.52 लाख करोड़ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा साझा किया जाना है।

6.114 अगस्त 2019 में जेजेएम के रोलआउट के समय, कुल 18.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 3.2 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। मिशन की शुरुआत के बाद से, 18 जनवरी 2023 तक, 19.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.0 करोड़ परिवारों को उनके घरों में नल से जलापूर्ति मिल रही है। इसके अलावा, चार राज्य, अर्थात, गोवा, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा, और तीन केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी 'हर घर जल' राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, अर्थात 100 प्रतिशत घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। इसी तरह, 121 जिले, 1,515 ब्लॉक, 82,071 ग्राम पंचायत और 1.5 लाख से अधिक गांव भी क्रमशः 'हर घर जल ब्लॉक', 'हर घर जल पंचायत' और 'हर घर जल गांव' बन गए हैं। इसके अलावा, 8.8 लाख से अधिक स्कूलों और 9.1 लाख आंगनवाड़ी

केंद्रों को पाइप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है। बॉक्स VI-12 मिशन के बारे में अधिक विवरण प्रदान करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह कैसे काम कर रहा है।

बॉक्स: VI-12: जन स्वास्थ्य के साधन के रूप में जल जीवन मिशन

क्रेमर एट अल द्वारा एक हालिया अध्ययन (2022) से यह अनुमान लगाया गया है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण मुक्त पानी की आपूर्ति से हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के 1.36 लाख बच्चों की मौत को रोका जा सकता है। इस प्रकार, जल उपचार से बड़े पैमाने पर शुद्ध लाभ होने की संभावना है और यह स्वच्छ भारत अभियान जैसे कदमों का पूरक है, जिससे स्वच्छता में सुधार के माध्यम से बाल मृत्यु दर को रोका जा सके।

स्वास्थ सेवाओं के महा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण घर के दरवाजे पर सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता के साथ, जल जनित रोग 2019 में 1.8 करोड़ से घटकर 2021 में 59.0 लाख हो गए हैं।

पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- जेजेएम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता के पीने योग्य पानी के प्रावधान पर जोर देता है। मिशन के अधीन जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, एक राष्ट्रव्यापी जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) को क्षेत्र परीक्षण किटों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग करके शुरू किया गया है। डेटा अपलोड, विश्लेषण और गुणवत्ता के मुद्दों के मामले में, स्थानीय अधिकारियों को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सतर्क किया जाता है।

कार्यात्मक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत

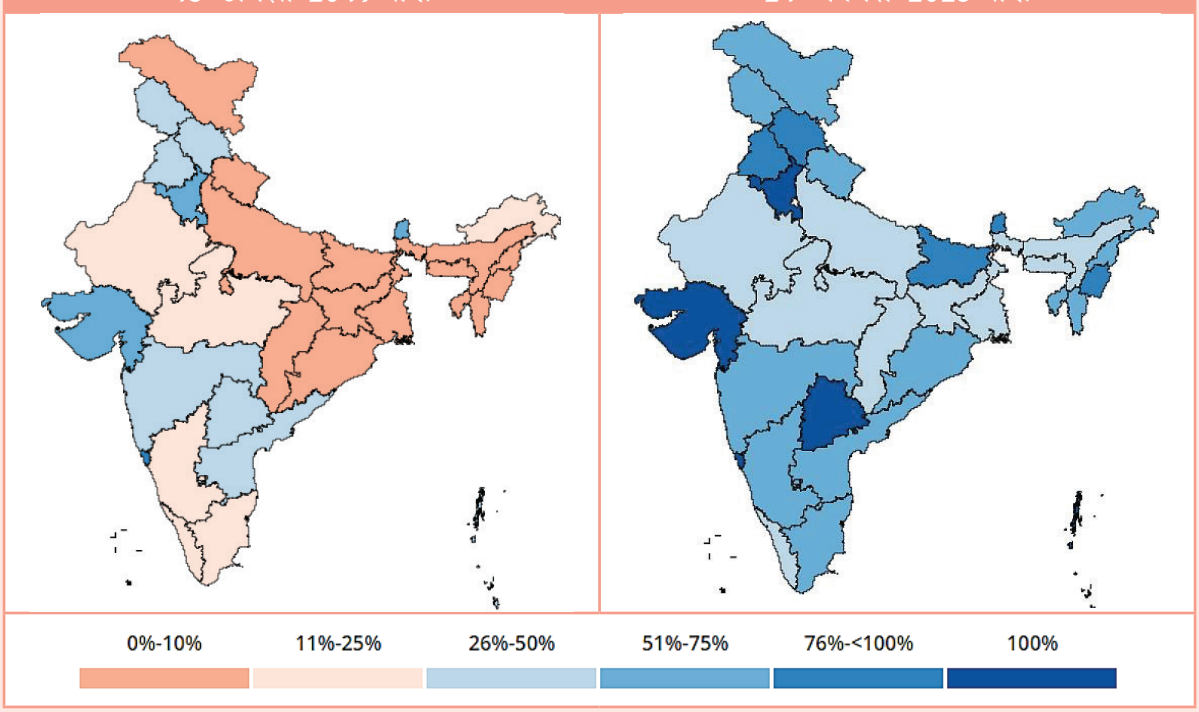

स्रोत: जल जीवन मिशन डैशबोर्ड

- प्रत्येक गांव में कम से कम एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित पांच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके किसी भी प्रकार के संदूषण के पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एकटीके खरीदे जाते हैं और पंचायतों को सौंपे जाते हैं। एकटीके नौ मापदंडों पर पानी का परीक्षण करने में मदद करता है। पीएच, क्षारीयता, क्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कठोरता, फ्लोराइड, लोहा, अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन और दिसंबर 2022 तक, एकटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण पर लगभग 2.0 लाख गांवों में 16.2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और 58.0 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- देश में 2,067 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 657 प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। पानी के नमूनों की नाममात्र दरों पर जांच कराने के लिए लोगों के लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोल दी गई हैं। कई राज्यों ने दूरदराज के गांवों में पानी के नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराए हैं। वित्त वर्ष 23 में, दिसंबर 2022 तक, प्रयोगशालाओं में 27.0 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न स्थानीय जल उपयोगिताओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, घरों में जल सेवा वितरण की स्थिति का आकलन करने के लिए हर साल एक कार्यात्मक मूल्यांकन अभ्यास किया जाता है। घरेलू नल कनेक्शन-2022 की कार्यक्षमता के आकलन के अनुसार, 87 प्रतिशत नमूना परिवारों को पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ।
- 10 अक्टूबर 2022 तक, देश भर में 8.7 लाख स्कूलों (84.6 प्रतिशत) और 8.9 लाख (80.6 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों को पीने और मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में उपयोग के लिए पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया गया है।
- 2 अक्टूबर 2022 को 100 दिवसीय जल गुणवत्ता अभियान ष्स्वच्छ जल से सुरक्षाष की घोषणा की गई थी, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण गतिविधियों और नागरिक विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके ग्रामीणों की क्षमता निर्माण के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के महत्व पर जागरूकता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- जेजेएम द्वारा समर्थित विभिन्न आईआईटी में पांच 'सतत पेयजल केंद्र' पेयजल में स्थिरता लाने के लिए नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम कर रहे हैं।

मिशन अमृत सरोवर

6.115 भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। मिशन का उद्देश्य स्वतंत्रता के 75वें वर्ष इस अमृत वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। अब तक, 50,000 अमृत सरोवर के प्रारंभिक लक्ष्य को लेकर, कुल 93,291 से अधिक अमृत सरोवर स्थलों की पहचान की गई है और 54,047 से अधिक स्थलों पर काम शुरू हो गया है। इन शुरू किए गए कार्यों में से अब तक कुल 27,071 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। इस पहल से निम्नलिखित कार्य किए गए:

- लगभग 32 करोड़ घनमीटर जल धारण क्षमता को बढाया गया है।
- जल उपभोक्ता समूहों को प्रत्येक अमृत सरोवर के साथ जोड़ा गया है, साथ ही साथ स्थानीय समुदाय की आजीविका के आधार में सुधार किया गया है।
- स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिवारों, पद्म पुरस्कार विजेताओं और स्थानीय क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी में मदद की, सामाजिक सद्भाव और देशभक्ति को बढ़ावा दिया और इस मिशन को एक जन आंदोलन बना दिया।

- इस मिशन में ''श्रम-दान'' के रूप में लोगों की भागीदारी देखी गई है।
- इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 1,04,818 टन कार्बन की कुल कार्बन पृथक्करण क्षमता का निर्माण होगा।

जलदूत ऐप

6.116 एक ग्राम पंचायत के 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व और मानसून के बाद) पानी के स्तर को मापने के लिए 27 सितंबर 2022 को जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया था। जल स्तर को मापने के लिए ग्राम रोजगार सहायक की आवश्यकता होती है और जलदूत मोबाइल ऐप का उपयोग करके केंद्रीय सर्वर पर इसका दस्तावेजीकरण किया जाता है। इससे भूजल की निगरानी, जल बजट और जल संचयन और संरक्षण संबंधी कार्यों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 7 दिसंबर 2022 तक कुल 3,66,354 कुओं की माप की जा चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

6.117 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम (जी)) भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों में ओडीएफ का दर्जा हासिल करने के बाद, एसबीएम (जी) का चरण- II अब वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 के दौरान लागू किया जा रहा है, जिसमें गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और सभी गांवों को शामिल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए। इस मिशन के अधीन 10 नवंबर 2022 तक लगभग 1,24,099 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने सभी गांवों को ओडीफ़ प्लस मॉडल घोषित किया है, इस प्रकार यह पहला स्वच्छ, सुजल प्रदेश बन गया है।

एलपीजी कनेक्शन

6.118 आवश्यक वस्तुओं सहित कमोडिटी की कीमतें पिछले एक साल में अस्थिर बनी रहने के कारण सरकार कमजोर लोगों का समर्थन करना जारी रखे हुए है। इसमें सब्सिडी युक्त खाना पकाने के ईंधन के साथ परिवारों को समर्थन देना शामिल है।

6.119 ***प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, स्वच्छ भारत बेहतर जीवन:*** ''प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) मई 2016 में ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू की गई थी, जो अन्यथा परंपरागत उपयोग कर रहे थे। खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर के उपले आदि। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। योजना के अधीन 9.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके भी एलपीजी कवरेज को 1 मई 2016 के 62 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 को 99.8 प्रतिशत करने में मदद मिली है।

6.120 वित्त वर्ष 22 के केंद्रीय बजट के अधीन, पीएमयूवाई योजना अर्थात उज्ज्वला 2.0 के अधीन अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना लाभार्थियों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन, पहली रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त और एक सरलीकृत नामांकन प्रक्रिया की पेशकश करेगी। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है। इस उज्जवला 2.0 योजना के अधीन 24 नवंबर 2022 तक 1.6 करोड़ कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

6.121 पीएमजीएसवाई का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्दिष्ट जनसंख्या आकार वाली (मैदानी क्षेत्रों में 500+, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 250+) सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क की व्यवस्था करना है। कार्यक्रम में उन जिलों के लिए एक उन्नयन घटक भी है, जहां निर्दिष्ट जनसंख्या आकार के सभी पात्र आवासों को बारहमासी सड़क संपर्क दिया गया है। हालाँकि, यह उन्नयन कार्यक्रम के घटकों में से एक है।

6.122 कार्यक्रम को तीन चरणों में प्रारंभ किया गया है, जिसमें नवीनतम तीसरे चरण की शुरुआत 10 जुलाई 2019 को मार्गों के माध्यम से 1,25,000 किमी के समेकन और बस्तियों को जोड़ने वाले प्रमुख ग्रामीण लिंक, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, और अस्पतालों से की गई है। इसकी स्थापना के बाद से, ₹3,63,233 करोड़ से 8,01,838 किमी कुल 1,84,984 सड़कों और 10,383 स्पैन वाले 10,383 फलों (एलएसबी) को पीएमजीएसआई के सभी हस्तक्षेपों/कार्यक्षेत्रों के तहत स्वीकृत किया गया है। 7,23,893 किमी लंबी और 1,73,775 सड़कों और 7,789 एलएसबी को पूरा किया गया है।

6.123 इस योजना ने बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण जनता की आय बढ़ाने में अत्यधिक मदद की है। पीएमजीएसवाई पर विभिन्न स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना का कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण, रोजगार सृजन आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बिजली

सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

6.124 सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मार्च 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और देश में शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। इस योजना में ऑन-स्पॉट पंजीकरण और कनेक्शन जारी करने के लिए गांवों/क्लस्टर गांवों में शिविरों का आयोजन करना शामिल था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त कनेक्शन दिए गए और अन्य के लिए 10 किस्तों में कनेक्शन जारी होने के बाद 500 रुपए का शुल्क लिया गया। सौभाग्य योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और 31 मार्च 2022 को बंद कर दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

6.125 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से नवंबर 2014 में शुरू की गई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए गांवों/बस्तियों में बुनियादी बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और वृद्धि, और मौजूदा ग्रीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, राज्यों द्वारा उनकी सूची के अनुसार पहचाने गए बीपीएल परिवारों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए गए थे।

6.126 अक्टूबर 2017 में सौभाग्य अवधि शुरू होने के बाद से कुल 2.9 करोड़ घरों का विद्युतीकरण विभिन्न योजनाओं (सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आदि) के तहत किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः गेम चेंजर

6.127 आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 ने दिखाया कि यद्यपि भारत में सरकारों द्वारा अपने गरीबी रोकथाम कार्यक्रमों में मानक टूलकिट के हिस्से के रूप में मूल्य सब्सिडी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वे अक्सर प्रतिगामी होते हैं, बाजारों को ऐसे तरीकों से विकृत करते हैं जो अंततः आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो इसके रिसाव मूल्य के साथ-साथ उत्पाद सब्सिडी की प्रभावशीलता को गंभीरता से कम करते हैं। इन विकृतियाँ और रिसाव का सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सिफारिश की गई थी कि मूल्य सब्सिडी द्वारा गरीबों के लिए जो लाभ देने का प्रयास किया जाता है, उसे एकमुश्त आय हस्तांतरण के माध्यम से सीधे गरीबों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे कीमतों में सब्सिडी से होने वाली विकृतियों से बचा जा सके। सब्सिडी को खत्म करना या चरणबद्ध तरीके से कम करना न तो संभव है और न ही वांछनीय जब तक कि गरीबों और कमजोरों को सहारा देने के लिए अन्य प्रकार के समर्थन के साथ और उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम न हो। जेएएम नंबर ट्रिनिटी - जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर - ने सरकार को डीबीटी के रूप में लक्षित और कम विकृत तरीके से पहचाने गए परिवारों को इस सहायता को देने की अनुमति दी है।

6.128 डीबीटी की स्थापना के बाद से, केंद्रीय योजनाओं के संबंध में ₹26.5 लाख करोड़ से अधिक का संचयी हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया गया है। इस प्रक्रिया में, 31 मार्च 2021 तक अकेले केंद्रीय योजनाओं के लिए 9.4 करोड़ डुप्लिकेट, नकली/मौजूद लाभार्थियों को सभी डेटाबेस से हटाने के कारण कुल 2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

6.129 कोविड-19 महामारी की शुरुआत और लॉकडाउन लागू होने और सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू होने से डीबीटी पारिस्थितिकी तंत्र को एक कठिन परीक्षण का सामना करना पड़ा और लाखों नागरिकों के लिए राहत के रूप में उभरा, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी। जीवन को बनाए रखने में डीबीटी ने प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को तत्काल राहत देकर लाखों लोगों की मदद की। पीएम-किसान, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), एनआरएलएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत नकद हस्तांतरण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की छात्रवृत्ति योजनाएं) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी और आत्म निर्भर भारत पैकेज कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान भारत की संपूर्ण प्रतिकूल प्रभावित जनता के लिए एक बड़ी राहत थी।

6.131 डीबीटी के भारत के सफल कार्यान्वयन ने अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्रशंसा प्राप्त की है, कम आय वाले स्तर (85 प्रतिशत) पर बड़ी जनता को कुशलतापूर्वक सहायता (सब्सिडी, खाद्यान्न, और नकद लाभ सीधे) प्रदान करने के लिए ग्रामीण परिवारों की और 69 प्रतिशत शहरी परिवारों की)। बॉक्स VI-11 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जेएएम-ट्रिनिटी-आधारित डीबीटी ढांचे की प्रगति को सूचित करता है।

बॉक्स: VI-13: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में प्रगति

डीबीटी को 2013 में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके तत्कालीन मौजूदा वितरण प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जा सकें। पिछले एक दशक की अवधि में, डीबीटी 2013 में 43 जिलों में केवल 24 योजनाओं (पायलट कार्यक्रम के भाग के रूप में) से दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं और 2000 से अधिक राज्य योजनाओं तक विस्तारित हो गया है।

तालिका VI.23: समग्र डीबीटी प्रगति रिपोर्ट

	2013-14	2016-17	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Till 5 Jan 2023)
No of DBT Schemes	28	142	440	426	316	313	310
Total Funds Transferred (in ₹crore)	7,368	74,689	3,29,796	3,81,632	5,52,527	6,30,265	3,80,380
Cash schemes	7,368	74,689	2,14,092	2,39,729	2,96,578	2,68,139	1,71,842
In-kind schemes	-	-	1,15,704	1,41,902	2,55,950	3,62,126	2,08,538
Eligible Beneficiaries [non-unique] (in crore)	10.8	35.7	129.2	144.7	179.9	178.9	159.5

स्रोत: मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय को भेजे गए आंकड़े

अपने संचालन के वर्षों में, डीबीटी पैटर्न से निम्नलिखित लाभ मिले हैं :

- लाभार्थियों की सटीक पहचान और लक्ष्यीकरण;
- ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से व्यापक समावेशन और सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी;
- लाभार्थियों को निधि अंतरण में पारदर्शिता;
- बिचौलियों/एजेंटों के उन्मूलन के माध्यम से लाभ वितरण प्रक्रियाओं में रिसाव को रोकना;
- सरकार की ओर से अधिक जवाबदेही ;
- री-इंजीनियरिंग के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में सुधारों को सुगम बनाना;
- योजना वितरण प्रक्रियाओं में दक्षता में वृद्धि; और
- समय पर कार्यान्वयन के माध्यम से योजनाओं की प्रभावशीलता।

समावेशी विकास के लिए ग्रामीण शासन में सुधार करना

6.132 सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने, सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अच्छा ग्रामीण शासन अनिवार्य है। ग्रामीण प्रशासन में सुधार की दिशा में हाल ही में किए गए कुछ उपायों का विवरण नीचे दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

6.133 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के एक सीएसएस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रैल 2018 में वित्तीय वर्ष 19 से वित्त वर्ष 22 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य जोर के साथ एसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना था। 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह योजना भारत के संविधान के गैर-भाग IX सहित उन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैली हुई है जहाँ पंचायतें नहीं हैं।

6.134 पीआरआई को सशक्त बनाने और पंचायतों के संबंधित स्तर पर अभिसरण योजना तैयार करने के लिए आरजीएसए की योजना का प्रमुख फोकस क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) था। योजना के तहत, न केवल लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) को प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से सक्षम बनाया गया है, बल्कि एसएचजी सदस्यों सहित पंचायतों के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को भी बेहतर एसएचजी-पीआरआई के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

6.135 वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 26 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए योजना को अप्रैल 2022 में संशोधित और अनुमोदित किया गया है। पुनर्गठित आरजीएसए की योजना का ध्यान केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों और अन्य हितधारकों को 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के साथ ठोस और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से जमीनी स्तर पर एसडीजी (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय स्वशासन के जीवंत केंद्रों के रूप में पीआरआई की फिर से कल्पना करना है। यह योजना स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। एलएसडीजी के नौ विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली भागीदारी योजनाएं तैयार करें और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें।

स्वामित्व योजना

6.136 स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना, जो सही अर्थों में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना का उद्देश्य निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है:

- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या अन्यथा, राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।
- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।

- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके एक बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना।

6.137 31 दिसंबर 2022 तक, देश भर के 2.15 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित राज्यों में संतृप्त किया गया है। लगभग 65,000 गांवों के लिए एक करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हरियाणा के बाद उत्तराखंड और पुडुचेरी के सभी बसे हुए गांवों के संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

6.138 इतिहास बताता है कि जब मानव विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाता है, तो सर्वांगीण क्रांतिकारी नवाचार के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में विकास और समृद्धि आती है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2015 में किए गए अवलोकन के अनुसार

''सरकार को निम्न पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहिए:

- *जहां विकास के लिए अर्थव्यवस्था प्रमुख है; और विकास से सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिले ;*
- *जहां विकास से रोजगार पैदा हो रहा है; और रोजगार कौशल युक्त होता है;*
- *जहां कौशल को उत्पादन के साथ जोड़ा जाता है; और गुणवत्ता उत्पादन के लिए बेंचमार्क है;*
- *जहां गुणवत्ता वैश्विक मानकों को पूरा करती हो; और वैश्विक मानकों को पूरा करने से समृद्धि आती है सबसे महत्वपूर्ण, यह समृद्धि सभी के कल्याण के लिए है''*

6.139 आज, भारत संयुक्त राष्ट्र एसडीजी हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा करते समय, यह इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि समान विकास के लिए, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को पर्याप्त और समान वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित व्यापक-आधारित समावेशी सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस प्रकार, विकास के लिए इस तरह के दृष्टिकोण का चरित्र और रूपरेखा चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है जिसे लगातार सुधारों के रूप में संबोधित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक क्षेत्र की विकास योजनाओं के इच्छित परिणाम अभीष्ट हों, शासन के जमीनी स्तर की भागीदारी अनिवार्य है और इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्षित नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी एक महान प्रवर्तक रही है। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए सेवाओं के वितरण में क्रांति ला दी है। सामाजिक मोर्चे पर उच्च एसडीजी प्राप्त करने में सरकार की मदद करने के लिए इसे और अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

6.140 जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे महामारी के कारण सामाजिक क्षेत्र में सुधार के संबंध में खोई हुई जमीन को बड़े पैमाने पर पुन: प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रौद्योगिकी के साथ त्वरित नीति निर्माण और कुशल कार्यान्वयन द्वारा संचालित है। मिनिमम गवर्नमेंट; अधिकतम शासन, आगामी घटनाक्रम अधिक न्यायसंगत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगें। प्रत्यक्ष रूप से स्कूलों में डिजिटल और शिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से सीखने के परिणामों को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को बढ़ाना, बेहतर उत्पाद डिजाइन और अपस्केलिंग उद्यमों के माध्यम से एसएचजी को आगे बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कि देखभाल के काम के लिए किायती बाजार विकल्प, सुरक्षित परिवहन और आवास, और दीर्घकालिक परामर्श सहायता के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक क्षमता को चौनलाइज करना, देश के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लैंगिक लाभांश को भुनाने में मदद कर सकता है।

---

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114728